खण्ड-231, अंक-1
गुरूवार, 3 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(24 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
श्री अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकाशन	५–६
प्रश्नोत्तर	६–४८
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था	४८–४९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९–५१
गाजीपुर, बलिया तथा बस्ती में क्रमशः स्थित रामगढ़, सुरहा तथा दोहरी और खुरहट पम्पिंग केनालों द्वारा विद्युत् के अभाव में सिंचाई न हो सकने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ..	५१–५५
जिला झांसी के ग्राम बनगुवां कलां में अज्ञातरोग से बच्चों की मृत्यु के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५५–५८
भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी	५८–५९
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	५९–१०७
अनुदान संख्या ४३—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	१०७–१०८
नत्थियां	१०९–१२२

RA
3069

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री (वाराणसी)
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंथईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेलचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादत्री, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद,श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री

मतोलासिंह श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)

राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामप्रचार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लोकपालसिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विश्वनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शरीफ हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सिंघाराम, श्री

सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

श्री अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकाशन

श्री अध्यक्ष--माननीय लखपतरामजी, कल जो शब्द आपके प्रति प्रयुक्त किये गये वे मैं समझता हूं अनुचित थे और मुझे उसका खेद है और वह हिस्सा जहां मैंने कहा था कि 'लखपतराम बैठो' कार्यवाही से हटा दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करूंगा आपसे । जब आपने कल माननीय लखपतराम जी शर्मा के लिये 'बैठो', शब्द का प्रयोग किया था उस वक्त यह भी भावना हम लोगों के दिलों में आयी कि आपने गुस्से से उस शब्द का प्रयोग किया और कई शब्दों का ऐसा सिलसिला लगा रहा जिससे....

श्री अध्यक्ष--अब तो वह बात खत्म हो गयी ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जिस संसदीय परम्परा की मर्यादा रखी उससे केवल अपना ही महत्व नहीं बढ़ाया बल्कि इस सदन और संसदीय परम्परा का महत्व भी ऊंचा किया और मैं आशा करता हूं कि आपने जिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण खेद प्रकट किया उससे हम लोगों का खेद दूर हो गया होगा और मैं यह भी आशा करूंगा कि इस प्रकार जो चीज हुई उससे हम लोगों को आब्जेक्ट लेसन होगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार के शब्द निकाले भी जायं तो उससे हम लोगों को दुख होना चाहिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मुझे श्रीमन्, यही कहना है कि कभी-कभी आप आवेश में आ कर बहुत गर्म हो कर हम लोगों को कहते हैं....

श्री अध्यक्ष--अब देखिये--आप स्वयं उस संसदीय परम्परा के विरुद्ध बोलते जा रहे हैं जिसकी बात अभी यहां की गयी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि आपने जो कुछ कहा उसके लिये मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि सदन की मान-मर्यादा और हम लोगों के अधिकारों की आपने रक्षा की और यही आप से आशा थी। और भविष्य में अगर कभी कोई ऐसी घटना हुई, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर हुई तो आप हम लोगों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करेंगे, यही आप से आशा है।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फिटनेस सर्टीफिकेट लेने पर अस्थायी कर्मचारियों से फीस

****१---कुवंर श्रीपाल** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने G. O. No. 1176/II-B---45-1960, dated 6-11-61 के द्वारा समस्त सरकारी अस्थायी कर्मचारियों की सिविल सर्जन से डाक्टरी फिटनेस सर्टीफिकेट लेने को कहा है ?

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---जी हां, परन्तु सर्टीफिकेट जो भी समर्थ चैकित्सिक अधिकारी हो, उसका होना चाहिये।

****२---कुवंर श्रीपाल**---क्या उक्त सर्टीफिकेट हासिल करने में कर्मचारियों को सिविल सर्जन की फीस देनी होती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी हां। समर्थ चिकित्सक की जो फीस हो देनी पड़ती है।

****३---कुवर श्रीपाल**---चूंकि यह कार्य सरकारी आज्ञा से किया जा रहा है तो क्या उक्त फीस की रकम सरकार कर्मचारियों से न दिलवाकर स्वयं देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपाल---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह फिटनेस सर्टीफिकेट्स कितने दिनों के अन्तर से लेना पड़ता है, यानी कितने साल बाद फिटनेस सर्टीफिकेट ले कर दाखिल करना पड़ता है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---वैसे तो अब जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में आते हैं उनसे प्रारम्भ में ही यह सर्टीफिकेट ले लिया जाता है परन्तु पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि बहुत से अस्थायी कर्मचारी रख लिये गये थे और उनसे मेडिकल फिटनेस का सर्टीफिकेट लिया नहीं गया। अब जब वे स्थायी रूप से नौकरी में रखे गये तो उनसे वह सर्टीफिकेट मांगा गया। तो इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे ६, ७, ८ साल नौकरी करने के बाद सार्टीफिकेट मांगा गया। तो कोई निश्चित समय तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन कई वर्ष तक नौकरी कर चुकने वाले व्यक्तियों से भी सर्टीफिकेट मांगा गया है।

कुंवर श्रीपाल---क्या माननीय मंत्रीजी इस बात को देखते हुये कि इनमें बहुत से गरीब आदमियों को भी ८-८ रुपये फीस देनी पड़ती है, इस प्रश्न को जल्द फैसल करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय सदस्य की अभिलाषा पूरी की जायगी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—अस्थायी कर्मचारियों को जो फिटनेस सर्टीफिकेट का ८ रुपया देना पड़ता है उसके बारे में उन कर्मचारियों को जिन्होंने वह ८ रुपया दे दिया है, वापिस कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो विचाराधीन है ही ।

विकास खंडों को तहसील स्तर के काम देने की जानकारी

४—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की शासन इकाई तहसीलों को तोड़ कर विकास खंडों को ही तहसील स्तर के सारे कामों को करने का वे निर्णय करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर—क्या विकास मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके सामने इस प्रकार की व्यवस्था करने में कौन-कौन सी दिक्कतें हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, इस प्रकार की अभी कोई व्यवस्था नहीं है । जब क्षेत्र समितियों के चुनाव जिला परिषद् ऐक्ट के अनुसार हो जायेंगे, उसके बाद इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय विकास मंत्रीजी बतायेंगे कि क्षेत्र समितियों और विकास समितियों के संगठित हो जाने के बाद इस प्रकार की योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोलने के लिये केन्द्र की अनुमति

५—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पारस्परिक वार्तालाप से यह तय कर लिया है कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना जहां बनने वाला था वहीं बनेगा ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री से भी उपरोक्त मंत्रालय ने इस संबंध में बातचीत की है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—कुछ प्रतिबन्धों के आश्वासन पर भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय को अब फर्टिलाइजर फैक्ट्री के गोरखपुर में लगने में कोई आपत्ति नहीं है । यह सूचना अभी हाल में राज्य सरकार को उद्योग मंत्रालय से प्राप्त हुई है ।

६—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री इस बात को देखते हुये कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय की आपसी जिन पारस्परिक वार्ता से रुकावट दूर हो गई, इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री जहां बनने को थी यानी गोरखपुर, वहीं बनेगी ?

श्री बनारसीदास—प्रश्न संख्या ५ के उत्तर से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर में ही स्थापित करने का निश्चय किया है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सुरक्षा मंत्रालय का कोई ऐसा आश्वासन सरकार को मिल गया है कि उनको फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने में कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि वहां पर एक फौजी एरोड्रोम बन रहा है जिसका इस प्रकार का प्रतिबंध होता है कि अगर कोई फैक्ट्री बनायी जाय तो उसकी चिमनी एक खास ऊंचाई की ही होनी चाहिये, तभी उसके लगाने की इजाजत दी जा सकती है। लिहाजा अब फर्टिलाइजर फैक्ट्री की चिमनी उसी मापदंड की बनेगी जिसकी इजाजत फौजी अधिकारियों ने दी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि उक्त फर्टिलाइजर फैक्ट्री का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा। अब दूसरे एस्टीमेट्स तैयार किये जायेंगे। उद्योग विभाग के विशेषज्ञ उसको तैयार करायेंगे। ज्योंही वे तैयार हो जायेंगे कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भेजने के लिये लिखा है। उसकी मंजूरी हो गयी है। ज्योंही उस अधिकारी को आज्ञा मिल जायगी वह वहां पर चला जायगा और गोरखपुर में जाकर उस कार्य को प्रारम्भ करायेगा।

नैनीताल में चीनी नागरिक की गिरफ्तारी

****७—श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर) तथा **कुंवर श्रीपाल**—क्या यह सही है कि १ अप्रैल सन् ६२ से १६ मई सन् ६२ के अन्दर कोई चीनी, कम्युनिस्ट चीनी सरकार की जासूसी करते हुये नैनीताल में पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी नहीं, किसी चीनी नागरिक को १ अप्रैल, सन् १९६२ से १६ मई, सन् १९६२ के अन्दर कम्युनिस्ट चीनी सरकार की जासूसी करते हुये नैनीताल में नहीं पकड़ा गया है। किन्तु एक चीनी नागरिक को, जिसका नाम चो सिंग तांग है, ८ मई, १९६२ को नैनीताल में उसके निवास-अनुज्ञा-पत्र की अवधि समाप्त होने पर भारत न छोड़ने के अपराध में, फारनर्स ऐक्ट, १९४६ की धारा १४ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि आज से एक वर्ष पूर्व यह व्यक्ति इंदौर में ओपियम स्मगलिंग में पकड़ा गया था और इसको वहां सजा हुई थी ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस व्यक्ति के पास पासपोर्ट कम्युनिस्ट चीन का था या ताइवान का था जिसके आधार पर यह देश के अन्दर आया ?

श्री नवलकिशोर—यह किस पासपोर्ट के अन्तर्गत यहां आया यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले १९३६ में यह आया। इसका रजिस्ट्रेशन बम्बई में सन् १९४१ में हुआ था। इसकी अवधि थी १२-१-६१ तक।

कुंवर श्रीपाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह व्यक्ति नैनीताल में क्या काम करता था यानी उसके जीवन यापन करने का क्या साधन था ?

श्री नवलकिशोर—यह कपड़ा बेचने का काम करता था।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह व्यक्ति जब गिरफ्तार किया गया तो उसको वापस चीन देश भेज दिया गया था या उसके वीसा को बढ़ा दिया गया ?

श्री नवलकिशोर—उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने इस बात की जरूर कोशिश की कि उसका एक्सटेंशन हो जाय मगर वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के करने की बात है।

कुंवर श्रीपाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ के अन्दर कुछ इस किस्म की बात बतलाई कि यहां के किसी राजनीतिक बल से उसका संबंध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है । वह इसी महीने की ८ तारीख को पकड़ा गया है ।

राज्य नियोजन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

८---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कोई प्रान्तीय स्तर पर प्लानिंग कमीशन बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी हां । केन्द्रीय सरकार की ओर से एक राज्य नियोजन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस बोर्ड का कार्य लगभग वही होगा जो केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग का है ।

९---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके सदस्य कितने और कौन-कौन होंगे, चेयरमैन व उप-चेयरमैन कौन-कौन होंगे तथा उसके कर्तव्य और अधिकार क्या-क्या होंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---राज्य नियोजन बोर्ड के सदस्य, मुख्य मंत्री जी, नियोजन मंत्री और वित्त मंत्री जी होंगे । सदस्यों की संख्या अथवा नाम का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । राज्य बोर्ड के अधिकार तथा कर्तव्य प्रायः वही होंगे जो केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन के हैं ।

१०---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रस्तावित प्रान्तीय प्लानिंग कमीशन पर कितना वार्षिक व्यय होगा तथा उसके पदाधिकारी व सदस्यों का क्या वेतन होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय जो यह स्टेट प्लानिंग कमीशन बनने जा रहा है इसके बनाने की विशेष आवश्यकता क्या पड़ी जिसके कारण सरकार इसको बनाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन द्वारा और गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्लानिंग विभाग द्वारा हमको यह सुझाव दिया गया है कि चौथी, पांचवीं और सारी योजनाओं में प्रास्पैक्टिव योजनाओं की रचना के लिये इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश के अन्दर प्लानिंग कमीशन की रचना हो और उनके द्वारा भविष्य की जो योजनायें हैं चौथी, पांचवीं और छठी, उसके द्वारा प्रास्पैक्टिव योजनायें तैयार की जायं और साथ ही इन योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य निर्धारित रहते हैं उनको आंका जाय और कूता जाय । इस कारण केन्द्रीय सरकार ने और उसके प्लानिंग विभाग और प्लानिंग कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक प्रदेश के अन्दर इस प्रकार के कमीशन की रचना की जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि जो योजनायें अभी तक बनीं उनमें कोआर्डिनेशन के लिये इसकी आवश्यकता पड़ी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रथम, दूसरी और तीसरी योजनायें अभी तक सरकार द्वारा बनाई गईं उनसे यह अनुभव हुआ कि विभाग द्वारा जो ये योजनायें तैयार की जाती हैं उनमें उस मात्रा में वास्तविकता नहीं रहती है जिस मात्रा की वास्तविकता से प्लानिंग कमीशन उन योजनाओं को बनाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब उत्तरोत्तर प्लानिंग के विषय में नये नये विचार अनुभव की बुनियाद पर पैदा होते हैं और उन अनुभवों की बुनियाद पर नयी नयी योजनायें बनायी जाती हैं। पहले भी विभाग काम करते थे और योजनायें बनती थीं जबकि प्लानिंग कमीशन नहीं बना था लेकिन उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों हमने देश के औद्योगीकरण की दिशा में अधिक कदम बढ़ाया त्यों त्यों इस बात की आवश्यकता अधिक पड़ी कि जो सारे देश के साधन हैं, और प्रदेश के साधन हैं उन सबको आंक कर और एक व्यवस्थित ढंग से विचार करके योजना तैयार की जाय जिसके अन्तर्गत सारे देश के क्या साधन हैं, प्रदेश के क्या साधन हैं और अन्य प्रदेशों के क्या साधन हैं, उन सबके ऊपर विचार करके योजना को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा की जाय। इस कारण एक ऐसी संस्था के निर्मित करने की आवश्यकता पड़ी। पहले विशेषज्ञ सरकारी विभाग में अधिकतर काम करते थे। आज प्लानिंग कमीशन में कुछ विशेषज्ञ भी रखे गये हैं, कुछ राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी रखे गये हैं जो उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं जिस दृष्टिकोण के द्वारा योजना की रूपरेखा उन नये विचारों के अनुसार दी जा सकती है जिन विचारों को हम कार्य रूप में आज परिणत करना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्लानिंग कमीशन का गठन कब तक हो जायगा और विधान सभा और विधान परिषद् के कितने कितने सदस्य इसमें शामिल होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो सब प्रश्न अभी विचाराधीन है और महीने दो महीने में इसके ऊपर विचार करके हम निर्णय कर लेंगे।

श्री ऊदल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी संख्या केन्द्रीय प्लानिंग बोर्ड की है उतनी ही संख्या यहां रखने का विचार है या उससे कम रखने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सब विचाराधीन प्रश्न हैं। उतनी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---वह विचाराधीन है तो यह सब प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमीशन के चेयरमैन स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी होंगे अथवा कोई और होगा, इस पर कोई विचार निश्चित हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो सुझाव है उसके अन्तर्गत तो मुख्य मंत्री ही उसके अध्यक्ष होंगे।

कुंवर श्रीपाल---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें विरोधी पक्ष के लोगों को भी लिया जायगा या केवल सरकारी पक्ष के लोगों को ही लिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसमें विरोधी, गैरविरोधी, सरकारी सभी प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर विचार होगा और जो योग्य समझा जायगा वह नियुक्त किया जायगा।

श्री उग्रसेन---माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो राज्य नियोजन बोर्ड बनेगा उसका कार्य सलाह देना होगा केन्द्रीय कमीशन को या स्वतः यह पूर्ण सक्षम होगा फैसले लेने के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्लानिंग कमीशन जो केन्द्र की तरफ से नियुक्त है उसका भी काम सलाह ही देने का है। इसके सदस्यगण कैबिनेट में जाते हैं और विभिन्न विषयों को लेकर जाते हैं और केबिनेट अन्तिम निश्चय उन सलाहों के ऊपर लेती है जो कि, प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्लानिंग कमीशन के निर्माण का संकेत सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन की तरफ से भी हुआ था? यदि हां, तो क्या हमारे देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्लानिंग कमीशन का निर्माण प्रान्तीय स्तर पर किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, वह तो सारे प्रदेश के लिये आदेश है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी इन सब बातों पर विचार करने के लिये सदन के सदस्यों की एक समिति बैठायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो सरकार का काम है। जब तक यह सरकार है उन विचारों को वह कार्य रूप में परिणत करेगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है।

कासगंज से श्री राजाराम का अनशन करने के लिये पत्र

११—श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा), **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर) तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राजाराम पुत्र धर्मदास जाटव, सहावर दरवाजा, कासगंज, जिला एटा के १६ मई, १९६२ के आमरण अनशन करने के सम्बन्ध में उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री नबलकिशोर—जी हां। प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में बिक्री कर अधिकारियों तथा उद्योग अधिकारियों के विरुद्ध अन्याय करने के आरोप लगाये हैं तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। आवेदन-पत्र सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है।

श्री रक्षपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पत्र अभी तक भेज दिया गया है या नहीं, क्योंकि उत्तर में बतलाया गया है कि वह भेजा जा रहा है क्योंकि १६ तारीख से अनशन शुरू होने वाला है इसके लिये और यदि नहीं भेजा गया है, तो क्यों नहीं भेजा गया है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उसमें यह है कि यह भेजा जा रहा है, अनशन की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस पत्र में अधिकारियों पर कुछ गबन के भी आरोप हैं ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं।

बाजपुर चीनी मिल में दंगा

१२—कुंवर श्रीपाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ११ मई, १९६२ को बाजपुर, जिला नैनीताल स्थित चीनी मिल में मिल मालिकों तथा श्रमिकों में संघर्ष हुआ? यदि हां, तो कारण क्या था तथा हताहतों की संख्या क्या है ?

श्री नवलकिशोर—मिल मालिकों तथा श्रमिकों में कोई संघर्ष नहीं हुआ। गन्ना उत्पादकों तथा शुगर फैक्टरी, बाजपुर के मजदूरों में हल्का दंगा हुआ जिसके फलस्वरूप ९ व्यक्तियों के हल्की चोटें आईं। गन्ना तौलने की मशीन में कुछ अकस्मात खराबी आ गई थी जिससे कि बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण के समय उत्पादकों द्वारा उससे गन्ना की तौल कम होती पाई गई। इसके फलस्वरूप यह घटना घटित हो गई।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि यह मशीन जानबूझ कर खराब की गई थी ताकि कम तौले और जिससे अधिक नफा हो सके? इसकी कोई सूचना है?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इसकी जांच हो रही है इसलिये, मैं समझता हूं कि, यह कहना कि यह जानबूझ कर किया गया एक प्रिमेचोर प्रिजम्प्शन होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मन्त्री जी ने बतलाया कि मिल के मजदूरों से झगड़ा हुआ, तो जहां तौल हो रही थी, उस जगह जो लोग काम कर रहे थे वे सीजनल लेबर थे या मिल के परमानेंट इम्प्लाइज थे जिनसे झगड़ा हुआ?

श्री नवलकिशोर—इतने डिटेल्स इस समय नहीं हैं।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनके पास इस तरह की कोई सूचना है कि यह जो ९ व्यक्तियों को चोटें लगीं वह चोटें किसी धारदार हथियार की हैं अथवा मामूली लाठी डंडे की हैं?

श्री नवलकिशोर—उनको तो हल्की चोटें लगी थीं, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ।

श्री काशीनाथ—माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि जहां तौल हो रही थी वहां दंगा हुआ, तो मजदूरों से दंगा क्यों हुआ? जब तौल कम हो रही थी तो झगड़ा तो मालिकों से होना चाहिये था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोआपरेटिव फैक्टरी में मालिक तो गन्ना उत्पादक ही होता है और गन्ना उत्पादकों के जो नौकर होते हैं वे मजदूरी करते हैं। तो उन्हीं उत्पादकों के नौकर थे उन नौकरों के बीच में उत्पादकों के बीच में झगड़ा हुआ।

लखीमपुर में जामिल अली के घर से विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी

****१३—श्री यादवेन्द्रदत्त**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी लखीमपुर के शहर में भांग के ठेकेदार श्री जामिल अली के यहां लगभग ३० सेर पोटैशियम क्लोरेट नामक विस्फोट पदार्थ मास अप्रैल, १९६२ में पकड़ा गया है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नवलकिशोर—जी हां। अभियुक्त के विरुद्ध धारा ५, विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट, के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है। जिसकी जांच की जा रही है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिस संख्या में यह विस्फोटक पदार्थ उसके यहां पाये गये, यह इतनी बड़ी तौल में उसके यहां कहां से आये और क्या इस बात की भी कोई जांच कराई गयी कि उसके पीछे कोई गैंग है जो ऐसा कर रहा है।

श्री नवलकिशोर—जब थानाध्यक्ष, कोतवाली खीरी, को यह सूचना मिली कि उस व्यक्ति के यहां, जो भांग के ठेके का काम करता है, कुछ नाजायज अफीम है, तो वे वहां गये और उन्होंने उसके यहां छापा मारा। उसमें २९ सेर १२ छटांक पोटैशियम क्लोरेट पाया गया और कुछ अफीम, गांजा व भांगिया भी बरामद हुआ। उस पर चार मुकदमे भी कायम किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—वे यह जानना चाहते हैं कि क्या उसके पीछे कोई गैंग है?

श्री नवलकिशोर---इसकी तो अभी जांच हो रही है, जब तक वह पूरी न हो जाय कुछ कहना मुश्किल है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---इस बात को देखते हुये कि पिछली बार सीतापुर में भी इसी तरह के विस्फोटक पदार्थ एक आदमी के यहां निकले थे, और खोरी में भी पाये गये, तो क्या सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुये इस बात की जांच करायेगी कि उसके पीछे कोई कांस्पिरेसी आदि तो नहीं है जिससे समाज में कोई अशान्ति पैदा हो जाय ?

श्री नवलकिशोर---जो सूचना अब तक मिली है उससे ऐसी कोई आशंका नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---इस बात को देखते हुये कि कुछ व्यक्तियों के पास इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ निकले हैं जिससे कि आमतौर से शान्ति भंग होने का खतरा पैदा हो जाता है, तो क्या सरकार राज्य स्तर के खुफिया विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायेगी ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जांच के बाद जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी और सरकार उसके बाद यह समझेगी कि उसके अन्दर कोई और गुन्जायश है, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी कृपया इस बात की जानकारी करायेंगे कि इसको इकट्ठा करने का उसका परपज क्या था, क्या इसकी जानकारी सरकार ने कराई है ?

श्री नवलकिशोर---मैंने तो अर्ज किया है कि अभी जांच हो रही है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न १४ पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल---यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, मैं अब दूसरा प्रश्न पुकार चुका हूं ।

श्री श्यामलाल---मैं बैठूंगा नहीं, मैं बार-बार खड़ा हुआ ....

श्री अध्यक्ष---आप अगर नहीं बैठते तो मुझे आदेश देना पड़ेगा कि आप सदन से कृपया बाहर चले जायं ।

(कुछ सदस्यों के अनुरोध पर माननीय सदस्य ने आसन ग्रहण किया ।)

इलाहाबाद जिले में कैन्टोनमेंट थाने के दारोगा द्वारा गोली चलाना

****१४---श्री नरसिंहनारायण**---क्या श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये १० मई सन् १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ तथा अनुपूरक प्रश्नों के संदर्भ में गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी कि इलाहाबाद जिले के थाना कैन्टोनमेंट के दरोगा को आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का आदेश देना पड़ा ?

श्री नवलकिशोर---जिस विशेष परिस्थिति में दरोगा ने गोली चलाई उसका सम्पूर्ण विवरण श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ७ तथा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिया जा चुका है ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिसके कारण मजबूर हो कर पुलिस को आत्मरक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी ?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, उस दिन भी प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत यह उत्तर दिया गया था कि २४-३-६२ को जब यह सूचना मिली कि अमुक जगह लाउड स्पीकर बज रहा है तो वहां एक कांस्टेबिल गया। चूंकि दफा १४४ लगी हुई थी, अतः उसने वहां जाकर लाउड स्पीकर बजाने का परमिट मांगा। वह उसको नहीं दिखाया गया मगर लाउड स्पीकर बन्द कर दिया गया। उसने फिर लाउड स्पीकर का जो सामान था उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की। उसके लिए रोका गया। उसके बाद उसने आकर थाने में उसकी इत्तला दी। दरोगा जी वहां खुद पहुंचे, एक दो सिपाही साथ में थे। लाउड स्पीकर जो बजा रहा था वह भाग चुका था। कल्याणचन्द जी और बेनी प्रसाद जी ने, जब लाउड स्पीकर का सामान कब्जे में लेने की कोशिश की, तो झगड़ा खड़ा कर दिया, इस पर थानेदार उनको गिरफ्तार करके थाने ले गये। तो ३-४ सौ की भीड़ जमा हो गयी थाने के बाहर और भीड़ ने कोशिश की कि गिरफ्तार लोगों को छुड़वाया जाय। उसने पत्थर फेंके। भीड़ को समझाया गया, भीड़ न मानी तो लाठी चार्ज किया गया। उस पर भी असर नहीं हुआ तो उन्होंने ४ फायर हवा में किये। यही वाकयात हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटना से कैन्टोनमेंट थाना कितनी दूरी पर पड़ता है ?

श्री नवलकिशोर—डिस्टेंट तो नहीं बता पाऊंगा इस वक्त।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मंत्री जी ने क्या इसकी जांच करवा ली है कि वहां जो भीड़ ने पत्थर फेंके वह वहीं बाहर पड़े हुए थे या भीड़ अपने साथ लायी थी, वह आखिर कहां से वहां आ गये ?

श्री नवलकिशोर—इसकी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ने की, उनकी रिपोर्ट आ गयी। कुछ प्वाइंट्स ऐसे हैं जिन पर सरकार स्वयं भी मुतमइन नहीं हुई और उसको फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह जरूर है कि थाने के अन्दर पत्थर पाये गये।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी ने कहा कि भीड़ थाने की ओर बढ़ती जा रही थी, तो क्या थाने में टेलीफोन नहीं था कि किसी मैजिस्ट्रेट से गोली चलाने के लिए आदेश लिया जाता ? यदि था, तो खुद गोली क्यों चलायी गयी ?

श्री नवलकिशोर—जब कि भीड़ लाठी चार्ज के बावजूद भी नहीं हटी और उसके ऊपर असर नहीं हुआ तो पुलिस ने टेलीफोन किया। मगर इस बीच में जब थाने में घुसने की कोशिश की और खतरा जान-माल का हुआ तो उसने हवाई फायर किया भीड़ को डराने के लिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या मंत्री महोदय यह भी बतलाने की कृपया करेंगे कि जिस दिन यह प्रश्न उठा था, मैंने यह साफ तरीके से पूछा था कि कितनी चोटें पुलिस पक्ष के लोगों को आयीं और कितनी और लोगों को, अब इतने समय में वह रिपोर्ट आ गयी होगी तो कितने पुलिस के लोगों को चोटें आयीं ?

श्री नवलकिशोर—करीब ६ आदमियों को चोटें आयी हैं।

श्री झारखंडेराय—लाठी चार्ज करने के बाद जब भीड़ नहीं हटी तो फायरिंग के पहले क्या आंसू गैस के गोले का प्रयोग हुआ था या वह थे ही नहीं ? क्या पोजीशन थी ?

श्री नवलकिशोर—टीयरगैस का इस्तेमाल नहीं हुआ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मैजिस्ट्रेट ने जांच की उसमें यह स्पष्ट पाया गया कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में की गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जैसा उपमंत्री जी ने बताया, यह एक ऐसा विषय है जिस पर स्वतः सरकार को संतोष नहीं हुआ है। उसने इस विषय में और जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है। सरकार को ऐसा अनुभव हुआ है कि यदि इस छोटे मामले को ठीक तरह से बरता जाता तो कदाचित् यह जो घटना हुई उसके होने की आशंका पैदा न होती।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी मजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई है उसको सदन में रखने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की रिपोर्ट सदन में रखने की पद्धति नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ चोटें आई हैं तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस वालों को जो चोटें आई हैं वह गहरी हैं, हल्की हैं या स्क्रैची हैं, उनका विवरण क्या है?

श्री नवलकिशोर—चोटें गहरी नहीं हैं, हल्की चोटें हैं, मगर काफी हैं।

श्री उग्रसेन—मन्त्री जी ने कहा कि अश्रु गैस के गोले नहीं चलाये गये तो क्या वह कारण बताने की कृपा करेंगे कि अश्रु गैस के गोले थे नहीं इसलिये नहीं चलाये गये या पुलिस चलाना नहीं चाहती थी?

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि वे स्वयं रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि टैक्टफुली अगर वहां पर काम किया जाता तो यह नौबत न आती, अब इसके बाद और अधिक प्रश्नों की गुंजायश नहीं रहती, कोई जानकारी का प्रश्न हो तो वह आप कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दरोगा को इस स्थिति में आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का हक है जिसके फलस्वरूप सारे सूबे में भ्रम और उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया है, इस कारण क्या वे अपने उस बयान को वापस लेने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह तो राय की बात है।

श्री रामसुन्दर—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। १३ नम्बर का प्रश्न था जिस पर श्याम लाल जी ने सप्लीमेंटरी करना चाहा लेकिन आपने मना कर दिया यह कह कर कि आगे का सवाल ले लिया गया है इसलिये सप्लीमेंटरी नहीं की जा सकेगी। उसके बाद नत्थी "ख" लिया, प्रश्न सं० १ माननीय झारखंडे राय जी का, लेकिन माननीय नरसिंहनारायण जी ने कहा कि वे सप्लीमेंटरी नहीं कर सके . . .

श्री अध्यक्ष—आप समझे नहीं, उन्होंने यह कहा था कि १४ का जवाब ही नहीं दिया गया।

श्री रामसुन्दर—१४ का उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा था. . .

श्री अध्यक्ष—लेकिन नरसिंह नारायण जी ने उसको नहीं सुना. . .

श्री रामसुन्दर—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकरूपता हो तो अच्छा है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो सदस्य पीछे बैठते हैं उनको भी प्रश्न पूछने का समय आपको देना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत---जब सरकार का स्वयं यह विचार है कि वहां के अधिकारियों ने टैक्टफुली इस चीज को हैंडिल नहीं किया तो क्या जिस थाने के सिपाहियों और थानेदार ने फायरिंग की उनको सुअत्तल किया गया या दौरान इंक्वायरी उनका ट्रान्सफर किया गया ?

श्री नवलकिशोर---थानेदारों को हटा दिया गया। जहां तक ऐक्शन की बात है, जब तक इंक्वायरी कम्प्लीट न हो जाय तब तक वह प्रश्न उठता नहीं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद जिले के मिनिस्टर भी मौके पर पहुंच गये थे दो तीन रोज के अन्दर ?

श्री नवलकिशोर---मुमकिन है कि वहां कोई हों तो पहुंच गये हों, वैसे इस काम के लिए यहां से तो कोई गये नहीं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर रिजर्व बैंक में चोरी की जांच

*१---**श्री झारखंडेराय**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर रिजर्व बैंक खजाने से एक सन्दूक तोड़ कर उसमें से हजारों रुपये के नोट गायब कर दिये गये हैं ?

श्री नवलकिशोर---जी हां। ४,००० रु० गायब होने की सूचना मिली है।

*२---**श्री झारखंडेराय**---यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की और उसका क्या फल हुआ ?

श्री नवलकिशोर---इस घटना में एक अभियोग थाना कोतवाली में दि० १०-४-६२ को धारा ३८०-४०९ भा० दं० वि० दर्ज किया गया जिसकी जांच जारी है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस केस के सम्बन्ध में जो लोग पकड़े गये हैं उनका सम्बन्ध किसी ऐसे क्रिमिनल गैंग से है जो प्रदेश भर में और बाहर भी इसी प्रकार बैंकों से रुपये उड़ाने का कार्य करता है ?

श्री नवलकिशोर---मेरी सूचना यह है कि अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर---कुल कितने हजार रुपये गायब हुये हैं ?

श्री नवलकिशोर---४,००० रुपये।

श्री रामसुन्दर---इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री नवलकिशोर---थानाध्यक्ष कोतवाली कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत---रिपोर्ट में किन्हीं मुलजिमान के नाम दर्ज कराये गये हैं या सुबहे पर ही दर्ज हैं ?

श्री नवलकिशोर---इसमें कुछ लोगों पर सन्देह किया गया है।

इलाहाबाद में निरंजन सिनेमा के निकट गोली चलाने की घटना

*३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के निरंजन सिनेमा के समीप तारीख २८ अप्रैल, १९६२ को रात्रि को गोली चली ? यदि हां, तो घटना क्या थी ?

श्री नवलकिशोर--जी हां। घटना इस प्रकार थी :

२८-४-६२ को शेर अली नामक एक व्यक्ति का, जानसेनगंज की शराब की दूकान पर, कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। उसी दिन शाम को एक व्यक्ति शेर अली के पास आया और बहाना बनाकर जानसेनगंज में हिवट रोड के चौराहे पर ले गया और उसे वहां पर छोड़ कर चला गया। जब शेर अली घर लौट रहा था तो निरंजन सिनेमा के समीप चार व्यक्तियों ने उसे घेर कर रोक लिया और उस पर तमंचे से फायर किया जिससे वह घायल हो गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस स्थान पर यह घटना हुई उससे पुलिस चौकी कितनी दूर थी और क्या घटना स्थल पर पुलिस मौजूद थी ?

श्री नवलकिशोर--पुलिस के मौजूद होने की कोई सूचना नहीं है। दूरी की इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या शेरअली का डाइंग डिक्लरेशन हुआ ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमियों के नाम हैं और उनमें से कितने अभी तक पकड़े गये ?

श्री नवलकिशोर--उनके भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई उसमें ४ आदमियों के नाम हैं। अधिक डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर--इसकी सूचना नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--शेर अली का डाइंग डिक्लेरेशन हुआ ?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि इसकी सूचना नहीं है।

श्री नवलकिशोर--डाइंग डिक्लेरेशन का सवाल नहीं उठता क्योंकि अभी शेर अली जिन्दा हैं और उनकी स्थिति अस्पताल में अच्छी हो रही है।

बुलानाला, वाराणसी में श्री पुरुषोत्तम की हत्या

*४--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि २३ अप्रैल, सन् १९६२ को बुलानाला, शहर वाराणसी के श्री पुरुषोत्तम नामक युवक की हत्या गुंडों द्वारा दिन दहाड़े कर दी गई है और सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर छुरे से निर्मम प्रहार किया गया जिससे शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में श्री पुरुषोत्तम की मृत्यु हो गई ?

श्री नवलकिशोर--दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ को मुहल्ला बुलानाला, शहर वाराणसी में श्री पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों ने छुरे से घायल किया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई। यह सही नहीं है कि मृतक को गुंडों ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर मारा।

*५--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि कोतवाली वाराणसी में सूचना देने पर भी पुलिस ठीक समय से घटनास्थल पर नहीं पहुंची और काफी समय रहते हुये भी मृतक का बयान किसी मैजिस्ट्रेट से लेने की व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उड़ाका दल के तीन कर्मचारी पैदल घटना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि मोटर ड्राइवर खाना खाने गया हुआ था। उनकी सहायता से मृतक को रिक्शा द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के कुछ कर्मचारी समय से घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाये और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मृतक घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया था और मरते समय तक उसे अस्पताल में भी होश नहीं आया जिसके कारण मैजिस्ट्रेट के समक्ष मृतक का बयान नहीं लिया जा सका। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना किस समय घटी और वह आदमी अस्पताल में किस समय मरा?

श्री नवलकिशोर—घटना इस प्रकार थी: पुरुषोत्तम दोपहर के करीब अपनी मोटर साइकिल पर जा रहा था। उससे ९ साल का एक बच्चा दब गया और उसे चोट आई। उसके बाद उसका भाई और दोस्त मिले और जहां वह नौकर था वहां पहुंच कर झगड़ा किया। यह घटना ९ बजे की थी मगर वे वहां ३।। बजे के करीब पहुंचे और मृत्यु रात के ८।। बजे अस्पताल में हुई।

श्री ऊदल—घटनास्थल से कोतवाली थाना मुश्किल से १ फर्लांग की दूरी पर पड़ता है, तो इतनी देर से पुलिस के पहुंचने का क्या कारण है? और पुलिस के मामूली कर्मचारी वहां पहुंचे और दरोगा साहब और कोतवाल साहेब नहीं पहुंचे, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री नवलकिशोर—मेरी सूचना के अनुसार घटनास्थल २ फर्लांग पर है। लेकिन जसा बतलाया गया ड्राइवर नहीं था। वे लोग पैदल आये। यह बात सही है कि कुछ पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंचे और मैंने स्वयं भी संकेत किया कि सरकार इसमें कार्यवाही करने जा रही है।

श्री चन्द्रजीत—किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी?

श्री नवलकिशोर—कुछ कांस्टेबिल्स और दरोगा जी भी हैं।

वाराणसी में श्री हरीदास माणिक व श्री प्रहलाददास माणिक की गिरफ्तारी

*६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बतायेगी कि २६ अप्रैल, को दशाश्वमेध वाराणसी की पुलिस ने श्री हरीदास माणिक व प्रहलाद दास माणिक को गिरफ्तार कर चौक थाने की हवालात में रक्खा और दूसरे दिन हथकड़ी लगा कर शहर में घुमाते हुये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नवलकिशोर—२६ अप्रैल, १९६२ को उक्त दोनों व्यक्ति पुलिस द्वारा धारा १५१/१०७/११७ दण्ड विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और थाना चौक के हवालात में बन्द किये गये। दूसरे दिन नियमानुसार उन्हें हथकड़ी लगा कर सिटी मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत भेजा गया जहां पर उनकी जमानत ली गई। हथकड़ी लगा कर शहर में घुमाने के आरोप सही नहीं पाये गये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार को पता है कि यह पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता थे और वाराणसी की जनता ने इनके साथ अशोभनीय व्यवहार पर प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नवलकिशोर—जनता के प्रस्ताव की सूचना नहीं है।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार जांच करायेगी कि यह कार्यवाही केवल हरीदास जी माणिक को, जिसकी अवस्था ८० वर्ष की है, अपमानित करने के लिये की गई ?

श्री नवलकिशोर---हरीदास जी माणिक के पुत्र हैं चन्द्रदेव जी माणिक, जो उनसे अलहदा रहते हैं। उनकी पत्नी राधास्वामी मत की हैं और उनका झगड़ा चलता रहता है। जब उसमें शान्ति भंग होने का अंदेशा हुआ तो पुलिस को यह कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री जगदम्बाप्रसाद---दफा १५१ में एक ही पक्ष के लोग गिरफ्तार क्यों हुए, अगर शान्ति भंग होने की आशंका थी ?

श्री नवलकिशोर---हरीदास जी के साथ चन्द्रदेव जी, उनके साहबजादे भी पकड़े गये।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया---एक व्यवस्था का प्रश्न है। रोज के एजेंडे में क्वैश्चन्स बहुत ज्यादा रखे जाते हैं और उत्तर कुछ के ही मिलते हैं। प्रश्न बड़े महत्व के होते हैं। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शेष प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों के पास भेज दिये जाया करें ?

श्री अध्यक्ष---मैं स्वयं इस बात को अनुभव कर रहा हूं। अगर इस सदन के आदरणीय सदस्य अपने ऊपर, सवाल करने में, थोड़ा सा संयम रखें तो सब प्रश्न हो सकते हैं मैं अपनी तरफ से तो प्रयत्न कर ही रहा हूं। कार्यवाही में प्रश्न और उनके उत्तर छप जाते हैं, उसे आप देख सकते हैं।

लखनऊ-बख्शी तालाब सड़क पर उद्योग अधिकारी, मैनपुरी की मोटर दुर्घटना में मृत्यु

*७---**श्री गणेशचन्द** (जिला मैनपुरी)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९६२ ई० में जिला उद्योग अधिकारी, मैनपुरी की मृत्यु लखनऊ से बख्शी के तालाब को जाते वक्त ट्रक से कुचल कर हो गई है ? इस मामले में क्या हो रहा है और इस घटना के होने के कौन-कौन से कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)---जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार सामने से आती हुई एक ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जांच चल रही है और अभियोग शीघ्र ही न्यायालय में भेज दिया जायेगा।

श्री गणेशचन्द---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के उद्योग अधिकारी यहां किसी सरकारी काम से आये थे या निजी काम से ? यदि सरकारी काम से, तो उनके आश्रितों को सहायता या पेंशन के लिये कुछ कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीरसेन---वह एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आये थे। पेंशन के लिये नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी।

*८-१०---**श्री कृष्णचन्द** (जिला झांसी)---[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१३---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)---[७ जून, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

पुलिस के विरुद्ध श्री रामसुन्दर पाण्डेय के पत्र

*१—श्री रामसुन्दर—क्या मुख्य मंत्री ६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पत्र में उल्लिखित दरगाह के श्री सीताराम की डकैती के सम्बन्ध में जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या श्री सीताराम से भी पूछ-तांछ की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवलकिशोर—श्री सीताराम की दूकान पर पड़ी कथित डकैती की जांच सर्किल आफिसर से करायी गयी और श्री सीताराम, उनकी दो लड़कियों तथा स्त्री से भी पूछ-तांछ की गई। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२—श्री रामसुन्दर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय की जांच (जो प्रश्नकर्ता से ही सम्बन्ध रखता है) किस अधिकारी से कराई गई और प्रश्नकर्ता से पूछ-तांछ क्यों नहीं की गई?

श्री नवलकिशोर—सर्किल आफिसर द्वारा खुली तथा गुप्त जांच कराई गई। जांच के दौरान में माननीय सदस्य से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, पर वे उपलब्ध न थे और जांच की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करनी थी अतएव. उनसे पूछ-तांछ नहीं की जा सकी।

*३—श्री रामसुन्दर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे पत्र की जांच कब तक समाप्त हो जायगी तथा कौन अधिकारी जांच कर रहा है?

श्री नवलकिशोर—सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, आजमगढ़ द्वारा जांच कराई गई। जांच समाप्त हो गयी है।

श्री रामसुन्दर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सीताराम और उनकी २ लड़कियों के बयान क्या हैं?

श्री नवलकिशोर—उनके बयान तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर—सदस्य से सम्पर्क स्थापित करने के क्या-क्या तरीके अपनाये गये?

श्री नवलकिशोर—उनका पता लगाने की कोशिश की गई कि अपने निवास-स्थान पर हैं या नहीं।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं ही सदस्य हूं और मेरे ही पास किसी पुलिस वाले ने नहीं इत्तिला भेजी कि आप आइये, आपका बयान लिया जायगा, इसका क्या कारण था?

श्री नवलकिशोर—२६ तारीख को एस० पी० के यहां एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम एम० एल० एज० इनवाइटेड थे। माननीय पांडेय जी उसमें तशरीफ नहीं लाये और २७ को शिकायत की। उसकी जांच हुई और पता चला कि आरोपों में कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। जब उनका शिकायती पत्र पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों ने पता लगाने की कोशिश की। कैसे लगाया, इसका विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री मंगलदेव—मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हम पूछते हैं कि पता लगाने का साधन क्या रहा? क्या उन तारीखों में माननीय सदस्य जिले में ही हाजिर नहीं थे?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास यह सूचना नहीं है कि किस तरह से पता लगाया गया। उनको यह मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं थे।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, आजमगढ़ की जांच रिपोर्ट इस सम्बन्ध में क्या है ?

श्री नवलकिशोर—एस० पी० ने जो जांच की उसमें यह कहा गया है कि जो आरोप थे वे निराधार हैं ।

केन कोआपरेटिव यूनियन, बभनान, संबंधित नलकूप तथा आडिट रिपोर्ट

*४—**श्री रामलखनसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बभनान, जिला बस्ती, की केन कोआपरेटिव यूनियन द्वारा कितने नलकूप किस साल में लगाये गये थे और इस कार्य में प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन कर्ज के रूप में दिया गया है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—केन कोआपरेटिव यूनियन, बभनान, जिला बस्ती, द्वारा सन् १९५३–५४, ५४–५५, ५५–५६, ५६–५७ और ५७–५८ में क्रमशः २२, ८ , ४, २ और १ नलकूप लगाए गए थे । इस कार्य के लिये प्रदेशीय सरकार ने सन् १९५४–५५ में इन नलकूपों पर १,८०,००० रु० अनुदान के रूप में दिया । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये १६ लाख पचास हजार रु० कर्ज दिया गया था ।

*५—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नलकूपों में से कितने काम कर रहे हैं और कितने बेकार पड़े हैं और इन नलकूपों को बिजली देने के लिये क्या कोई बिजली घर यूनियन द्वारा बनाया गया है? यदि हां, तो उसकी क्या दशा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उपरोक्त नल कूपों में से इस समय २३ नलकूप कार्य कर रहे हैं और १४ बेकार पड़े हैं। हां, नलकूपों को बिजली देने के लिये यूनियन द्वारा एक बिजली घर बनवाया गया है जिसकी दशा संतोषजनक है ।

*६—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त यूनियन की आडिट रिपोर्ट किस-किस साल में सरकार के सामने आयी है और वह रिपोर्ट क्या है और प्रत्येक वर्ष में यूनियन को कितना लाभ तथा हानि हुई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यूनियन की आडिट रिपोर्ट केवल सन् १९५८ में सरकार के सामने आयी थी। उसकी एक प्रति संलग्न है । सन् १९५२–५३ से ३०–६–६१ तक यूनियन की कुल नौ लाख, इक्यासी हजार पांच सौ अट्ठासी रुपये का नुकसान हुआ । वार्षिक विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०९—११० पर)

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस यूनियन के सभापति कौन महोदय हैं ? क्या वे अब कन्द्र के कोई मंत्री हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसके सभापति माननीय केशवदेव मालवीय हैं ।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि बभनान केन कोआपरेटिव यूनियन जो नलकूप चला रही है वह प्राफिट पर चल रहे हैं या नुकसान पर ? और प्राफिट या लास कितना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—अध्यक्ष महोदय, मैंने तफसील में बता दिया कि कितना नुकसान हुआ है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब सिंचाई विभाग के ट्यूब-वैल्स वहां लगे हैं तो क्यों इस प्रकार की केन्द्रीय योजना बनाकर इतना पैसा बरबाद किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जिस वक्त इसकी प्लानिंग हुई होगी उस वक्त सेंटर ने इसके हर पहलू को देखकर मदद दी होगी।

श्री रामलखनसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो घाटे की रकम है उसका भार किस पर है और वह कैसे वसूल होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---घाटा तो यूनियन को हो रहा है, इसलिये वसूली का कोई सवाल नहीं है। कर्जा उससे वसूल किया जायगा।

कुंवर श्रीपाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि यूनियन को अभी तक १२ लाख रुपये का घाटा हो चुका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने अर्ज किया कि इस वक्त तक ९,८१,५८७ रुपया ९६ न० पैसा नुकसान हो चुका है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार यूनियन का पैसा बचाने के लिये ये सभी ट्यूबवैल्स सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित कर देगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---केन यूनियन की तरफ से सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था कि सरकारी सिंचाई विभाग इन कुओं को ले ले, उसके बाद सरकार ने यह फैसला भी किया कि सिंचाई विभाग लेने के लिये उनकी जांच-पड़ताल करे। जांच के बाद सिंचाई विभाग ने कुछ कारणों का जिक्र किया है, उनके आधार पर वे कहते हैं कि हम उनको नहीं ले सकते।

[२४ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

धर्मपुर, विशुनपुर से पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायत

*१---**श्री रामसुन्दर**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या धर्मपुर, विशुनपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के किसानों ने ६ सितम्बर, १९६० को जिलाधीश, आजमगढ़ के पास थाने के कुछ सिपाहियों द्वारा फसल कटवाने की लिखित शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। जिलाधीश, आजमगढ़ के कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

*२---**श्री रामसुन्दर**---क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और क्या शिकायत करने वालों से बयान भी लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- प्रश्न नहीं उठता।

*३---**श्री रामसुन्दर**---[१२वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद तथा नैनी को और विद्युत् देने का आश्वासन

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में १ अप्रैल, १९६२ को जब विद्युत् उपमंत्री पधारे थे तो वहां के डिपुटेशन वालों से मिलने पर उन्होंने यह कहा था कि बिजली कारखाना चलाने हेतु तथा निजी कार्य के लिये बिना किसी रुकावट के दी जायगी? यदि हां, तो कब से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इलाहाबाद में दिसम्बर, १९६२ तक रिहन्द से और बिद्युत् लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। उसके पश्चात् बिजली की व्यवस्था इलाहाबाद और नैनी में और ठीक हो जायगी। बिजली कम्पनी बिना किसी रुकावट के निजी कार्यों के लिए, बत्ती तथा पंखों इत्यादि के लिये, बिजली दे सकती है। बिजली कम्पनी को १७ मई, १९६२ को यह आदेश दे दिये गये हैं कि हर प्रकार के उद्योगों के लिए १० हार्स पावर तक के पावर कनेक्शन बिना किसी रुकावट के दे।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के ननी Industrial area तथा नगर में इस समय कितनी बिजली पावर हाउस द्वारा दी जाती है और किस किस रेट से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय नैनी औद्योगिक क्षेत्र में २८०० किलोवाट तथा इलाहाबद नगर क्षेत्र में ९४०० किलोवाट बिजली यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, इलाहाबाद, द्वारा दी जाती हैं।

उक्त बिजली कम्पनी की बिजली की दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १११–११२ पर)

हिन्दी शब्दकोश समिति द्वारा तैयार किये गये कोश

*६—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २९ अगस्त, १९५७ ई० को मेरे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या दो में सरकार ने कहा था कि सरकारी दफ्तरों, कचहरियों आदि में इस्तमाल की जाने वाली हिन्दी में कठिन संस्कृत के शब्दों का इस्तमाल न हो सके, इसके लिये प्रक्रिया शब्दावली निश्चित करने के लिये एक समिति बनाई है? क्या अब समिति द्वारा वह डिक्शनरी तैयार हो गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस सम्बन्ध में विशेष सूचना एक विवरण-पत्र में दी गयी है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११३ पर)

*७–९—श्री ऊदल—[३० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ११–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०–११—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

भदोही के कालीन बुनकरों की मजदूरी

*१२—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—श्रम मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या कालीन बुनकरों पर निम्नतम मजदूरी का नियम लागू होता है? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नियम के अन्तर्गत भदोही के कालीन बुनकरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी हां,। निर्धारित न्यूनतम वेतन सिवाय बूटेदार (designed) कालीन बनाने वालों को छोड़ कर बाकी सभी श्रेणी के मजदूरों को, जिनके लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित है, दी जा रही है।

*१३—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में कालीन बुनकरों की संख्या ज्ञात है ? यदि हां, तो वह कितनी है और यदि नहीं, तो क्या सरकार उनका सर्वे कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। सर्वे कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

*१४—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस समय कुल कितने कालीन बुनकर बेकार पड़े हैं और उनकी बेकारी के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बेकार कालीन बुनकरों की संख्या ज्ञात नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई जांच श्रम विभाग द्वारा नहीं की गई है।

सैनापार डिस्पेन्सरी पर व्यय

*१५—**श्री चन्द्रजीत**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनापार स्थित, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़, की डिस्पेन्सरी में इस समय कितना स्टाफ है और अलग-अलग उनका मासिक वेतन कितना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय चार कर्मचारी हैं जिनका अलग २ मासिक वेतन निम्नांकित है:—

	रु० प्रति मास
१—चिकित्साधिकारी	१६०
२—कम्पाउन्डर	८७
३—भृत्य	६५
४—अल्प-कालिक मेहतर	१०

*१६—**श्री चन्द्रजीत**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त डिस्पेन्सरी को दवा के हेतु प्रति माह कितना रुपया सरकार की ओर से प्राप्त होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औषधालय को दवाओं के लिये प्रति वर्ष ५०० रु० का प्राविधान है, मासिक नहीं।

फाफामऊ रेलवे क्रासिंग पर ट्रक-ट्रेन भिड़न्त

*१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के फाफामऊ रेलवे क्रासिंग (Crossing) पर १६ अप्रैल, १९६२ को रेल तथा ट्रक (Truck) लड़ गयी थी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे तथा उसमें कितने आदमी मरे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, रेलवे गेट का एक तरफ का फाटक बन्द हो चुका था कि अचानक एक फर्म की प्रोपेगेन्डा वान दूसरी तरफ के खुले फाटक से अन्दर आ गई और काशी एक्सप्रेस से टकरा गई तथा इंजन के साथ-साथ गेट से लगभग १५ कदम तक घिसटती चली गई, जिसके फलस्वरूप एक आदमी की मृत्यु हुई तथा तीन घायल हुए।

बृजमनगंज व धानी को बिजली देने की प्रार्थना

*१८--श्री नरसिंहनारायण--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बृजमनगंज, धानी में गोरखपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से कब तक बिजली मिल जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बृजमनगंज क्षेत्र में लगभग ६ नलकूप बनाने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग के विचाराधीन है। जब उन नलकूपों को बिजली दी जायेगी तब ही बृजमनगंज का विद्युतीकरण करना सम्भव हो सकेगा। धानी बाजार का विद्युतीकरण करना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

*१९--श्री नरसिंहनारायण--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्थानों पर बिजली देते समय उद्योग-धंधों के लिये भी बिजली दी जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बृजमनगंज के विद्युतीकरण हो जाने पर यदि प्राविधिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो उद्योग-धन्धों के लिये भी बिजली दी जायेगी।

*२०-२१--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--[७ जून, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

कुसुम्ही कलां में रेलवे लाइन का तार कटना

*२२--श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरुआत में गाजीपुर जिले के कुसुम्ही कलां नामक स्थान पर रेलवे लाइन का तार काटने की जो घटना घटी है उसके बारे में क्या किसी अन्तर्प्रान्तीय या प्रान्तीय गैंग का पता लगा है ? यदि हां, तो वह कौन-सा गैंग है और उसका सरगना कौन है तथा सरकार इसकी रोक-थाम के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, इस घटना के सम्बन्ध में एक प्रान्तीय गैंग का पता चला है जो वाराणसी जिले का है। इस गैंग का सरगना रामचन्द्र उर्फ नवी गड़रिया थाना वाराणसी कैन्ट, जिला वाराणसी, का एक लापता हिस्ट्री शीटर है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा रही है और लाइन के किनारे गश्त की समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

करहल के विद्युतीकरण के लिये जांच

*२३--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की तहसील करहल में जो बिजली लगने का निश्चय हुआ है वह कब तक पूरा होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला मैनपुरी में करहल नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है। यदि यह विद्युतीकरण प्राविधिक रूप से सम्भव तथा लाभप्रद हुआ, तो इस नगर का विद्युतीकरण मैनपुरी-इटावा ३७ के० वी० लाइन के बन जाने पर हो सकेगा।

मल्लावां थाना क्षेत्र में डकैतियां व कत्ल

*२४--श्री मोहनलाल (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि १९६१ में जनवरी से दिसम्बर तक मल्लावां थाने, जिला हरदोई, में कितने कत्ल हुए, डकैतियां पड़ीं तथा जनवरी, फरवरी, मार्च, १९६२ में कितनी डकैतियां तथा कत्ल मल्लावां थाने, हरदोई जिला, में पड़ीं तथा उनमें से कितनी work out हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९६१ में ५ कत्ल तथा १ डकैती और जनवरी, १९६२ से मार्च, १९६२ तक २ कत्ल तथा ५ डकैती की सूचनायें थाने में दर्ज हुईं। सन् १९६१ के ५ कत्लों में से ३ तथा १ डकैती के मामले work out हुए। सन् १९६२ की उपरोक्त ५ डकैतियों में से अभी तक केवल १ डकैती का मामला work out हुआ तथा ३ डकैतियां तथा दोनों कत्ल के मामलों में अभी जांच हो रही है। एक डकैती की रिपोर्ट झूठी पायी गयी।

*२५--श्री मोहनलाल--[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ चुनाव संबंधित कोयलसा विकास खण्ड से याचिका

*२६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री मंगलदेव--क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कोयलसा विकास खंड से जिला अन्तरिम परिषद् के प्रतिनिधि के चुनाव के विरुद्ध सरकार के पास चुनाव याचिका (पिटीशन) आई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां ।

*२७--श्री उमाशंकर, श्री दौलतलाल तथा श्री मंगलदेव--यदि हां, तो वह कितने दिन से विचाराधीन है और क्यों निर्णय (फैसले) में देर हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उक्त चुनाव याचिका पर शासन का फैसला अब हो गया है ।

*२८-२९--श्री काशीनाथ--[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०-३१--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

भोजीपुरा थाना क्षेत्र में डकैतियां

*३२--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६० से दिसम्बर, १९६१ तक बरेली के भोजीपुरा थाने के अन्तर्गत कितनी डकैतियां पड़ीं और किन-किन ग्रामों में पड़ीं; उन डकैतियों में जान व माल का कितना नुकसान हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त अवधि में भोजीपुरा थाने के अन्तर्गत कुल ६ डकैतियां खतौना, जटुआ, सागलपुर, सिधाई, मनिहरा तथा सरौरा ग्रामों में पड़ीं । इन डकैतियों में २ व्यक्ति मारे गये तथा १४,५९३ रु० ५० न० पै० और १ बन्दूक का नुकसान हुआ ।

*३३--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या सरकार भोजीपुरा थाने को भोजीपुरा ब्लाक की इमारत के निकट ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

कायमगंज में सहकारी चीनी मिल न स्थापित करना

*३४--श्री सियाराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सहकारिता के आधार पर जो शक्कर मिल बनने जा रही थी वह किस स्थिति में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला फर्रुखाबाद में कायमगंज नामक स्थान पर सहकारी चीनी मिल लगाने के संबंध में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने देश में चीनी उत्पादन की अधिकता के कारण फिलहाल नई चीनी मिलों के स्थापित करने के लिये लाइसेंस देना रोक दिया है ।

*३५--श्री सियाराम--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहकारी शुगर मिल हेतु जनता द्वारा अभी तक कितनी रकम इकट्ठा हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस मिल के लगाने के लिये उस क्षेत्र के गन्ना किसानों द्वारा अभी तक शेयर की रकम कवल ४१,४१० रु० एकत्र हुई है ।

बाड़ेछीना–बेरीनाग मोटर सड़क की स्वीकृति

*३६––श्री हरीशकुमार गंगवार––क्या सरकार ने पिथौरागढ़-अल्मोड़ा जिलों के बाड़ेछीना-बेरीनाग मोटर सड़क का निर्माण स्वीकार कर लिया है ? अगर हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ? उस पर खर्चा कितना होगा तथा उसकी वर्तमान प्रगति क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी तक कथित सड़क के सिर्फ २४ मील हिस्से का जो पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है । अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से अभी सवक्षण की रिपोर्ट तथा प्रारम्भिक तखमीना नहीं प्राप्त हुआ है । इनके प्राप्त होने पर ही इस हिस्से के बनाने के प्रश्न पर विचार हो सकेगा । इस स्थिति में यह बतलाना संभव नहीं है कि यह २४ मील का हिस्सा कब तक बन जायेगा अथवा इस पर कितना खर्चा होगा । जहां तक अल्मोड़ा जिले में पड़ने वाले भाग का सम्बन्ध है, इसके निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पचपनसाला में सेवा मुक्त अधिकारी

*३७––श्री नरसिंह नारायण––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, सन् १९६१ को कितने गजटेड अफसर सरकारी सेवा से "५५ साले" की अवधि को पूरा कर कार्यभार से मुक्त होने वाले थे ? उनमें से कितने मुक्त हुये तथा कितने नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––४५१ । इनमें से ३९२ अफसर मुक्त हुये और ५९ मुक्त नहीं हुये ।

श्री बनारसीदास गौड़ द्वारा प्रकाशित पुस्तक

*३८––श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको कोई पुस्तक श्री बनारसीदास गौड़ मुगल सराय, वाराणसी, द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पुस्तक में जो आरोप हैं वे कहां तक सही हैं ?

*३९––क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बनारसीदास गौड़ मुगल-सराय, वाराणसी, द्वारा लिखित पुस्तक के आरोपों पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––श्री बनारसीदास गौड़ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक सरकार के सामने आई है । जैसा कि सदन में पहले बताया जा चुका है, सरकार ऐसे गैरजिम्मेदाराना ढंग से लगाये गये आरोपों पर एवं उस व्यक्ति के विरुद्ध जो इस प्रकार सत्य की उपेक्षा करे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझती ।

थाना इंचार्ज 'मीरी' द्वारा आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे

*४०––श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान थाना इंचार्ज मीरी, जिला खीरी, ने अपने समय में कुल कितने नाजायज असलहों की बरामदगी की और कितने मुकदमें दफा १९ आर्म्स ऐक्ट के मातहत चलाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––थाना इंचार्ज ने दि० २२–४––६१ से अब तक १३ नाजायज असलहों की बरामदगी की और इससे संबंधित १३ मुकदमें आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये ।

*४१––श्री छेदालाल चौधरी––[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला स्तर पर समाचार-पत्रों को सहायता देने की जानकारी

*४२––श्री हिम्मतसिंह––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जिला स्तर पर सभी समाचार-पत्रों को सहायता दी जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आयेगा और कब से प्रारम्भ किया जायगा और क्या इसके नियमों को सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री बनारसीदास---जिला स्तर पर समाचार-पत्रों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है । अतः अन्य प्रश्न ही नहीं उठते ।

चन्दौली में परगनाधीश का मुख्यावास स्थापित करने की आवश्यकता

*४३---**श्री उमाशंकर** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अक्तूबर सन् १९६१ में प्राप्त हुआ है कि जिला वाराणसी की तहसील चन्दौली में तहसील के परगना हाकिम का कार्यालय तथा न्यायालय चन्दौली खास में खोला जाय ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता : सरकार ने स्वयं ही इस प्रस्ताव पर विचार किया था परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसको कार्यान्वित करना सम्भव न हो सका ।

आई० ए० एस० अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*४४---**कुंवर श्रीपाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन I.A.S. आफीसर्स पर जो अब तक जिलाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं उनके किसी आपत्तिजनक काम पर उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है या गत ६ मास में समाप्त हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केवल एक अफसर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

*४५---**कुंवर श्रीपाल**---क्या सरकार उन मामलों का संक्षिप्त ब्योरा और उन पर यदि किसी मामले में कार्यवाही समाप्त हो गई है तो निर्णय या जिसमें कार्यवाही जारी हो तो जांच की प्रगति बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कार्यवाही का अन्तिम फैसला अभी नहीं हो सका । इस कारण उसका ब्योरा देना उचित न होगा ।

*४६---**कुंवर श्रीपाल**---ऐसे अफसर के प्रति दौरान जांच क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

*४७-४८---**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)---[२९ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १३८-१३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में कुछ ग्रामों को बिजली देने के लिये जांच

*४९---**श्री रामकिशोर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के ललौली, अमौली, कोरकिनक, जाफराबाद ग्रामों को बिजली प्रदान करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को कब तक बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अमौली ग्राम को छोड़कर समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण की जांच हो रही है । अमौली नगर के लिये भी जांच की जायेगी और यदि प्रावैधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हो सका तो यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्पन्न हो जायेगा ।

खीरी जिले में चोरी से कत्था बनाने वालों की रंगे हाथों गिरफ्तारी

*५०---**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानपारा तहसील, जिला बहराइच, के एस० डी० एम० तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मार्च, १९६२ में खीरी जिले के कितने लोगों को बिना खीरी के अधिकारियों की अनुमति के हिरासत में लिये गये तथा उनका कितना माल जब्त किया गया ? क्या इस विषय में कोई पत्र मार्च, १९६२ में मुख्य मंत्री जी को भी मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रधान, ग्राम समाज, भरथापुर, थाना सुजौली, जिला बहराइच, द्वारा २२ मार्च, १९६२ को सुजौली थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई कि खीरी, लखीमपुर और बहराइच जिले के कतिपय व्यक्तियों ने उनके ग्राम समाज के जंगल से खैर के असंख्य पेड़ों को चोरी से काट लिया है और कत्था बना रहे हैं । एस० डी० एम० नानपारा ने पुलिस की सहायता से पांच व्यक्तियों को, जिनमें सब खीरी जिले के थे, मौके पर ही उक्त अपराध के विषय में पकड़ लिया और निम्नलिखित सामान सरकारी कब्जे में कर लिया--२५ टीन और १५८ हंडिया तरल कत्था, १२२ झावा गीला कत्था और १५० चट्टा कुकाठ की लकड़ी । अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । दिनांक २५--३--६२ को एक पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

विकास खंडों में प्रगति सहायकों का कार्य तथा वेतन

*५१--**श्री मैनेजर** (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंडों में क्षेत्र स्तर पर प्रगति सहायकों के रखने का क्या प्रयोजन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--विकास खंडों में प्रगति सहायकों को सामुदायिक विकास कार्य से सम्बन्धित आंकड़ों को प्राप्त करके उसको ठीक तरीके से संकलन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु रखा गया है । आंकड़ों की विश्वसनीयता के हेतु उनको विकास कार्य सम्बन्धी आंकड़ों की स्थल पर जांच करने का भी कार्य सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर विकास खंडों में किये जाने वाले आर्थिक एवं सांख्यिकीय सर्वेक्षण में आंकड़े एकत्रित करना अथवा उनकी जांच करना भी इनका काम है ।

*५२--**श्री मैनेजर**--क्या सरकार को पता है कि प्रगति सहायक एक क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ता होते हुये भी अन्य क्षेत्रस्तरीय कार्यकर्त्ताओं से न्यूनतम वेतन पाता है, जबकि उनकी निम्नतम शैक्षणिक योग्यता अन्य कार्यकर्त्ताओं से अधिक है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रगति सहायकों का वेतनक्रम सहायक विकास अधिकारियों वेतनक्रम से कम है क्योंकि प्रगति सहायक का अधिकांश कार्य आंकड़ों की प्राप्ति और उसके संकलन आदि का होता है जो अन्य सहायक विकास अधिकारियों के कार्य से भिन्न है । सहायक बिकास अधिकारी अपने विषय का विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त संबंधित विकास कार्यक्रम पूरे विकास क्षेत्र में योजनानुसार चलाने का जिम्मेदार होता है । यह जिम्मेदारी प्रगति सहायक के कार्य से उच्चतर जिम्मेदारी मानी गई है । जहां तक शैक्षिक योग्यता का प्रश्न है, प्रगति सहायकों की निम्नतम योग्यता ग्रेजुएट है तथा सहायक विकास अधिकारियों की निम्नतम योग्यता सम्बन्धित बिषय में ग्रेजुएट अथवा उसके समान है ।

*५३--५४--**श्री मंगलदेव**--[हटा दिये गये ।]

अयाना अस्पताल का भवन न होना

*५५--**श्री सुखलाल**--क्या सरकार जिला इटावा, तहसील औरय्या, विकास खंड औरय्या, अयाना डिस्पेन्सरी का अस्पताल भवन बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

*५६--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अयाना अस्पताल के लिये कोई जगह ऐक्वाबर कर ली है ?

*५७--क्या डिस्पेंसरी अस्पताल के लिये निर्माण-कार्य को रुपया मन्जूर हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*५८—श्री भोखालाल—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में विद्युतीकरण

*५९—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में १९५७, १९५८, १९५९, १९६०, १९६१, १९६२ ई० में किन-किन ग्रामों और टाउन एरिया में बिजली लगाई गई है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर बिजली लगाने की योजना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६०-६१ से पहले गाजीपुर जिले के किसी भी नगर का विद्युतीकरण नहीं हुआ। १९६०-६१ में तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित नगरों का विद्युतीकरण हुआ—

१९६०-६१	.. ..	सैदपुर मोहम्मदाबाद शेरपुर बहादुरगंज मनियार
१९६१-६२	.. ..	गोसपुर मरदाह

दिलदारनगर तथा जमनिया का विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मन्जूर हो गया है।

*६०—श्री रघुवीर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में कस्बा बहादुरगंज टाउन एरिया की तरफ से आज से ६ माह पहले जनता द्वारा बिजली का पावर बढ़ाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

"हैन्डीक्राफ्ट" शो रूम, हैदराबाद में कथित गबन

*६१—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के "हैंडीक्राफ्ट शो रूम" हैदराबाद में १९६० से १९६२ तक कितना रुपया गबन हुआ? यदि हां, तो गबन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; नहीं, तो क्यों नहीं?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—सन् १९६० से १९६२ तक उत्तर प्रदेश सरकार के हैन्डीक्राफ्ट शो रूम में हैदराबाद में कोई गबन नहीं हुआ।

गोरखपुर में फर्टीलाइजर फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय

*६२—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि रासायनिक खाद कारखाना गोरखपुर में ही खुलेगा और यह अब दोनों सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय एवं उद्योग मन्त्रालय में बातचीत के बाद अन्तिम रूप से तय हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ प्रतिबन्धों के आश्वासन पर भारत सरकार के सुरक्षा मन्त्रालय को अब फर्टिलाइजर फैक्टरी के गोरखपुर में लगने में कोई आपत्ति नहीं है। यह सूचना अभी हाल में राज्य सरकार को उद्योग मन्त्रालय से प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उपरोक्त फैक्ट्री गोरखपुर में ही लगाने का निश्चय किया है।

*६३-६४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेशीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के विचाराधीन मामले

*६५—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के सामने १ जनवरी, १९६१ से अब तक सरकारी कर्मचारियों के कितने वाद प्रस्तुत हुये, उनमें से कितनों पर निर्णय हुआ तथा हर मामले में कितना समय औसतन लगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, १९६१ से अब तक उत्तर प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के पास ३ मामले भेजे गये जिनमें से २ मामले वापस ले लिये गये तथा एक मामला अभी ट्रिब्युनल के विचाराधीन है।

जो मामला अभी ट्रिब्युनल के विचाराधीन है वह २४ मार्च, १९६१ को उसके पास भेजा गया था। २ जून, १९६१ को इस मामले में अतिरिक्त अभियोग ट्रिब्युनल के पास भेजा गया। इस मामले को ट्रिब्युनल के पास भेजे हुये अब तक १ वर्ष २ मास हुये।

*६६—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

मलिहाबाद थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*६७—**श्री भोखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती भगाना विधवा मड़ेई, निवासी औलियाखेड़ा, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ, ने कप्तान साहब पुलिस लखनऊ को दिनांक २२ अप्रैल, १९६२ को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि उसके दो लड़कों व गांव के अन्य दो आदमियों को पुलिस थाना मलिहाबाद ने बिना किसी वजह के थाने में बैठा रक्खा है और बुरी तरह पीट रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले का पूर्ण विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमती भगाना ने २२-४-६२ को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था वरन् वे एस० पी० से मिली थीं और उन्होंने मौखिक रूप से पुलिस द्वारा अपने लड़कों को एक डकैती के मामले में फंसाये जाने की शंका प्रकट की। जांच करने एस०पी० उसी दिन थाने गये। वहां चार व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें श्रीमती भगाना के पुत्र भी थे। पूछ-ताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। इन लोगों ने एस० पी० से मार पीट की शिकायत नहीं की।

*६८—**श्री भोखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ को शिव लाल व तीन अन्य व्यक्ति निवासी ग्राम औलिया खेड़ा थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ, ने पुलिस-कप्तान साहब, लखनऊ को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन लोगों को पुलिस थाना मलिहाबाद ने अवैधानिक तौर से थाने में रोक रखा है और बुरी तरह पीटा ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। शिकायतों की जांच की जा रही है।

विद्युत् विभाग में एक ही स्थान पर काम करने वाले पुराने अधिकारी

*६९—**श्री भगवानदास**—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार के पावर (Power) विभाग में इस समय कितने गजटेड अफसर हैं जिनको एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक उस पर कार्य करते हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिहान्ड (पावर) संगठन में १९ तथा इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर के संगठन में १४ गजटेड अफसर हैं जिनको एक स्थान पर कार्य करते ३ साल से अधिक हो गया है।

*७०—**श्री भगवानदास**—क्या सरकार को मालूम है कि सेक्रेटरी पावर व चेयरमैन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, को इसी प्रकार लखनऊ में रहते १० साल से ज्यादा हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां ।

*७१---**श्री भगवानदास**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट यू० पी० की नियुक्ति का कान्ट्रेक्ट सुपरएनुऐशन एज आफ ५८ के आधार पर किया गया था या ५५ के आधार पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---शुरू में इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर की नियुक्ति का कांट्रेक्ट सुपरएनुयेशन एज ५५ के आधार पर किया गया था। सुपरयेनुशन एज ५८ हो जाने पर उनकी नियुक्ति का कांन्ट्रेक्ट तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया ।

गांधी पार्क अस्पताल, मथुरा को सहायता देने की प्रार्थना

*७२---**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी पार्क सेवा समिति, मथुरा, के अस्पताल को सालाना सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल ५० साल से सेवा कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में उक्त अस्पताल को सहायता देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सेवा समिति मथुरा की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक शाखाओं को पिछले वर्षों में अनावर्तक अनुदान दिया जाता रहा है । गांधी पार्क अस्पताल के नाम से अलग से कोई अनुदान नहीं दिया गया है । शासन को ज्ञात हुआ है कि सेवा समिति मथुरा के चिकित्सालय की स्थापना सन १९१९ में हुई थी, फिर भी यदि गांधी पार्क सेवा समिति के नाम का कोई अन्य अस्पताल है तो सरकार उस संस्था की जानकारी करने के पश्चात् सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

*७३---**श्री लखीसिंह**---क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा सेवा समिति की तरफ से कोई सहायता की मांग हाल में सरकार से की गई है और सरकार ने ३,५०० रुपये एक मुश्त सहायता दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। गत वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सेवा समिति की ओर से सहायता की मांग की गई थी और उक्त वर्ष निम्नलिखित अनावर्तक अनुदान दिये गये थे ।

		रु०
(क)	एलोपैथिक शाखा हेतु	१,५००
		२,०००
		२,५००
		६,०००
(ख)	आयुर्वेदिक शाखा हेतु	१,०००
(ग)	होम्योपैथिक शाखा हेतु	५००

३५०० रुपये की एक मुश्त सहायता नहीं दी गई ।

*७४---**श्री टम्बेश्वरीप्रशाद**---[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नवानगर अस्पताल में डाक्टर न होना

*७५---**श्री जगरनाथ** (जिला बलिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत नवा नगर अस्पताल में डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कितने दिनों से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, नवानगर अस्पताल में २३ अगस्त, १९६१ से डाक्टर नहीं है ।

*७६--**श्री जगरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवानगर, जिला बलिया, के अस्पताल के मरीजों के दवादारू तथा देखभाल के लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नवानगर, जिला बलिया, में दो चिकित्सालय (एक पुरुष और एक महिला) सरकार की ओर से कार्य कर रहे हैं। इन चिकित्सालयों में रोगियों की दवादारू तथा देखभाल के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है --

१--पुरुष चिकित्सालय--

(क) २,५०० रुपये प्रति वर्ष औषधियों के लिये,
(ख) ५०० रुपये प्रति वर्ष आकस्मिक व्यय के लिये,
(ग) २५० रुपये प्रति वर्ष भवन की मरम्मत तथा सफाई के लिये,

रोगियों की भर्ती के लिये ४ शय्याओं का प्रबन्ध है। चिकित्सालय में एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर, एक वार्ड ब्वाय और एक मेहतर का प्रबन्ध है।

२--महिला चिकित्सालय--

(क) २,५०० रुपये प्रति वर्ष औषधि के लिये,
(ख) १,५०० रुपये प्रति वर्ष रोगियों के भोजन के लिये,
(ग) २५० रुपये प्रति वर्ष आकस्मिक व्यय के लिये,
(घ) २०० रुपये प्रति वर्ष साज-सज्जा के लिये,
(ङ) १५० रुपये प्रति वर्ष रोगियों के कपड़ों के लिये।

रोगियों की भर्ती के लिये ६ शय्याओं का प्रबन्ध है। चिकित्सालय में आई हुई महिला रोगियों को हर तरह की उपलब्ध औषधियां एवं सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। चिकित्सालय में एक लेडी डाक्टर, दो सिडवाइफ कम्पाउन्डर, एक चौकीदार और एक मेहतरानी का प्रबन्ध है।

*७७--**श्री जगरनाथ**--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत नवानगर के जनाना अस्पताल पर भी बहुत दिनों से लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

प्रदेश में लेडी डाक्टरों की अत्यन्त कमी होने के कारण नवानगर जनाना अस्पताल, जिला बलिया, में १-२-१९६१ से लेडी डाक्टर नहीं है।

*७८-७९--**श्री रामकिशोर**--[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०--**श्री शीवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)--[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बिलराया सेंटर पर गन्ने की खरीद बन्द करना

*८१--**श्री रामचरण शाह**--क्या सरकार बतायेगी कि सन् ६२-६३ के सीजन में जिला खीरी में हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला के बिलराया सेंटर की ओर से गन्ना खरीद बन्द करने का नोटिस काश्तकारों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। इस आशय का नोटिस बिलराया क्षेत्र के किसानों को २४-२-६२ को दिया गया ताकि उन्हें यथासमय सूचना मिल जावे और वे उतना ही गन्ना उत्पादन करें जिसकी खपत वे अपने कोल्हू इत्यादि में कर सकें।

अचलगंज के थानेदार का जख्मी होना

*८२—**श्री रघुवीर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत थाना अचलगंज में अप्रैल, १९६२ में कोई डकैत पड़ी है जिसमें थानेदार को भी चोट लगी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। जो घटना हुई वह धारा ४५८ भा० दं० वि० की पाई गई और इसमें थाने के अफसर दोयम को भी चोट लगी।

*८३—**श्री रघुवीर**—[हटा दिया गया।]

*८४-८५—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बभनान केन यूनियन के अन्तर्गत समितियां

*८६—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बभनान केन यूनियन के अन्तर्गत कितनी गन्ना समितियां हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—बभनान केन यूनियन, जिला बस्ती के अन्तर्गत ९०१ गन्ना समितियां हैं।

*८७—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार केन यूनियन बभनान, जिला बस्ती, के प्रत्येक गन्ना समिति के डेलीगेटों की सूची, पिछले ५ वर्षों की, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—केवल तीन वर्षों में १९५६-५७, १९५९-६० तथा १९६०-६१ की डेलीगेटों की सूची उपलब्ध हो सकी है जो कि हमारे कार्यालय में देखी जा सकती है।

*८८—**श्री रामलखनसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बभनान केन यूनियन का सालाना जलसा पिछले ५ वर्ष में कितनी बार और कितने दिन पर किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—केन यूनियन, जिला बस्ती, का सालाना जलसा वर्ष १९५४-५५ तथा १९५५-५६ का २६-५-१९५७ को हुआ था।

गदहवा ग्राम की डकैती व आतशजनी की जांच

*८९—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार को पता है कि ग्राम गदहवा मशमूले परगना मनोगा, तहसील गोंडा, थाना इंटियाथोक, जिला गोंडा, में मार्च सन् १९६२ई० में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। कोई डकैती नहीं पड़ी।

*९०—**श्री गंगाप्रसाद**—उपरोक्त ग्राम में डकैतों द्वारा आग लगाये जाने पर कितने धन जन की हानि हुई और डकैती व आतशजनी में कितने व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट हुई थी? उनमें किन-किन व्यक्तियों पर पुलिस ने कार्यवाही की ? उनके नाम तथा पता क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त ग्राम में कोई डकैती नहीं पड़ी। कुछ व्यक्तियों ने रंजिश के कारण डकैती के मुकदमे की झूठी रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। जांच से मामला मारपीट व आतशजनी का पाया गया। आतशजनी में एक घर के दो छप्पर व दरवाजा जला दिये जाने से लगभग ४० रु० की हानि हुई। इसमें कोई जन हानि नहीं हुई। डकैती व आतशजनी की थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट में नामजद किये गये व्यक्तियों के नाम व पता

संलग्न तालिका में दिये हैं। जांच के फलस्वरूप उक्त व्यक्तियों को रंजिश के कारण नामजद किया जाना पाया गया, इसलिये उनके विरूद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*९१—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त डकैती व ग्राम जला देने के सम्बन्ध में कौन-कौन पुलिस अधिकारी जांच के हेतु मौके पर गये ? क्या सरकार जांच की पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाने पर डकैती व आतशजनी की रिपोर्ट होने पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी जांच के लिये थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर गये थे जांच से मुकदमा डकैती का नहीं बल्कि मारपीट व आतशजनी का पाया गया, इसलिये मुकदमा धारा १४७/४५२/३२३/४३६/भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया, जिसके संबंध में अभी जांच हो रही है।

ओझी खरगसेनपुर में श्री हरप्रसाद के घर चोरी

*९२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १—२ जनवरी, १९६२ की रात्रि में ओझी खरगसेनपुर, थाना कोतवाली फतेहपुर, में श्री हरप्रसाद के घर में हुई चोरी की सूचना पुलिस को दिनांक २ अप्रैल, १९६२ को लिखित दी गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और कितना धन चोरी गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१/२ जनवरी, सन् १९६२ की रात्रि में ओझी खरगसेनपुर थाना कोतवाली में श्री हर प्रसाद के घर में हुई चोरी की कोई लिखित सूचना पुलिस को २—४—६२ को नहीं दी गई। चोरी की प्रथम सूचना की रिपोर्ट श्री हर प्रसाद द्वारा २—१—६२ को की गई। १८,२७४ रु० का धन चोरी होना लिखाया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है।

*९३—९४—श्री गिरधारीलाल—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

औरैया को बिजली देने का आयोजन

*९५—श्री सुखलाल—क्या सरकार जिला इटावा की तहसील औरैया में बिजली लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, औरैया नगर को इस समय बिजली औरैया वाटर एन्ड एलेक्ट्रिक सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा दी जा रही है। राज्य विद्युत परिषद ने औरैया नगर में विद्युत प्रसारण एवं वितरण का कार्य स्वयं करने का निश्चय किया है और यह कार्य इस वर्ष में सम्पन्न हो जाने की आशा है।

यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पर पीपों का पुल बनाने की प्रार्थना

*९६—श्री सुखलाल—क्या सरकार जिला इटावा में तहसील औरैया के शेरगढ़ घाट में यमुना नदी पर पीपों का पुल बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शेरगढ़ घाट अंतरिम जिला परिषद इटावा के अधीन है। अतः सरकार द्वारा उस पर पीपों का पुल बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

*९७—श्री काशीनाथ—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्ट्री का स्थान

*९८—श्री रामसूरत (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले में जो उर्वरक फैक्टरी लगाने की योजना है उसके लिये कौन स्थान चुना गया है और उक्त फैक्टरी की क्या प्रगति अब तक हुई है तथा कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उर्वरक फैक्टरी गोरखपुर नगर के पास पड़ोस में ही स्थापित की जायेगी। ठीक स्थान का निर्णय फैक्टरी विशेषज्ञों द्वारा लिया जायेगा। फैक्टरी तैयार हो जाने के लिये कोई तिथि निश्चित करने के सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भेलसर थानान्तर्गत चोरी, डाके तथा कत्ल

*९९—**श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रैल सन् ६२ में थाना भेलसर, जिला बाराबंकी, के अन्तर्गत कितनी चोरी, डाके और कत्ल हुये और दस हजार रुपये से अधिक की कितनी चोरियां और किन स्थानों पर हुईं और कितनी चोरियों का पता लगाने में पुलिस सफल हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*१००—**श्री मुकुटबिहारीलाल**—क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चौकी नयागंज, कस्बा सिधौली, थाना भेलसर, जिला बाराबंकी, के अन्तर्गत दस हजार रुपये से अधिक की दो चोरियां अप्रैल सन् ६२ के एक सप्ताह के अन्दर हुईं; यदि हां, तो उसका पता लगाने में सरकार ने कोई सफलता प्राप्त की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, कस्बा रूदौली में हुई, संधौली नहीं। दोनों चोरियों में जांच हो रही है।

पंचायतराज निरीक्षकों का वेतन बढ़ाने पर विचार

*१०१—**श्री मैनेजर**—क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज निरीक्षक का वेतन क्रम कृषि, सहकारिता आदि के सहायक विकास अधिकारियों के वेतन क्रम से कम है; यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। इस विषमता को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अमरोहा क्षेत्र में गन्ने की फसल को रोगों से बचाने के उपाय तथा कुन्दन शुगर मिल पर किसानों का बकाया

*१०२—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, के मालिक की ओर से किसानों के गन्ने का १९५९–६० और १९६०–६१ के सीजन का कुल कितना रुपया बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर निर्दिष्ट सीजनों का गन्ने का मूल्य जो ३०–४–६२ को बकाया था वह इस प्रकार है :

सीजन	गन्ने का बकाया मूल्य
१९५९–६०	कुछ नहीं
१९६०–६१	८२३.४७
योग ..	८२३.४७

*१०३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि गन्ने की चालू फसल में गन्ने को सूखे की बीमारी लग जाने से अमरोहा केन सोसाइटी के क्षेत्र के किसानों का कुल कितना नुकसान हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—चालू फसल में सूखे की बीमारी का प्रकोप अत्यन्त साधारण था। ग्रसित खेतों में रोग का प्रकोप अनुमानतः ०·५ से १५ प्रतिशत तक रहा है। रोग के प्रकोप को देखते हुये फसल को कोई विशेष हानि नहीं हुई ।

*१०४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार ने गन्ने की इस भयानक और हानिकारक बीमारी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, रोक-थाम की उचित कार्यवाही की गई।

गाजीपुर जिले में पुलिस के विरुद्ध मुकदमे

*१०५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के खिलाफ ५ साल के अन्दर सेशन की अदालतों द्वारा स्ट्रिक्चर पास हुये थे और उन पर क्या कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की गई ?

*१०६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने कत्ल के मुकदमे पुलिस कर्मचारियों पर १० साल के अन्दर अदालतों में चले और इनमें कितनों की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गई और अन्तिम परिणाम क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा वह प्रश्न में मांगी गई सूचना की उपयोगिता को देखते हुए उचित न होगा।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली पर बकाया

*१०७—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, सीतापुर, पर सरकार का टैक्स, सेस मार्च सन् ६२ तक कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर सेस तथा क्रय-कर का निर्दिष्ट अवधि तक ६.८६ लाख रुपया बकाया था।

*१०८—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किसानों के गन्ने का दाम उपर्युक्त मिल पर मार्च सन् १९६२ तक कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त मिल पर निर्दिष्ट अवधि तक किसानों के गन्ने के मूल्य का ६.९२ लाख रु० बकाया था।

*१०९—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

भटनी चीनी मिल पर बकाया

*११०—श्री किसुना (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल्स भटनी, देवरिया, पर इस सीजन के गन्ने का दाम ३१ मार्च, ६२ तक कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर वर्तमान सीजन १९६१–६२ के गन्ने निर्दिष्ट तारीख को ९.८६ लाख ० बकाया था।

*१११—श्री किसुना—क्या मुख्य मंत्री उक्त रकम तुरन्त दिलाने का आदेश देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना आयुक्त ने इस बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है ।

*११२—श्री किसुना—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि भटनी चीनी मिल्स पर गत सीजन का (अ) कितना गन्ने का दाम बाकी है ? (ब) कितना आबकारी कर बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) इस मिल पर गत सीजन का गन्ने का मूल्य ३१.३.६२ को केवल ८१.०७ रु० बकाया था ।

(ब) आबकारी अर्थात् एक्साइज ड्यूटी केन्द्रीय सरकार द्वारा आरोपित की जाती है अतएव उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आगरा में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*११३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में कितने केस चोरियों, डकैतियों व कत्ल के थानों में रजिस्टर्ड हुये और उनमें से कितने अदालतों में भेज दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११६ पर)

*११४—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बढ़ती हुई चोरियों व गुन्डा गर्दी की रोक थाम के लिये कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

भटनी बाजार के विद्युतीकरण के लिये जांच

*११५—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि भटनी बाजार, जिला देवरिया में विद्युतीकरण कब तक होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला देवरिया में भटनी बाजार के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है । अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि वहां कब तक बिजली लगा दी जायेगी ।

मुगराबादशाहपुर के औद्योगिक उपभोक्ताओं से लिये गये विद्युत् कर की वापसी

*११६—श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, सन् १९५९ ई० से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली ड्यूटी (duty) से मुक्त कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । औद्योगिक उपभोक्ताओं को १ अप्रैल, १९५९ से विद्युतकर से मुक्त करने के आदेश प्रादेशीय सरकार ने जारी किये थे ।

*११७—श्री लालबहादुरसिंह तथा श्री माताप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के मुगराबाद शाहपुर टाउन के बिजली उपभोक्ताओं से अप्रैल, सन् १९५९ ई० से सितम्बर, १९५९ तक जो बिजली ड्यूटी (duty) वसूल की गई है उसे अभी तक उपभोक्ताओं को क्यों नहीं वापस किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विलम्ब का कारण यह था कि कर की रकम गलत खाते में जमा हो गई थी । उसके बाद यह ग्राम फैजाबाद डिवीजन से हटाकर वाराणसी डिवीजन में आ गया, इससे भी विलम्ब हुआ परन्तु अब कर का रुपया शीघ्र ही वापस कर दिया जायेगा ।

*११८-११९—**श्री राजा विक्रमशाह** (जिला शाहजहांपुर)—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२०—**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

ललितपुर में पुलिस द्वारा चोरियां कराने की शिकायत

*१२१—**श्री कृष्णचन्द**—क्या सरकार को ज्ञात है कि क्या ललितपुर नगर में अप्रैल, १९६२ में कई बार में कई दुकानों की तिजोरी तोड़ कर चोरी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । ऐसी दो घटनायें हुईं ।

*१२२—**श्री कृष्णचन्द**—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस सम्बन्ध में ललितपुर के नागरिकों ने वहां के अधिकारियों के समक्ष यह शिकायत की है कि इन चोरियों में कुछ पुलिस कर्मचारियों का हाथ है ? यदि हां, तो सरकार इन चोरियों का पता लगाने तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । शिकायत की जांच की गई किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये ।

*१२३-१२४—**श्री जगदीशप्रसाद**—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

छाता क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिये प्रार्थना

*१२५—**श्री लखीसिंह**—क्या सरकार मथुरा जिले के छाता क्षेत्र के लिये, जो पंजाब के जिला गुड़गांव से मिला हुआ है और जहां पंजाब की सीमा पर बिजली आ चुकी है, इस बिजली में से बिजली लेने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पंजाब हाइडिल ग्रिड से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने पर उस बिजली में से बिजली लेकर छाता क्षेत्र के विद्युतीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

*१२६—**श्री लखीसिंह**—क्या यह सत्य है कि छाता क्षेत्र के गांवों से करीब एक दो मील दूर पर बिजली है ? यदि हां, तो सरकार को इस बिजली के लेने में क्या बाधायें हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय छाता क्षेत्र के गांवों से निकटतम ११ के वी लाइन एक दो मील पर नहीं बल्कि लगभग १४ मील की दूरी पर है जिसके कारण बिजली पहुंचाना प्राविधिक व आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

*१२७—**श्री गोपीनाथ दीक्षित** (जिला उन्नाव)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर औद्योगिक आस्थान के लिये भूमि की प्राप्ति

*१२८—**श्री गोपीनाथ दीक्षित**—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव शहर में बनने वाली इंडस्ट्रियल स्टेट योजना किस स्थिति में है और कब तक इसके पूर्ण होने की आशा है ?

श्री फूलसिंह—अमुक औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) के लिये १०.३१ एकड़ भूमि लखनऊ-कानपुर मार्ग पर प्राप्त कर ली गई है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भवन निर्माणार्थ हस्तान्तरित कर दी गई है । आशा है कि भवन का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा तथा १५ माह के अन्दर समाप्त हो जायगा ।

*१२९—**श्री गोपीनाथ दीक्षित**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलनी कब तक प्रारम्भ होगी, जिससे उस जिले में छोटे उद्योग पनप सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्नाव जिले में बिजली माताटीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम १३२ के०वी० लखनऊ-कानपुर लाइन तथा ३३ के०वी० सब-स्टेशन के बन जाने पर सन् १९६४ के अन्त तक दी जाने की सम्भावना है ।

कानपुर बिजलीघर को रिहन्द एवं हरदुआगंज से मिलाने की योजना

*१३०—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कानपुर के बिजली केन्द्र को हरदुआगंज, मैनपुरी तथा रिहन्द बिजली केन्द्रों से मिलाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर के बिजलीघर को रिहन्द से संबंधित करने का कार्य आरम्भ हो गया है और दिसम्बर, १९६४ तक पूरा होने की आशा है । कानपुर को मैनपुरी होते हुये हरदुआगंज से मिलाने का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है परन्तु आशा है कि वह कार्य १९६५ में पूरा हो जायगा ।

*१३१—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले की ग्रान्ट ट्रंक रोड पर के अरौल, बिल्हौर, पूरा, शिवराजपुर व चौबेपुर ग्रामों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कब तक बिजली मिल जावेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन गांवों का सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इनका विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा ।

यूनानी तथा आयुर्वेदिक संस्थाओं की उन्नति के लिये जोशी कमेटी की सिफारिशों पर विचार

*१३२—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी संस्थाओं की उन्नति के निमित्त सुझाव देने के लिये निर्मित जोशी कमेटी के सुझावों को लागू कर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*१३३—**श्री सुखदेवप्रसाद**—यदि अभी सुझाव लागू नहीं किये गये हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

*१३४-१३६—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३७-१३८—**श्री दयाराम** (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिये गये ।]

*१३९—**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर)—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४०-१४१—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

वी० डी० बाजोरिया अस्पताल, सहारनपुर

*१४२--श्रीमती शकुंतलादेवी (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर के वी० डी० बाजोरिया अस्पताल को सरकार द्वारा कितनी सालाना आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वी० डी० बाजोरिया अस्पताल, सहारनपुर एक राजकीय अस्पताल है । अतः उसको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता । इस अस्पताल पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

*१४३--श्रीमती शकुंतलादेवी--क्या सरकार बतायेगी कि इस अस्पताल में कितने डाक्टर तथा कम्पाउन्डर ट्रेन्ड हैं जो कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अस्पताल में १० डाक्टर तथा ८ ट्रेन्ड कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं ।

*१४४--श्रीमती शकुंतलादेवी--क्या ट्रेन्ड कम्पाउन्डर बढ़ाये हैं ? यदि हां, तो कितने या बढ़ाने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अस्पताल में ट्रेन्ड कम्पाउन्डर के पद बढ़ाये नहीं गये हैं और न उनकी संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*१४५-१४६--श्री ऊदल--[७ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के स्थानान्तरण पर विचार

*१४७--श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण एक जिले में ३ वर्ष बीतने पर भी अभी तक नहीं हो पाया ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण तुरन्त करने की कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश में इस समय ४६ बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्य कर रहे हैं । उनमें से ८ ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण एक जिले में ३ वर्ष बीतने पर अभी तक नहीं हुआ है । उनके स्थानान्तरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत औद्योगिक तथा अन्य मदों के लक्ष्य में व्यय

*१४८--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का व्यय तथा उत्पादन का लक्ष्य औद्योगिक तथा अन्य मदों में क्या था ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--आरम्भ में नियोजन आयोग ने राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये कोई धनराशि पहले से निर्धारित नहीं की थी । राज्य ने प्रारम्भ में ८६ करोड़ रुपये का प्रारूप बनाया था । योजना के अन्त तक इसका आकार लगभग १५३ करोड़ रुपये का हो गया ।

उत्पादन के कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११७-११९ पर ।)

*१४९--श्री गेंदासिंह--व्यय के लक्ष्य में से कितनी रकम खर्च उक्त अवधि में हो सकी और यदि कम खर्च हुई तो मुख्य कारण उसके क्या थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कुल व्यय १५३ करोड़ का हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया हुआ है । कम खर्च होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११७--११९ पर)

*१५०--**श्री गेंदासिंह**--दूसरी पंचवर्षीय योजना के उक्त लक्ष्य क्या थे और व्यय किस प्रकार हुआ तथा व्यय कम होने के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--दूसरी योजना के व्यय का लक्ष्य, कुल अनुमानित व्यय तथा उत्पादन के कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया हुआ है :--

कम खर्च होने के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:--

(अ) विदेशी मुद्रा का अभाव,

(ब) केन्द्रीय सरकार से योजनाओं की स्वीकृतियां मिलने में विलम्ब,

(स) भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियों की अप्राप्यता, विशेषतः लोहे और कोयले की कमी,

(द) प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी, तथा

(य) विभिन्न योजनाओं के लिये जमीन प्राप्त करने में देरी ।

इन पर विस्तृत प्रकाश नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित 'तीसरी पंचवर्षीय योजना' नामक पुस्तक के पृष्ठ २३--२४ पर डाला गया है जो सदन में वितरित की जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११७--११९ पर ।)

*१५१--**श्री बसंतसिंह**--[हटा दिया गया ।]

*१५२--१५३--**श्री संतसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)--[२८ मई, १९६२ के लिए प्रश्न ११६--११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५४--**श्री राजेंद्रसिंह** (जिला एटा)--[७ जून, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

कुमायूं मंडल के विधायकों की हल्द्वानी में बैठक

*१५५--**श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि कुमाऊं मंडल के विधायकों एवं विकास विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक दिनांक २०/२१ दिसम्बर, १९५८ को खास बंगला हल्द्वानी में हुई थी ? अगर हां, तो उसमें क्या प्रस्ताव पास हुये तथा क्या संस्तुतियां सरकार से की गई तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत प्रगति सहायक तथा ग्राम सेवक व सेविकायें

*१५६--**श्री चन्द्रजीत**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत Progress Assistant का कोई पद है ? यदि हां, तो इस पद पर कार्य करने वालों की न्यूनतम योग्यता, वेतन-क्रम और सेवा की अन्य क्या शर्तें हैं तथा राज्य में कुल कितने व्यक्ति इस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रगति सहायक का एक पद हर विकास खण्ड में होता है । इस पद के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता किसी

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषयों में स्नातक (Graduate) होना अथवा भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता के प्रथम भाग का प्रमाण-पत्र या बलवन्त विद्यापीठ, बिचपुरी से ग्रामीण सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना है। इस पद का वेतन-क्रम ८०—६—११०—दक्षता अवरोध—६—१४०—दक्षता अवरोध—१०—२०० रुपया है। चुने हुए लोग तीन मास तक प्रशिक्षित किये जाते हैं तथा उसके बाद उन्हें एक तत्संबंधी परीक्षा पास करनी पड़ती है। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को ३० रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र भरा लिया जाता है कि प्रशिक्षण के बाद एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले यदि वह नौकरी छोड़ेगा तो उसे ४०० रुपये शासन को, उसके प्रशिक्षण पर किए गये व्यय के भुगतान के रूप में देना पड़ेगा। अन्य शर्तें वही हैं जो अस्थायी कर्मचारियों के लिए होती हैं। ३१ मार्च, १९६२ तक राज्य में प्रगति सहायकों की संख्या ३७२ थी।

*१५७—**श्री चन्द्रजीत**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग में ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं की अलग-अलग क्या संख्या है और १९६१-६२ के बजट वर्ष में इनमें से अलग-अलग कितने विशेष कार्यों के लिये पुरस्कृत किये गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नियोजन विभाग में इस समय ग्राम सेवकों की संख्या ७१०५ तथा ग्राम सेविकाओं की संख्या ८२० है। १९६१-६२ में इनमें से १९ ग्राम सेवकों को पुरस्कृत किया गया है। कोई भी ग्राम सेविका पुरस्कृत नहीं की गई है।

कानपुर की विभिन्न मिलों पर विद्युत् कर का देय

*१५८—**श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री जगन्नाथ** तथा **श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय कानपुर में जे० के० ग्रुप तथा बी० आई० ग्रुप तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल पर प्रदेशीय सरकार का कितना-कितना बिजली के शुल्क का देय बाकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय जे० के० ग्रुप तथा बी० आई० सी० ग्रुप तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल पर प्रदेशीय सरकार का बिजली के शुल्क का कुछ देय बाकी नहीं है।

सिधौली तहसील में लघु उद्योगों के लिये अनुदान तथा ऋण

*१५९—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—क्या सरकार बतायेगी कि तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में १९५७-५८ से १९६१-६२ तक लघु उद्योग धन्धों को कितना अनुदान तथा कितना कर्जा दिया गया?

श्री फूलसिंह—तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में १९५७-५८ से १९६१-६२ तक लघु उद्योग-धन्धों हेतु रु० ८,१४१.०० अनुदान तथा रु० ५३,१८२.५० नये पैसे ऋण के रूप में दिया गया।

*१६०—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—क्या सरकार बतायेगी कि तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में कितने लघु उद्योग-धंधे चल रहे हैं तथा उनसे कितने लोगों को काम मिल रहा है?

श्री फूलसिंह—तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में लगभग २,३५० लघु उद्योग-धन्धे चल रहे हैं तथा उनके द्वारा लगभग ३,०५० व्यक्तियों को काम मिल रहा है।

बहराइच जिले के विकास खण्डों में परिगणित जाति के कर्मचारी

*१६१—**श्री रामअधार कनौजिया** (जिला बहराइच)—क्या यह सही है कि विकास आयुक्त द्वारा जिला नियोजन अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि विकास खंडों में जो चपरासी या डाकिया नियुक्त किये जायं वह परिगणित जाति से हों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*१६२—**श्री रामअधार कनौजिया**—यदि यह सही है, जिला बहराइच में यह कहां तक कार्यान्वित हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परिगणित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की इस जिले में कमी है। फिर भी जहां तक परिगणित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है।

*१६३—**श्री रामअधार कनौजिया**—जिला बहराइच के विकास खंडों में इन जगहों पर परिगणित जाति के कितने आदमी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला बहराइच में इन पदों पर परगणित जाति के १५ आदमी नियुक्त हैं।

मैनपुरी जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*१६४—**श्री बलवीरसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन् १९६२ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिला मैनपुरी में कितनी डकैतियां कत्ल, राहजनी तथा नकबजनी हुईं ? कृपया थानेवार सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२० पर)

कछपुरा हत्याकांड की जांच

*१६५—**श्री बनवारीलाल विप्र**—क्या मुख्य मंत्री को पता है कि १४/१५ मार्च, सन् १९६२ को ग्राम नदौता और कछपुरा, थाना डौकी, जिला आगरा में तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो उस केस में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १५-३-६२ को ग्राम कछपुरा, थाना डौकी में एक अमरूद के बाग में अमरूद तोड़ने पर बाग के रखवालों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें तीन रखवालों को डंडों से पीटा गया। दो रखवालों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मुकदमा भा० दं० वि० की धारा १४७/३०४/३२३ के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा मामले की जांच की जा रही है। इस मामले के तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

*१६६—**श्री बनवारीलाल विप्र**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में मृतकों के परिवार वालों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आगरा को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

ठठिया थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध की घटनायें

*१६७—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ नवम्बर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक ठठिया थाना, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कितनी चोरियां, राहजनी तथा डकैती हुईं ? किन-किन ग्रामों में हुईं ? उसमें कितने-कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२१-१२२ पर)

गिन्नी खेड़ा निवासी परसासिंह की हत्या

*१६८—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परसासिंह, निवासी ग्राम गिन्नी खेड़ा, थाना काशीपुर, जिला नैनीताल का कत्ल अगस्त, सन् १९६० में हुआ था और श्री हंसराम की रिपोर्ट पर ८ अगस्त, १९६० को लाश बरामद करके मुकदमा कायम किया गया था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम गंगापुर के प्रधान डा० हंसराज शर्मा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने एक लाश को एक खेत में बरामद किया। कुछ महीनों पश्चात् श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक उसका भाई परसासिंह था। लाश बरामद होने के बाद एक मुकदमा कायम किया गया था और उसकी पूर्णरूप से विवेचना की गई थी। विवेचन के फलस्वरूप कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जो यह प्रमाणित कर सके कि मृतक का कत्ल किन व्यक्तियों द्वारा हुआ। ऐसी परिस्थिति में विवेचना समाप्त कर दी गई।

*१६९—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मृतक के भाई श्री महेन्द्रसिंह ने एक प्रार्थना-पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय को दिनांक १३ मार्च, १९६२ को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, उस पर जांच की गई, परन्तु कोई तत्व नहीं निकला।

लघु सिंचाई योजनान्तर्गत अस्थायी कर्मचारी

*१७०—**श्री रघुवीर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी आज तक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभाग में करीब १० वर्ष से कार्य कर रहे हैं और अब तक अस्थायी हैं ? यदि हां, तो अब तक इन कर्मचारियों को स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, कुछ कर्मचारी अस्थायी हैं जिसका कारण निम्न प्रकार है :

(१) कुछ कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

(२) कुछ को लोक सेवा आयोग ने स्थायीकरण के लिए स्वीकृत नहीं किया है।

(३) उक्त कर्मचारी आरम्भ में नियोजन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। अतः इस विभाग में उनके स्थायीकरण के पूर्व उनसे पूछा गया कि वे इस विभाग में रहना चाहते हैं अथवा सिंचाई विभाग को जाना चाहते हैं। यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कुछ ने अभी अपनी सहमति प्रकट नहीं की है।

(४) कुछ पदों की ज्येष्ठता सूची का कुछ कारणवश पुनरीक्षण हो रहा है।

खीरों परगना से लालगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट की जांच

*१७१—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत थाना लालगंज में खीरों परगना से दिनांक १६ मार्च, १९६२ से २० मार्च, १९६२ तक कितनी रिपोर्टें बलवा व आग लगाने की दर्ज की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक रिपोर्ट धारा १४३/१४४/१३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई।

*१७२—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज कराने वालों में ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको स्वयं डाका या १०९ में सजा हुई हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसे धारा १०९ जा० फौ० में पाबन्द किया गया था। डकैती में सजायाब कोई व्यक्ति नहीं था।

*१७३—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्टों की पुलिस ने जांच की या नहीं ? अगर जांच की तो पुलिस की जांच में मामले सत्य पाये गये या झूठ ? अगर जांच नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त रिपोर्ट के अनुसार कायम किये गये मामले की पुलिस द्वारा तफतीश जारी है।

फैजाबाद जिले के ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुखों के साथ कथित दुर्व्यवहार

*१७४—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद से २४ फरवरी, १९६२ को ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुखों का कोई प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश रिहन्द बांध नैनी, चुर्क सीमेंट फैक्टरी आदि देखने को सरकार की तरफ से भेजा गया है ? यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मण्डल के लिये कितना धन सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*१७५—**श्री सुखरामदास**—क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों को जिला वाराणसी कृष्णा धर्मशाला में पुलिस द्वारा परेशान (बेइज्जत) कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

*१७६—**श्री सुखरामदास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित ब्लाक प्रमुखों ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

बरेली-भूता सड़क पर कांडू नदी का पुल बनाने की प्रार्थना

*१७७—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में बरेली-भूता की कच्ची सड़क पर कांडू नदी का पुल बार-बार बनाया जाता है, हर बार क्यों नष्ट हो जाता है ? क्या सरकार उसे जून, १९६२ तक सही रूप से निर्माण करायेगी जिससे जनता को परेशानी न हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह पुलिया अन्तरिम जिला परिषद्, बरेली के अधिकार में है। अतः इसके रखरखाव की जिम्मेदारी परिषद् की है। प्राप्त सूचना के अनुसार अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा इसका निर्माण सन्, १९६२ तक होना सम्भव नहीं है।

सरायनाई–जलेसरपुर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*१७८—**श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—क्या विकास मन्त्री बतायेंगे कि जिला आगरा, तहसील एतमादपुर में सरायनाई से जलेसरपुर जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बनाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है और अब तक उस योजना पर कितनी प्रगति हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रश्नगत सड़क अन्तरिम जिला परिषद्, आगरा के अधिकार में है। उस पर किसी भी प्रकार के सुधार करने की जिम्मेदारी अन्तरिम जिला परिषद् की है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

खीरी जिले के भरतापुर घाट को नानपारा तहसील में स्थानान्तरण करने पर आपत्ति

*१७६---**श्री रामचरण शाह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी का भरता पर कौड़ियाला नदी का घाट बहराइच जिले के ग्राम समाज में ट्रांसफर किया गया है? अगर हां, तो कब?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्राप्त सूचना से यह विदित हुआ है कि भरतापुर घाट को १ अप्रैल, १९६२ से एस० डी० एम० नानपारा ने अपने आदेशानुसार ग्राम समाज भरतपुर जो जिला परिषद् बहराइच में है, को स्थानान्तरित कर दिया है। अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी का कहना है कि उक्त घाट उसके अधिकार में है और वह उसको नीलाम करती रही है। जिलाधीश खीरी को तार द्वारा आदेश दे दिये गये हैं कि वह जिलाधीश बहराइच से सम्पर्क स्थापित करके इस मामले की छानबीन करें तथा शासन को अपना प्रतिवेदन शीघ्र दें।

*१८०-१८२---**श्री रामसिंह**---[हटा दिये गये]

डाक्टर पी० एस० लाल, मेडिकल अफसर, परसपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१८३---**श्री सूरजलाल** (जिला गोंडा)---क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि डा० पी० एस० लाल, आफिसर परसपुर, जिला गोंडा के दुर्व्यवहार के विरुद्ध परसपुर तथा अन्य ग्रामों के लोगों के प्रार्थना-पत्र माह सितम्बर, सन् १९६१ तथा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये पत्र दिनांक २९ जून, १९६१ की प्रतिलिपि प्राप्त हुई? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डा० पी०एस० लाल, मेडिकल अफसर इंचार्ज, परसपुर डिस्पेंसरी, जिला गोंडा के दुर्व्यवहार के विरुद्ध परसपुर तथा अन्य ग्रामों के लोगों का प्रार्थना-पत्र माह सितम्बर, १९६१ में प्राप्त हुआ। इस विषय में केन्द्रीय सरकार को भेजे गये पत्र, दिनांक २९ जून, १९६१ की प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हुई। दिनांक रहित एक ऐसा पत्र, जिसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को भी भेजी गई थी, अवश्य प्राप्त हुआ।

उक्त पत्रों में लगाये आरोपों की जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले में रामपुर सड़क पर मोटर दुर्घटनायें

१---**श्री हरीशकुमार गंगवार**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ में बरेली जिले में रामपुर रोड पर फतेहगंज पश्चिमी और बरेली नगर के मध्य कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ?

२---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं और कारणों को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९६१ और १९६२ में अब तक कुल १२ मोटर दुर्घटनायें हुईं जिनमें ४ व्यक्ति मरे।

उक्त सड़क बहुत ज्यादा चालू है । उस पर दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर आदि का ट्रैफिक बहुत अधिक चलता है। उक्त रोड पर कई फैक्ट्रियां और कारखाने तथा कम्पनियां स्थित हैं और एक नई रबर फैक्टरी भी बन रही है। इनकी भी बहुत सी गाड़ियां इस सड़क पर चलती हैं। सड़क के दोनों ओर आबादी भी काफी है और व्यापारी आदि भी बहुत आते हैं, इन्हीं कारणों से मोटर दुर्घटनायें हो जाती हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये नगर पुलिस द्वारा गश्त का विशेष प्रबन्ध किया गया है, चौकी किले के पास एक ट्राफिक प्वाईंट बनाया गया है और समय-समय पर ट्रैफिक दिवस मनाने की योजना बनाई भी है जिसके अन्तर्गत मोटर तथा अन्य सवारियों की पुलिस द्वारा चेकिंग होती है और कानून भंग करने वाली सवारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। तेज चलने वाली मोटरों तथा ट्रकों की रफ्तार को चेक करने की स्कीम भी विचाराधीन है।

३—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रोड पर ३१ जनवरी, १९६२ को कलेक्टर बकगंज और बरेली के बीच में हुई मोटर दुर्घटना के फलस्वरूप मृत श्री अनोखेलाल व घायल श्री ओमप्रकाश पाठक से सम्बन्धित रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में ३१-१-६२ को थाना किला में एक अपराध सं० ४२ धारा २७९-३३७-३०४-ए० भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच के बाद ट्रक नं० यू० पी० एम० ४५०० के ड्राइवर मुन्नालाल का चालान किया जा चुका है।

४—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या यह सही है कि इस दुर्घटना से सम्बन्धित मोटर मालिक एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही करने में बिल्कुल ढील डाल दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—एक निवेदन मैं कर दूं कि नियम ४४ के अन्तर्गत अगर अध्यक्ष से कोई प्रश्न करना चाहे तो निजी रूप से कर सकता है और उसमें यह प्राविजन है कि अगर आपकी कोई दिक्कत हो तो उसे उनके कक्ष में जाकर, उनसे परामर्श करके, बातचीत करके सुलझा सकते हैं। सदन में प्रश्न करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—मुझे इस सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—तो आप मुझसे मिल लीजियेगा।

श्री लखीसिंह—मेरे पास प्रश्नों का एक पुलिन्दा है। आपने इन प्रश्नों को स्वीकृति दी है और वे एजेंडे पर छपे हैं, और रोजाना इन्तजार रहता है कि मेरे प्रश्न अब आयेंगे। जो प्रश्न छपे हैं वे नं० ७२, ७३, १२५, १२६, इस तरह से हैं और कई दिनों से ऐसा होता आ रहा है...

श्री अध्यक्ष—वह मैं समझ गया, आप कृपया बैठें।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कुछ सवाल मन्त्रियों के व्यक्तिगत भत्ते के बारे में रखे थे जिनके उत्तर ३ मई को दिये गये। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बतलाया कि कई दिन से प्रश्न रखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी निश्चित सूचना नहीं मिलती। फिर कार्यालय से पूछने पर मालूम हुआ कि आपके प्रश्न का उत्तर

३-५-६२ को दे दिया गया जब कि ८-५-६२ का प्रश्न उससे बिलकुल भिन्न था। तो माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उसका बिलकुल पता नहीं लगता। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो कर दी जाय कि कम से कम जो प्रश्न पूछे जांय उनके सही उत्तर माननीय सदस्यों को ठीक समय से मिल जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं नियम ४४ को पढ़ कर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है—"अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में दिया जा सकेगा" तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि अधिक अच्छा यही है कि आप अपनी कठिनाइयों को समझें और उन कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न करें। यहां सदन का समय लेने से कोई लाभ नहीं होता और इस तरह से वे कठिनाइयां सुलझ नहीं सकती हैं। तो अधिक अच्छा यही है कि जो आपकी कठिनाइयां हैं उनके लिये कृपा करके आप मुझसे मिल लें।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—हमारी व्यक्तिगत कोई कठिनाई नहीं है। सामूहिक रूप से मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन विभाग में कुछ गड़बड़ी अवश्य है जिसकी वजह से कुछ खास सदस्यों के प्रश्नों की तरफ तो तवज्जह भी दी जाती है और बाकी लोगों के सवालों को लिया ही नहीं जाता।

श्री चन्द्रबली—श्रीमन्, मेरे प्रश्न नं० ३८-३९ जो नत्थी 'घ' में हैं, उनका उत्तर मुझे अभी नहीं मिला है, तो उनके उत्तर मुझे दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अगर आपको उनके उत्तर नहीं मिले हैं तो वे मिल जायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। अगर आप नहीं सहायता लेना चाहेंगे तो फिर मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय नरसिंहनारायण जी का है, यद्यपि मैंने उसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि यह मामला प्रदेशीय सरकार के अधिकार के अन्दर है या नहीं, इस कारण से मैंने इसे माननीय मन्त्री महोदय के पास भेज दिया था। इसका विषय इस प्रकार से है कि "गोरखपुर जिले के सोनोली तथा बस्ती जिले के लुम्बनी के पास ककरहवा आदि सरहदी इलाकों में नैपाल सरकार के भैरहवा तथा तौलिहवा के बड़े हाकिमों के साथ चीनी फोटोग्राफरों का एक दस्ता जो जीप में सवार था २१ तथा २२ मई को उपरोक्त सरहदी इलाकों के फोटो ले रहा था। गांवों के रहने वाले लोगों ने इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध किया परन्तु वे लोग फोटो लेकर अपने इलाकों में चले गये। इस प्रकार की घटनाओं से सरहदी इलाकों की जनता में क्षोभ तथा रोष, प्रदेशीय पुलिस की अकर्मण्यता से व्याप्त है। पहले भी डेढ़ दर्जन से अधिक घटनायें हो चुकी हैं जिसमें नैपाली पुलिस भारतीय क्षेत्रों में घुस कर भारतीय नागरिकों को पकड़ ले गई। इस प्रकार की घटनाओं से हमारी सरहदों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इतना ही नहीं है जो भारतीय, बस्ती तथा गोरखपुर जिले के नागरिक पचासों साल से नेपाल में खेती कर रहे हैं उन्हें भी उनके खेतों से जबर्दस्ती बेदखल कर भारत में जाने के लिये मजबूर किया जा रहा है। उपरोक्त स्थितियों के कारण सरहदी क्षेत्रों की जनता में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है"। यह उनकी सूचना है।

लोक सभा में भी गोरखपुर के इलाके के पास के कुछ प्रश्न उठाये गये थे कि वहां चीन के लोग आये और उन्होंने कुछ फोटो लिये, लेकिन जिन स्थानों के वहां प्रश्न थे वह जोगबनी

[श्री अध्यक्ष]

और विराटनगर से सम्बन्धित थ। (व्यवधान) इसी कारण से मुझे शंका हुई कि यह भी हमारे क्षेत्राधिकार में है या नहीं और इसीलिये मैंने इसको माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया था। क्या वह इस सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है उसके ३ भाग हैं। एक तो ला–ऐंड आर्डर और शांति-व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। उस विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वह चीज प्रादेशिक सरकार के दायरे में आती है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है वह प्रादेशिक सरकार के अधिकार के दायरे में नहीं है, उसका सम्बन्ध डिफेंस से है और इसलिये वह मसले केवल संसद् के अधिकार के अन्दर के होते हैं और उसके अधिकार के किसी विषय पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न जिस रूप में उठाया गया है वह आउट आफ आर्डर घोषित होना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह हमारे अधिकार के अन्दर नहीं आता है।

मैं क्या आपके द्वारा मुख्य मन्त्री से पूछ सकता हूं कि डेढ़ दर्जन इनकर्जन्स जो हो चुके हैं उनका सम्बन्ध मुख्य मन्त्री के दफ्तर से सम्बन्धित है जो हो चुके हैं १० मई से ? उसके बाद कोई चीन का आदमी नेपाल की पुलिस के साथ सरहद में फोटो लेता है तो जो पुलिस ककरहवा में मौजूद है वह उसकी देखभाल नहीं कर सकती ?

श्री अध्यक्ष—जिस रूप में आपकी सूचना आई है उस रूप में अस्वीकार की जाती है। दूसरे रूप में आप सूचना दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सदन में नेपाल पुलिस ने जब दो गांवों के लोगों को मारा और पकड़ कर ले गई और वह प्रश्न माननीय नरसिंहनारायण जी ने यहां उठाया तो मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया और उसका स्पष्टीकरण सदन में किया। लेकिन आज कहते हैं यह डिफेंस और केन्द्र से सम्बन्धित प्रश्न है। तो क्या मन्त्री जी दोनों उत्तर इस सदन में देने के लिये सक्षम है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा जहां तक ला ऐंड आर्डर का प्रश्न है वह हमारे क्षेत्राधिकार के अन्दर है। दूसरा प्रश्न कि चीन वाले क्या कर रहे हैं, क्या उनके तरीके हैं, यह हमारे अधिकार के बाहर है, यह उन्होंने कहा। इसी वजह से मैंने माननीय नरसिंहनारायण जी से कहा वह अगर प्रश्न उस रूप में रखेंगे तो लिया जा सकता है। तो उनका केवल मतलब यह है कि जो ला ऐंड आर्डर के अन्तर्गत प्रश्न आता है, जहां तक हमारे प्रदेश के अन्दर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उस पर हम जवाब देंगे।

श्री उग्रसेन—प्रश्न यह है कि नैपाल के विदेश मन्त्री, श्री तुलसी गिरि ने अपने वक्तव्य में मुख्य मन्त्री के सदन में दिये गये उस वक्तव्य की टीका की, तो क्या मुख्य मन्त्री जी उस वक्तव्य से दब गये ?

श्री अध्यक्ष—जो मुझे कहना था कह दिया। वह अपना प्रश्न दूसरे रूप में रखें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अगर प्रदेश के किसी हिस्से में कोई घटना होगी तो क्या कोई दूसरी मशीनरी है सेंट्रल सरकार के पास जिससे उसको जानकारी होगी ? और अगर होगी तो घटना की जानकारी हम कर सकते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—दो चीजें हैं। फर्ज कीजिये, फौज चली, तो फौज का प्रश्न जहां होगा वहां सेंटर आ जायगा। जहां ला ऐंड आर्डर का प्रश्न होगा वह हमारे अधिकार की बात होगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह तो फोटो खींचने का प्रश्न है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक आपकी यह व्यवस्था रही है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव या दफा ५२ के अन्तर्गत जो सवाल आते हैं जिनको आप अस्वीकार कर देते हैं उनको सदन में पढ़ा नहीं करते। लेकिन आज आपने उसको पढ़ा जिसको अस्वीकार किया है। तो क्या आपने पहली व्यवस्था बदल दी है?

श्री अध्यक्ष—मैं उसको बड़े महत्व का प्रश्न समझता था, मुझे उसके सम्बन्ध में शंकायें थीं इसी वजह से मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा था कि मालूम हो जाय ताकि मुझे सुविधा हो यह तय करने में कि यह ले सकता हूं या नहीं। अगर ले सकता हूं, तो नियम ५२ में या और किसी प्रकार ले लूं। अब मैंने उसे अस्वीकार किया है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या इस समय दफा ५२ में आप उसे ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—इस समय जिस रूप में है, उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे रूप में दीजिये।

श्री उग्रसेन—मुख्य मन्त्री पूरे समाचार केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की कृपा करें ताकि केन्द्रीय सरकार हमारी मदद करे।

श्री अध्यक्ष—अब इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं होगा।

गाजीपुर, बलिया तथा बस्ती में क्रमशः स्थित रामगढ़, सुरहा तथा दोहरी और खुरहट पम्पिंग कैनालों द्वारा विद्युत् के अभाव में सिंचाई न हो सकने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने श्री कृष्णानन्द राय की सूचना स्वीकार की है। ऐसी दशा में दूसरी सूचनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य की सूचना इस प्रकार है—

"सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के हेतु महोदय, गाजीपुर में स्थित रामगढ़ पम्पिंग कैनाल, बलिया में स्थित सुरहा पम्पिंग केनाल, आजमगढ़ में स्थित दोहरी तथा खुरहट पम्पिंग कैनाल विद्युत के अभाव सिंचाई करने में असमर्थ हो रही हैं।

उनके क्षेत्र की हजारों एकड़ ईख सूख रही है क्योंकि एक बार पानी ले लेने के कारण किसान २० रुपये प्रति बीघा नहर रेट देने के लिये जिम्मेदार हो गये हैं किन्तु पूरे मौसम भर पानी देने की जिम्मेदारी ये नहरें निभाने में असमर्थ हैं। फसल सूख रही हैं, पानी मिल नहीं रहा है और नहर का कर ऊपर से देना पड़ रहा है। केवल रामगढ़ पम्पिंग कैनाल के क्षेत्र में १०० एकड़ ईख पानी के अभाव में सूख रही है जिसका नहर रेट लगभग २१०० रुपया किसानों से वसूल होगा। अतः सरकार को अविलम्ब इन पम्पिंग कैनालों को बिजली उपलब्ध करना चाहिये, किसानों की सूखती फसल को सिंचित करना चाहिये अन्यथा लाखों रुपया नहर रेट वसूल करने में सरकार को कठिनाई होगी।"

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर, मऊ, सुहावल के जो पावर हाउसेज हैं उनकी मशीनें कोयले से चलती हैं और उन पावर हाउसेज के जरिये जो बिजली तैयार होती हैं.....

श्री अध्यक्ष—पूरे वक्तव्य के लिये तैयार हैं आप? अगर नहीं, तो दो, तीन रोज का वक्त ले लें।

श्री राममूर्ति—मैं जितना तैयार हूं उतना तो जवाब दूंगा ही । मशीनें कोयले से चलती हैं । पिछले दिनों कोयले की आमदरफ्त हमारे प्रदेश में बड़ी मुश्किल रही है । करीब करीब दो महीने से दर्जनों खत हमारे चीफ इंजीनियर के जरिये से सेन्ट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन के पास, हमारे डिपार्टमेंट के जरिये से कोल कंट्रोलर के पास और गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास इस विषय में भेजे गये हैं । कोयले की बड़ी कमी है जिसकी वजह से बिजली नहीं पैदा हो रही है और बिजली नहीं मिलती है तो हमारी पम्पिंग कैनाल नहीं चल पाती है । इस बात पर जोर डाला गया, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इन दो तीन महीनों के अन्दर कोयले की हालत अच्छी नहीं हो रही है जिसकी वजह से पावर हाउसेज में बिजली बनने में बड़ी कमी हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है । यही इस कमी की मजबूरी है ।

श्री उग्रसेन—सिंचाई कर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कोई प्रकाश नहीं डाला ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—जब बिजली पूरी नहीं मिल रही है जिसके कारण किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है तो क्या सिंचाई मंत्री सिंचाई कर में छूट देने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में नियम बने हुये हैं कि अगर किसी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और फसल को नुकसान हो जाय, इर्रीगेशन मैनुअल के अन्दर हिदायतें लिखी हुई हैं, उनके मुताबिक छूट दी जाती है ।

श्री उग्रसेन—कोयले के अभाव में जब पावर हाउस नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से नहरें काम नहीं कर रही हैं, तो उससे कितने रुपये की क्षति प्रति दिन सिंचाई विभाग को हो रही है ?

श्री राममूर्ति—क्षति कोई रोज शुमार नहीं की जाती । इतने ब्यौरे का प्रश्न है कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । सालाना हिसाब बनता है तब पता चल सकता है कि कितना नुकसान हुआ ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि कितने दिनों के अन्दर इस पोजीशन में अन्तर आ जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैं तो बराबर इस बात की कोशिश करता हूं और हमारे सेक्रेटरी, कोल कंट्रोलर के यहां मिलने भी गये और उन पर जोर डाला, लेकिन वे आश्वासन देते रहते हैं और आज भी देते हैं । हम इस बात की कोशिश में हैं कि अच्छी सप्लाईज कोल की हो जायं, लेकिन जब तक हमको कोल मिल न जाय तब तक हम क्या कर सकते हैं ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—कोयले की कमी से जो बिजली की कमी हो गयी है उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों पर भी पड़ा है या केवल किसानों के लिये ही यह कटौती कर दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—मैं तो अपने महकमे के बारे में जानता हूं, दूसरों के महकमे के बारे में मुझे पता नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह एक विशेष परिस्थिति है और काफी भयावह है जिसकी चर्चा इस समय हो रही है और सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसान ने लाखों एकड़ ईख ट्यूबवेल और नहरों की आशा में बोई, उनका बीज लगा और अब तक का परिश्रम लगा और उन्होंने एक पानी या तो पलेवा या सिंचाई के लिये लिया । उसके बाद नलकूप और नहरें बन्द हैं । ऐसी हालत में कुछ विशेष परिस्थिति के नाते जिसकी जिम्मेदारी किसानों पर बिलकुल नहीं है, न प्रकृति

पर है, न दैव पर है, बल्कि सरकार की बदइन्तजामी या असमर्थता पर है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किसानों को न केवल सिंचाई रेट में छूट दी जाय, बल्कि कुछ रिलीफ भी दी जाय ताकि जो नुकसान होने वाला है उसकी वे पूर्ति कर सकें ?

श्री राममूर्ति—यह तो जैसा मैंने अर्ज किया एक हमारी मजबूरी की बात है । हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमको कोयला मिले और हमारी सब-पर्म्पिग कैनाल चलें । यह जब रोस्टर हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि जब किसी की फसल सूखती है या नुकसान होता है तो सरकार नियमों के अनुसार छूट देती है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—माननीय सदस्य कृष्णानन्द राय की तरफ से जो नियम ५२ के अन्तर्गत यह सवाल उठाया गया है और मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि कोयले के अभाव में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है । इस सिलसिले में १९५८-५९ और १९५९-६० में बराबर मैं रामगढ़ पर्म्पिग कैनाल के बारे में आपको सूचना देता रहा और पानी का अभाव रहा और रामगढ़ और चुरवट, इन दो गांवों को छोड़कर किसानों को पानी नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी समझे हों तो उत्तर दे दें ।

श्री राममूर्ति—मैं कुछ समझा नहीं कि माननीय सदस्य ने क्या फरमाया ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी परिपाटी दोहरीघाट कैनाल में है और इनके सिंचाई विभाग में नियम है कि किसान एक मर्तबा पानी ले लेता है उसके बाद पतरौल पड़ताल कर देता है । किसान नहर से सिंचाई नहीं करता है, कुएं आदि से अपनी ईख को जिन्दा रखता है तब भी उसे सिंचाई का व्यय देना पड़ता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसान ने अपनी ईख में एक मर्तबा पानी लिया और दूसरे साधनों से अपनी ईख को जिन्दा रखा, तो क्या सरकार उन किसानों को छूट देने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है । हमारे यहां तो यह कायदा है कि किसान पानी लिया करता है और जितना हमारी नहरों में पानी होता है वह उनको मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसा मौका नहीं होता है कि जब किसान यह कहे कि उनको पूरा पानी मिल गया । लेकिन इसके बावजूद फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार बढ़ गयी है । इसके अलावा मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि पानी कितना खेत में हो, यह अलग-अलग जमीन पर डिपेण्ड करता है । किसी जमीन को एक पानी की ही जरूरत होती है, किसी को चार और किसी को छः पानी की जरूरत होती है । तो इस मसले को हम कोई एक उसूल बना कर तय नहीं कर सकते ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—जब से सुरहा ताल कैनाल बनी है तब से उसके आखिरी सिरे पर किसानों को सिंचाई की बराबर दिक्कत होती है, तो क्या जब से वहां पर्म्पिग स्टेशन बना तभी से कोयले की कमी है ?

श्री राममूर्ति—नहरों के आखिरी सिरों पर हमेशा सिंचाई की दिक्कत हुआ करती है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने पानी लगने से गेहूं और जौ पक जाता है ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप बैठ जाइये ।

श्री उग्रसेन—जब कोयले के अभाव में बिजली नहीं पहुंच रही है तो पानी की बिजली रिहन्द से लेने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री राममूर्ति—इसकी तो कोशिश ही ही रही है। उसकी लाइन वगैरह का इन्तजाम हो रहा है कि जल्दी रिहन्द डैम की बिजली पूर्व के जिलों को पहुंच जाय और जब रिहन्द डैम की बिजली पहुंच जायगी फिर इस दिक्कत का सवाल ही नहीं रह जायगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले में टांडा कैनाल में कोयले के अभाव में पानी बन्द हो गया है और इसके आखिरी हिस्से से जो गांव सींचे जाते हैं उनमें आज तक कोई पानी नहीं पहुंचा है ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप अलग से प्रश्न कीजिये ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी सिंचाई के महत्व को देखते हुये बिजली मंत्री से अनुरोध करेंगे कि और कामों को बन्द करके सिंचाई के लिये बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जाय ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, इसके लिये निरन्तर कोशिश की जाती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों में एक जमाने से रोस्टरिंग हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही हरदुआगंज में प्लान्ट लगा और बिजली बढ़ी तो वहां पर रोस्टरिंग बन्द हो गई है और ट्यूब वेल चल रहे हैं ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि सिंचाई के महत्व को देखते हुये और कामों को बन्द करके सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये सरकार प्रबंध करेगी ?

श्री राममूर्ति—सरकार का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें बिजली मिले और हम अपने काम को पूरा करें ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज कोयले के अभाव में हमारे प्रदेश में बहुत से कल कारखाने बन्द हो गये हैं या ऐसी स्थिति में हैं कि पूरे समय तक चल नहीं पा रहे हैं और सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि नहर के ट्यूबवेल्स को बिजली नहीं मिल पाती है जिससे लाखों एकड़ मन गन्ना सूखा जा रहा है । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मई के पहले हफ्ते में वे केन्द्र के मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से स्वयं मिलेंगे और स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्र का क्या रुख है और क्या किया गया है ?

(माननीय मुख्य मंत्री जी को चार बार बुलाने पर ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आप व्यवस्था दें कि आपने चार बार मुख्य मंत्री जी को बुलाया और वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहे ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि सूचना मंत्री जी पार्टी के चीफ व्हिप हैं और बहुत से कार्यक्रम, जो सदन के होते हैं, वे उनके ही द्वारा तय होते हैं । मैं उसी विषय में बातचीत कर रहा था तो यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उनसे बात करूं ।

श्री अध्यक्ष—आपका कर्त्तव्य यह भी है कि सदन की कार्यवाही देखें और उसकी कार्यवाही में जो आप अपना सहयोग दे सकें, वह प्रदान करें । इस समय आप से प्रश्न हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्रजीत जी, आप अपना प्रश्न दुहरा दें ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज कोयले के अभाव में हमारे प्रदेश में बहुत से कल कारखाने बंद हो गये हैं या ऐसी स्थिति में हैं कि पूरे समय तक चल नहीं पा रहे हैं और सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि नहर के ट्यूबवेल्स को बिजली नही मिल पाती है जिस से लाखों एकड़ मन गन्ना सूखा जा रहा है । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन

दिया था कि मई के पहले हफ्ते में वे केन्द्र के मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से स्वयं मिलेंगे और स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्र का क्या रुख है और क्या किया गया है ? उसे पूरा कराने के लिये आपने स्वयं क्या प्रयास किये इस संबंध में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने इस विषय में जो अब मौजूदा केन्द्रीय सरकार के मंत्री इसके नियुक्त हुये हैं उनसे बातचीत भी की और लिखापढ़ी भी की और उन्होंने मुझसे यह कहा कि मैं उन्हें एक महीने का समय दूं जिससे कि वह सारी स्थिति का अध्ययन करके जिस नयी दिशा में वह आगे बढ़ना चाहते हैं इस सम्बन्ध में वह बढ़ सकें। उन्होंने कई योजनायें बनायी हैं। अब मैं नहीं जानता कि वह योजनायें कहां तक और किस रूप में कार्यान्वित हो सकेंगी। उनका कथन है और वह इस बात की चेष्टा भी कर रहे हैं कि कोयला उत्तर प्रदेश में नदियों के जरिये से जहां तक आसानी से लाया जा सके वह लाया जाय। वह इस सम्बध में कार्य कर रहे हैं और साथ में उनका यह भी कथन है कि रोड के द्वारा प्रदेश के जिस स्थान पर और जहां तक आसानी से कोयला भेजा जा सकता है, उसके भेजने का प्रबन्ध भी वह करेंगे। उनसे मेरा यह भी कथन है कि हमारी जितनी बड़ी योजनायें हैं कोयले का कोटा हमें उनके अनुरूप नहीं मिला है। अन्य प्रदेशों को जिनकी योजनायें कम हैं, जिनकी योजनायें जहां तक धनराशि के व्यय करने का सम्बन्ध है वह बहुत कम हैं, उन्हें हमसे अधिक कोयला मिल रहा है। उस विषय में भी हमने उनसे निवेदन किया है कि वह इस बात को देखें और हमारे साथ न्याय करें। तो अभी तो महीना बीता नहीं है। जब महीने का अन्त हो जायगा, उस समय मैं फिर उनसे जो बात बीच में उठाई थी वह उठाऊंगा और साथ ही साथ तीन चार या पांच रोज में मैं दिल्ली फिर जाऊंगा और उस समय इस विषय में उनसे फिर बात चीत करूंगा।

जिला झांसी के ग्राम बनगुवां कलां में अज्ञातरोग से बच्चों की मृत्यु के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब आइटम नम्बर ६ जिला झांसी के ग्राम बनगुवां कलां में किसी अज्ञात रोग से बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा १८ मई, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य होगा।

***समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य इस प्रकार है--

दिनांक १६ मई, १९६२ को माननीय श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी झांसी को यह बताया कि ग्राम बनगुवां कलां में ५०–६० बच्चों की चेचक से मृत्यु हो चुकी है और उस ग्राम में कोई ऐसी अज्ञात बीमारी भी चल रही है जिससे प्रति दिन ४–५ बच्चों की मृत्यु हो रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने दूसरे ही दिन दिनांक १७ मई को उस ग्राम का दौरा किया और आवश्यक जांच-पड़ताल की।

उस ग्राम में चेचक की बीमारी माह जनवरी व फरवरी, १९६२ में फैली हुई थी जिससे ८ बच्चों की मृत्युयें हुईं। बीमारी की रोकथाम की आवश्यक कार्यवाही टीका लगाने वाले कर्मचारी व विलेज लेविल वर्करों द्वारा की गई। ग्राम में ५६४ चेचक निरोधक टीके लगाये गये जहां की जनसंख्या लगभग एक हजार है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के दौरे के समय वहां कोई भी चेचक से पीड़ित न था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी की जांच-पड़ताल से यह स्पष्ट हुआ कि उस ग्राम में इस वर्ष जनवरी से मई तक २० बच्चों की मृत्युयें चेचक के अलावा भी अन्य कारणों से हुई हैं। मृतकों की कारण सहित सूची निम्नलिखित है—

मीजिल्स (खसरा)	३
डायरिया (दस्त)	५
मालन्यूट्रीशन (संतुलित भोजन के अभाव के साथ दस्त का आना)	२
सनस्ट्रोक (लू)	१०

इस प्रकार कुल २० मृत्युएं हुईं ।

बच्चों को लू लगने का कारण माताओं का अपने शिशुओं व बच्चों सहित खेतों में काम करने जाने की पद्धति का होना प्रतीत होता है ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दौरे के समय ८ बच्चे मीजिल्स (खसरा), ८ सनस्ट्रोक (लू) और ४ अन्य बीमारियों से पीड़ित मिले। पीड़ितों की दवा आदि का आवश्यक प्रबन्ध उस ग्राम में ही और माताटीला व तालबेहट औषधालय में उन्होंने कर दिया । जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी के साथ २० मई को फिर से उस ग्राम का दौरा किया ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि १३ मई को मुझे पता लगा और १४ तारीख को सुबह मैंने वैक्सीनेटर को इत्तला दी और १४ तारीख को दोपहर में जिला परिषद् की मीटिंग में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना दी और इसके बाद १५ तारीख को वैक्सीनेटर ने हमको खबर दी कि ६०, ७० बच्चे मर गये हैं और उस बीमारी का उसको पता नहीं है कि वह क्या बीमारी है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने १५ तारीख को कुछ दवाओं का प्रबन्ध किया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि गोस्वामी जी ने १६ तारीख को जिला मेडिकल अफसर को लिखकर सूचना दी थी। इसके अलावा इसके पहले क्या हुआ, किसने सूचना दी, इसको मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मुझे यह निवेदन करना है कि इस रिपोर्ट में तथ्य को छिपाया गया है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—ज्यादा अच्छा तो यह हो कि आप प्रश्न कर दें ताकि उसका उत्तर आ जाय ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि मैंने १४ तारीख की सुबह वैक्सीनेटर को और दोपहर को जिला परिषद् की मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी को खबर दी कि बनगुवां कलां में उस अज्ञात बीमारी से बहुत बच्चे मर गये और मरने की खबर वैक्सीनेटर ने भी मुझको दी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यदि गोस्वामी जी मुझे यह लिखकर देंगे तो मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की रिपोर्ट है कि केवल एक ही परिवार के ५ बच्चों की मृत्यु दो हफ्ते के अन्दर इस अज्ञात बीमारी से हो गई है ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो स्पेसिफिक बातें गोस्वामी जी बतलायेंगे कि फलां खान्दान के पांच बच्चे मर गये या और तो मैं दोबारा यहां से असिस्टेंट डाइरेक्टर को भेजकर जांच करा लूंगा ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसमें साफ नाम बीमारी का बतलाया है, लेकिन गोस्वामी जी ने अपने प्रश्न में अज्ञात बीमारी का नाम लिया है तो वह अज्ञात बीमारी कौन है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वहां कोई अज्ञात बीमारी नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि भोजन के अभाव के कारण दस्त आते हैं तो क्या वहां पर भोजन देने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की ?

श्री अध्यक्ष—यह उनका काम नहीं है ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—मंत्री जी ने बतलाया कि लू लगने से दो बच्चे मर गये क्योंकि वे औरतें बच्चों को लेकर काम पर जाती हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये यह बात विचाराधीन रखेंगे कि ऐसे मजदूर सेन्टरों में नर्सिग सेन्टर खोल दिये जायं जहां पर मजदूरनी काम पर जाती हैं ताकि उनके बच्चों की देखभाल हो सके ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस वक्त ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्वास्थ्य अधिकारी ने २० तारीख को यह बतलाया था कि वह समझ नहीं पाया कि वह क्या बीमारी है, तो उसके लिये कोई एक्सपर्ट यहां से वह भेजेंगे ताकि तत्काल उस बीमारी का इलाज हो सके ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—जैसा मैंने निवेदन किया कि मैं यहां से डिप्टी डाइरेक्टर को भेजकर जांच करा लूंगा अगर गोस्वामी जी उसके लिये कोई स्पेसिफिक बात बतलायेंगे । उसी आधार पर जांच हो जायगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि देहाती क्षेत्र में दवाइयों का अभाव है और खास कर जहां यह बीमारी फैली है वहां अस्पताल आदि खोलने की कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—जहां तक इस ग्राम का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, दो जगह अस्पतालों का इन्तजाम किया गया है। दवाइयों के अभाव का कोई प्रश्न वहां उठता नहीं, लेकिन अगर मालूम होगा कि दवाइयों की कमी है तो वहां पहुंचा दी जायेंगी। हर एक गांव में अस्पताल खोलना तो संभव नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक सरकार के पास कोई इत्तला इस बात की नहीं थी कि बकेवट में चेचक से कोई मृत्यु हुई है ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—जो सरकार के पास रिपोर्ट आती है उसमें इसकी इत्तला आयी है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—सरकार की सूचना के मुताबिक इस बीमारी को रोकने के जितने भी प्रयास हुए हैं उससे यह बीमारी चाहे विशेष हो या मामूली कुछ रुकी है या नहीं, या क्या पोजीशन है ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—जब स्वास्थ्य अधिकारी वहां गये थे तो जितने पीड़ित लोग थे उनका प्रबन्ध उन्होंने कर दिया था। उसके बाद उस दवा का क्या असर हुआ और कितने बच्चे जाया हुए यह अभी नहीं बतलाया जा सकता। २० तारीख को वह गये हुए थे और उन्होंने वहां का इन्तजाम किया।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त होता है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह निवेदन करना है कि अभी एक गांव में कुछ बच्चों की मृत्यु पर यहां बाद विवाद हुआ जब कि मैंने २३-५-६२ को एक ग्राम में ५० बच्चों के मर जाने की नियम ५२ में सूचना दी थी और उसके साथ ही दैनिक जागरण की प्रति भी नत्थी कर दी थी ताकि आपको विश्वास हो कि वहां बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें २०० बच्चों की मृत्यु का समाचार था, लेकिन मेरी जांच के अनुसार ५० बच्चे मरे थे। श्रीमन्, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना मुझे कोई नहीं मिली। इसके अतिरिक्त ११-५-६२ को नियम ५० में मैंने एक सूचना दी थी तथा ८-५-६२ को भी नियम ५२ में मैंने एक सूचना दी थी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे कोई सूचना उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की कभी नहीं मिली और यह एक अजीब सी बात है।

श्री अध्यक्ष—आपने फिर बहस शुरू कर दी। आप कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाते वह एक वाक्य में आ सकता था। (व्यवधान) लखपतराम जी, मैं आपको बतला दूं। नियम यह है कि यदि नियम ५२ में एक सूचना स्वीकृत हो जाती है तो अन्य सूचनायें नहीं ली जाती हैं। अगर आप कृपा कर मुझ से बात कर लेते तो मैं नियम बतला देता कि यह नियम ह। अगर मैं गलत समझा होऊंगा तो फिर उस पर विचार कर लूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा—मैंने तीन सूचनायें दी थीं नियम ५० और ५२ के अन्तर्गत। मुझे यदि उनकी मंजूरी या नामंजूरी की बात मालूम पड़ जाती तो परेशानी न होती।

भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आगामी कार्यक्रम क्या होगा इस पर कुछ प्रकाश डाल दें तो उत्तम होगा। क्योंकि ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि जो ८ तारीख तक का कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया था उसका शायद पालन न किया जा सके और हाउस कुछ पहले ही उठ जाय। यदि ऐसी बात है तो हमारे गैरसरकारी दिनों का क्या हश्र होगा, इस पर भी कुछ रोशनी पड़ जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी मैं उसी विषय में मुख्य सचेतक से बात कर रहा था। कदाचित उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से बात करने का प्रयास प्रारम्भ किया है और वे इस विषय में बात करके फिर मुझे बतला सकेंगे कि ४ तारीख को सदन उठ जाय या उसके बाद भी कार्य हो और जो प्रस्ताव हैं गैर-सरकारी उन पर विचार करें तब यह, जब वे बात कर लेंगे, उसके बाद मैं इस बात की सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने परामर्श किया है, हम से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। उन्होंने कहा है कि वे परामर्श कर रहे हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि हम लोगों के जो असरकारी दिवस हैं उनको जरूर लिया जाय क्योंकि उसके कारण ३-४ दिन ही हमको बैठना पड़ेगा। मुझे आशा है कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह राय नहीं है कि असरकारी दिनों को न दिया जाय। मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि मुख्य सचेतक महोदय आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों से बात करके जो तय होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४०—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,४९,२५,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—दूसरा भी पेश कर दीजिये।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,९३,८२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, तीसरे नम्बर पर जो अनुदान संख्या ४३ है जिस पर बहस नहीं होगी क्या उसको भी अभी पेश कर दूं?

श्री अध्यक्ष—वह बाद में पेश हो जायेगी, अब आप अगर अपना भाषण देना चाहें, तो दें।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४० और ५२ के मातहत जो मांगें अभी मैंने पेश की हैं वे करीब २० करोड़ ४३ लाख ८ हजार १०० रुपये की हैं। पिछले साल के मुकाबिले में जो इस साल खर्च में इजाफा हुआ है और मुखतलिफ मदों में जो कमी-बेशी हुई है उसकी पूरी तफसील बजट में देखने को मिलेगी, इस वक्त मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मामूली तौर पर कुछ इजाफा तो सालाना वेतन-वृद्धि या तरक्की वगैरह के कारण हो जाती है और कुछ खास मदों की तफसील इस प्रकार है। ४०० नयी मोटरें खरीदी जायेंगी जिनमें से २०० नये रूट्स पर चलेंगी और २०० पुरानी मोटरों को बदला जायगा। इस पर १,६०,८०,००० रुपया खर्च होगा। ७५६ मील के नये रूट्स पर बस चलाने के खर्च के लिए ५६,६२,००० रुपया रखा गया है, और बस स्टेशन वगैरह के लिए जमीन और इमारतों के खर्च के लिए ३३ लाख रुपया रखा गया है। बस स्टेशनों के लिए वाटर कूलरों की खरीद के लिए ८ लाख रुपया रखा गया है। मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत ए० टी० आई० की वर्दी के लिए २२,४०० रुपया तजवीज हुआ है। लाउड स्पीकर बड़े बस स्टेशनों के लिए ६,००० पये में खरीदे जायंगे और मोटर ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए ५२,५०० रुपये की रकम तजवीज हुई है। इसके अलावा इंश्योरेंस रिजर्व फंड में १,३५,००० रुपया तजवीज हुआ है।

परिवहन विभाग का खास काम रोडवेज सर्विस को चलाना है। यह मुहकमा इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंसिंग वगैरह का काम भी देखता है।

माननीय सदस्यों को बखूबी जानकारी है कि यातायात की अच्छी और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की मंशा से, रोडवेज का चलाना १९४७ से सरकार द्वारा शुरू किया गया। शुरूआत

[श्री मुजफ्फर हसन]

२०० गाड़ियों से की गयी। इस वक्त तक विभाग का और खास तौर से रोडवेज़ संचालन का जो विकास हुआ है उसका अन्दाजा माननीय सदस्य उस पुस्तिका से लगा सकेंगे जो विभाग की तरफ से माननीय सदस्यों को पेश की गयी है। इस सिलसिले में चन्द बातें अर्ज़ कर देना मुनासिब होगा। मार्च, १९६२ तक रोडवेज़ के पास ३,३११ बसें थीं, जिनमें से २,९८३ डीज़ेल, और बाकी पेट्रोल से चलने वाली हैं। रोडवेज़ की बसें ६७५ मार्गों पर ८,९२६ रोड मील पर मार्च के अन्त तक चल रही थीं। बसों के अलावा रोडवेज़ के पास १३७ ट्रकें तथा ६८ टैक्सीज़ भी हैं।

माननीय सदस्यों को यह देख कर खुशी होगी कि पूंजी की लागत पर मुनाफा काफी बढ़ा है। १९५२–५३ में औसत मुनाफा सिर्फ १.५४ था, जो १९६०–६१ में १९.४२ पहुंच गया।

पिछले तीन वर्षों में जो मुनाफा सारा खर्च तथा कैपिटल पर सूद देने के बाद हुआ, वह इस प्रकार है—

१९५९–६० में २०६ लाख पया, १९६०–६१ में २१४ लाख रुपया, १९६१–६२ म २२० लाख रुपये के लगभग। इन आंकड़ों से यह जाहिर है कि मुनाफा हर साल बढ़ता जा रहा है।

जहां तक रोडवेज़ की माली पूंजी का ताल्लुक़ है, मार्च, १९६१ तक कुल पूंजी की लागत ११,०५,२६,७३० रुपया है। ब्याज निकाल कर मुनाफा और मालियत १७,५५,३७,३२२ पया है। पिछले ३ सालों में रोडवेज के खर्च में करीब ११५.२८ लाख रुपया का इजाफा हुआ है। उसकी खास वजहात यह हैं—मोटर टैक्स की दर में इजाफा हो जाने से २०,१९,००० रुपया बढ़ा। डीज़ेल और टायरों की कीमत में बढ़ोतरी से ५७,८८,००० रुपये का खर्च बढ़ा। महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाने से २०,२३,००० रुपया खर्च करना पड़ा। ओवर-टाइम एम्पलाइज़ प्रावीडेंड फंड व स्टेट इंश्योरेंस की वजह से १६,६८,००० रुपया देना पड़ा।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह भी अर्ज कर दूं कि पिछले हरिद्वार के कुम्भ मेले में रोडवेज़ द्वारा तकरीबन ४०० स्पेशल बसेज़ का प्रयोग किया गया। मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा वगैरह से काफी संख्या में यात्री ले जाये गये। ये बसेज़ चार लाख पचास हजार मील चलीं तथा एक लाख साठ हज़ार यात्रियों ने सफर किया। उनकी सुविधा के लिये एक आरज़ी बस स्टेशन, जिसमें कैंटीन भी कायम की गई थी, बनाया गया था। एक स्पेशल इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी इस मौके के लिये तैनात किया गया था। यह खुशी की बात है कि काफी भीड़ होने के बावजूद भी कोई ऐक्सीडेंट या शिकायत नहीं हुई।

टूरिस्ट यात्रियों की सुविधा के लिये और खास तौर से उन लोगों के लिये जो दूसरे देशों से आते हैं, देहली और आगरा के बीच एयर-कन्डीशन्स बस जारी की गई हैं। शीघ्र ही दिल्ली और मसूरी मार्ग पर इसी प्रकार की दो गाड़ियां चलाये जाने की योजना है। इस बस में आरामदेह सीटें हैं और नाश्ता और मुंह हाथ धोने का इन्तजाम है। इस बस पर एक योग्य गाइड भी चलता है।

टेक्निकल कर्मचारियों की योग्यता बढ़ाने के लिये रोडवेज़ विभाग की योजना पश्चिम जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में ट्रेनिंग देने की है जिसके मातहत अब तक ३० व्यक्ति पश्चिम जर्मनी और १२ व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम में ट्रेनिंग पा चुके हैं। इस साल एक सर्विस मैनेजर यू० के० भेजा गया है और अन्य कर्मचारियों की टेकनिकल ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजने की स्कीम है।

रोडवेज़ संचालन में किफायत और कम खर्च करने पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। ज्यादातर रास्तों पर डीज़ल बसें चालू की गई हैं जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से कम खर्च पर चलती हैं और ज्यादा मुसाफिर ले जा सकती हैं। टायर और इंजिन आयल वगैरह के

इस्तेमाल में भी बचत के लिये कार्यवाही की गई है। १९६१–६२ में १८ जगहों पर रनिंग रूम बनाये गये, १० जगह कैन्टीन कायम किये गये और ९ जगह फोरमैन वगैरह के लिये क्वार्टर बनाये गये। इस साल ८ जगहों पर रनिंग रूम, १३ जगहों पर कैन्टीन बनवाये जायंगे। इस समय रोडवेज सेक्शन में लगभग १८,६०० कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से १५ हजार ऐसे हैं जिनको लेबर लाज के मातहत इम्प्लाइज प्राविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेन्स की सहूलियतें और ओवर-टाइम वेजज दिये जाते हैं। १९६१–६२ में प्राविडेन्ट फंड तथा इंश्योरेंस की सहूलियतें देने पर १० लाख ८१ हजार रुपया खर्च किया गया। ३ लाख ५१ हजार ८७४ रुपये की रकम ओवर टाइम वेजेज की शक्ल में मुख्तलिफ ग्रेड के कर्मचारियों को दी गई। अगले वित्तीय वर्ष में प्राविडेन्ट फंड तथा इन्श्योरेंस मदों में १३ लाख ३ हजार रुपये की धनराशि का प्राविजन किया गया है और ओवर टाइम के लिये ५ लाख ९७ हजार ८०० रुपया की रकम रखी गयी है। पिछले साल में १०,६०९ रुपये की धनराशि रोडवेज स्टाफ को रिवार्ड्स और आनरेरियम की शक्ल में अदा की गई। अगले साल भी इसी प्रकार का प्राविजन किया गया है। कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप पर एक लेबर वेलफेयर आफिसर भी तैनात है। वहां पर एक डिसपेन्सरी भी है जिसमें एक डाक्टर और एक नर्स मुकर्रर है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि परिवहन विभाग का ताल्लुक आम जनता से है और सभी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी इसलिये मैं सदन का अधिक समय लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं यह दावा भी नहीं करता कि जो कुछ होना चाहिये वह सब किया जा चुका है। लेकिन यह जरूर है कि साधनों के अनुसार जो कुछ मुमकिन था वह किया गया और बराबर यह कोशिश है कि जनता की अधिक से अधिक सेवा की जा सके। इसके लिये सरकार को जो भी रचनात्मक सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनका स्वागत किया जायगा और उनको अमल में लाने की पूरी कोशिश की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इन मांगों को खुशी से मंजूर करेगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यादवेन्द्रदत्त जी के कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४०––परिवहन––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य— विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ५२––सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची किताब की शक्ल में मिली है, उसको सरसरी तरीके से पढ़ा, क्योंकि वह मुझे कल ही शाम को मिली है। मैंने मंत्री जी के भाषण को भी गौर से सुना। यह बात सही है और खुशी की बात है कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के अन्तर्गत यातायात बढ़ा है और हर साल मुनाफा भी कमा रहा है, लेकिन जो सैद्धान्तिक प्रश्न है वह यह है कि हमने जो समाजवाद का ध्येय अपने सामने रखा है उसकी ओर हमारा यह पब्लिक सेक्टर हमें ले जा रहा है या नहीं। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से यह विभाग चल रहा है अगर उसी ढंग से चला तो हम समाजवाद के नजदीक कभी नहीं जा सकते हैं चाहे कोई विभाग पूरा का पूरा ही पब्लिक सेक्टर में क्यों न हो। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर की चीज हमें समाजवाद की तरफ ले जाने वाली है। पब्लिक सेक्टर हमें दोनों ही तरफ ले जा सकता है। अगर वह डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाय और उसमें काम

[श्री संतसिंह यूसुफ]

करने वालों का इनीशियेटिव हो तब तो पब्लिक सेक्टर हमें समाजवाद की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर वह ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाया जाय, जिस ढंग से कि यह विभाग चलाया जा रहा है, तो वह कभी भी हमें समाजवाद की तरफ नहीं ले जा सकता। जिस तरह से रियासतों में बादशाह होते थे उसी तरह से इस विभाग में जनरल मैनेजर है। जनता और वहां के लोगों की सुविधा के बारे में मैं बाद को कहूंगा। यह तरीका तो हमें फासिज्म की तरफ ले जा सकता है। इसलिये ऐसा नहीं है कि राजकीय सेक्टर का होना ही समाजवाद की तरफ कदम हो। जर्मनी में भी राजकीय सेक्टर बहुत बड़ा था, इंगलैण्ड और अमेरिका में भी राजकीय सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वहां समाजवाद की तरफ कदम नहीं है। राज्य सेक्टर को ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाने के बजाय जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं वे इनीशिएटिव लें, उनकी राय और सलाह मशवरे से काम चले तो वह समाजवाद की तरफ एक कदम हो सकता है।

पहली चीज तो इसमें यह होनी चाहिये कि एक वर्कर्स कौन्सिल बनाई जाय। उस कौंसिल के दो काम हों, एक तो यह कि यातायात के जो काम हैं वे ठीक ढंग से चलें जिसमें बचत हो और इसमें जो बर्बादी हो रही है वह कम हो। दूसरे जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन्स में इम्प्रूवमेंट हो जिससे उनकी मेहनत का फल उनको मिल सके। इस तरह से कौन्सिल के ये दो काम होने चाहियें। हमारी रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे यूगोस्लाविया की तरफ ध्यान दें जो देश कि समाजवाद की तरफ जा रहा है। मैं रूस और चीन का नाम नहीं लेता क्योंकि आप उससे भड़क जायेंगे। यूगोस्लाविया का पब्लिक सेक्टर कोई वहां के वर्क्स मैनेजर पर नहीं चलता, बल्कि वहां की पूरी इंडस्ट्री वर्कर्स कौन्सिल के द्वारा चलती है और जितने भी वर्कर्स हैं सभी काम में इनीशिएटिव लेते हैं। यूगोस्लाविया की बात छोड़ दीजिये, ईजिप्ट की ही मिसाल लीजिये। सभी इस बात को मानते हैं कि मार्शल टीटो, नासिर और जवाहर लाल जी के खयालात एक से हैं। तो ईजिप्ट में भी जिन चीजों का नेशनालाइजेशन किया जाता है, उसके लिये वहां वर्कर्स कौन्सिल बनी हैं, लेकिन हमारे देश में दूसरी स्थिति है जिसे देखकर बहुत अफसोस होता है। यहां पर किसी तरह का भी सहयोग या इनीशिएटिव काम करने वालों का नहीं है। मैं आपके सामने एक उदाहरण बतला दूं कि जहां जहां इस तरह से समाजवाद की तरफ बढ़ने की पीसफुली कोशिश हो रही है वहां यह होता है कि वर्कर्स को इनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वे नये-नये तरीके निकालें, नये-नये यंत्र निकालें, नयी-नयी तजवीजें पेश करें जिससे कि थोड़े अर्से में ज्यादा काम हो और कम मेहनत में ज्यादा काम हो। इसके लिये पब्लिक को इनाम मिलता है और इस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे यहां जहां ४०–५० हजार काम करने वाले हैं, क्या आप समझते हैं कि सही माने में वे अपने को पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ समझते हैं और उसकी हिफाजत करने का उनका आउटलुक होता है? उनका आउटलुक ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे समझते हैं कि यह तो सरकार का काम है और उसके जरिये हमको दबाया जाता है। यह एक बुनियादी चीज है जिस पर आप सोचें। यह तरीका गलत है और यह समाजवाद की तरफ ले जाने वाला नहीं है। अगर मजदूर असन्तुष्ट होंगे तो रिएक्शनरी पार्टी वालों के लिये आप मैदान साफ करेंगे।

इसके साथ ही साथ मुझे खासतौर से यह कहना है कि पूरा का पूरा आउटलुक और इसके फंक्शन करने का तरीका समाजवाद की तरफ ले जाने वाला होना चाहिये। आपका कहना है कि आप प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट के तरीके पर इसको चला रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने मुनाफा किया, लेकिन मुझे आप माफ करें, अगर मैं एक बात कहूं कि यह आप का नफा कर लेना कोई बड़ा भारी अचीवमेंट नहीं है, अगर आप टाटा को यह काम दे दें तो वह आप से भी ज्यादा नफा कमा सकेगा और अच्छी तरह से चलायेगा। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि आप के और एक पूंजीपति के आउटलुक में अन्तर होना चाहिये, अगर आप वही

करते हैं जो पूंजीपति करते हैं तो वह कहां तक उचित है? पब्लिक के साथ और वर्कर्स के साथ आप का भी वही रवैया है जो पूंजीपतियों का होता है। आप देखें कि कानपुर वर्कशाप ही में आप के १३०० वर्कर हैं एक स्थायी विभाग है, लेकिन सब अभी तक अस्थायी रखे गये हैं, १५–१६ साल के बाद भी वहां के एम्पलाईज परमानेंट नहीं हैं। आप के तमाम कंडक्टर्स ड्राइवर्स हैं, सब बेचारे टेम्पोरेरी ही रखे जाते हैं। इसलिये पहली बात यह है कि अगर आप का यह स्थायी विभाग है तो आप से हम उम्मीद करते हैं कि यह विभाग तरक्की करेगा और उसके लिये कुछ जरूरी चीजें हैं जिन के बारे में मैं बाद में कहूंगा। यह सवाल केवल टेम्पोरेरी इम्पलाईज का ही नहीं है, हम चाहते हैं कि एक खास प्रोबेशन पीरियड के बाद जब वह समय बीत जाय तो उस एम्पलाई को ऐक्चुअली परमानेंट होना चाहिये, चाहे आप उस अवधि को ३–४ या ६ माह कुछ भी रखिये, लेकिन उसके बीतने पर उसको जरूर ही परमानेंट होना चाहिये। फैक्टरी में जो आदमी २४० दिन काम कर ले उसको स्थायी होने की सुविधा मिलनी चाहिये, उसको प्राविडेंड फंड की सुविधा मिलनी चाहिये। उसका बीमा कटना चाहिये। अगर आप दूसरे उद्योगपतियों से कहेंगे कि आप इस तरह की सुविधा अपने यहां इम्पलाईज को दें तो आप किस मुंह से कहेंगे जब आप अपने यहां ही यह सुविधा नहीं देंगे। आप को तो स्वयं एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। इसलिये जहां तक लोगों को स्थायी करने का सवाल है उसमें आप को आगे आना चाहिये।

जहां तक बोनस की बात है मैं जानना चाहता हूं कि आप के यहां जब मुनाफा हो रहा है और आप प्राफिट बेसिस पर अपना काम चला रहे हैं, समाजवाद से तो आप का दूर का या नजदीक का कोई सम्बन्ध नहीं है उसको तो आप जाने दें, लेकिन अगर आप अच्छे एम्पलाईज हैं और मुनाफा कमा रहे हैं तो कम से कम आप टाटा, पद्मपत और बिड़ला की तरह ही अपने इम्पलाईज को बोनस दें। मैं मन्त्री जी का ध्यान आज के नेशनल हेराल्ड के फर्स्ट पेज की तरफ दिलाऊंगा जिसमें लिखा है कि 'इंसेन्टिव बोनस टू पोस्ट एंड टेलिग्राफ स्टाफ' यानी केन्द्र का यह विभाग अपने यहां के लोगों को बोनस देगा, तो आप को क्या दिक्कत है अपने रोडवेज इम्पलाईज को बोनस देने में ? आप समाजवाद की बात तो जाने दीजिये लेकिन आप अपने यहां के मुनाफे में से अपने यहां के गरीब लोगों को बोनस क्यों नहीं देते हैं ? कुछ जानबूझ कर और कुछ बे जाने बूझे उनके रास्ते में आप रुकावट डालते हैं, आप जानते ही नहीं कि क्या समाजवाद है, आप तो समाजवाद की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप इस तरह से समाजवाद की तरफ जाने की बात को छोड़ दीजिये, लेकिन आप अपने इम्पलाईज के साथ इस तरह का व्यवहार कीजिये, ताकि दूसरे एम्पलायर्स के सामने आप एक आदर्श के रूप में आयें। आप भी दिखलायें कि हम ने अपने इम्पलाईज के वास्ते इतने मकान बनवाये, इतना बोनस दिया या हमने वर्कर्स को सुविधा दी, उनको परमानेंट किया। ऐसा कुछ कीजिये। लेकिन ऐसा नहीं है। बोनस के बारे में वे बेचारे परेशान हैं। तमाम फैक्ट्रीज में वर्कर्स ८ घंटे काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट होने के बावजूद भी परिवहन विभाग में उससे कहीं अधिक समय तक काम लिया जाता है।

मन्त्री जी की सूचना के लिये मैं कानपुर में जो आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन है, हमारी बात छोड़ दें हम तो विरोधी हैं, हमारी कोई यूनियन नहीं है, उसके द्वारा जो पर्चे छापे गये हैं उनको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। ९ घंटे छोड़ दीजिये। कानून यह है कि आध घंटा पहले ड्राइवर और कंडक्टर को जाना चाहिये। बस की देख रेख के लिये और आधे घंटा बाद में ड्यूटी खत्म होने के छुट्टी मिलेगी लेकिन टाइम एकाउन्ट किया जायगा जब से वह स्टीयरिंग पर बैठेंगे, उससे पहले का समय एकाउन्ट नहीं किया जाता है। यानी इस तरह से घंटा, दो घंटा की उनसे बेगार ली जाती है। हम भी देखते हैं कि बस में १५, २० मिनट बस के अन्दर बैठ कर इन्तजार करना पड़ता है जब तक भर नहीं जाती। तो यह टाइम

[श्री संतसिंह यूसुफ]

काउन्ट नहीं होता। जो कानून आई० एल० ओ० का है तथा दुनिया भर में चालू है, रूस में तो ४ घंटे की ही ड्यूटी होती है, लेकिन हम तो ८ घंटा भी नहीं लागू करते हैं। एक पर्चे में तो यहां तक लिखा है कि १२, १२ घंटे का टाइम लेते हैं।

एक पर्चा यह कहता है कि पहली अप्रैल से फैजाबाद से बनारस २५४ मील आने जाने की एक नई सर्विस चालू हुई है जिसमें एक ड्राइवर और कंडक्टर को १६ घंटे स्टीयरिंग ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं कहता हूं यह मनुष्यता के खिलाफ है, क्राइम है १६ घंटे ड्राइवर को स्टीयरिंग पर बैठाया जाय। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था। अगर इतनी देर की ड्राइवर से ड्यूटी ली जायगी तो जो गाड़ी में मुसाफिर बैठते हैं उनकी भी जान का खतरा रहता है क्योंकि ड्राइवरी का काम बड़ी जोखिम का है। आप आये दिन देखते हैं एक्सीडेन्ट्स होते हैं, अगर मोटर ड्राइवर थक कर जरा सी झपकी लेले तो गाड़ी के पूरे आदमियों की जान जरा देर में चली जा सकती है। समाजवाद तो आप छोड़िये, कम से कम ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण को तो अपनायें। लेकिन वह भी नहीं करते हैं। मैं ये सब पर्चे मन्त्री जी की सेवा में दे दूंगा, यह इन्हीं के स्टाफ के लोगों द्वारा लिखे गये हैं। न पक्की नौकरी, न ग्रेचुइटी मिलती है, न त्योहार की छुट्टी मिलती है। इतवार का जो वीकली आफ होता है वह भी नहीं मिलता तो यह विभाग ऐसा है। कानपुर वर्कशाप में ईद की छुट्टी खाली मुसलमानों को दी जाती है। इस तरह से कम्यूनल बेसिस पर छुट्टी चलती है। आपने एक बहाना पेश कर दिया कि रनिंग स्टाफ है, बस कैसे बन्द कर दी जाय। आपके पास स्टाफ इतना होना चाहिये कि सबको छुट्टी मिल सके। अंग्रेजों के जमाने में जैसे स्टेशनों पर हिन्दू पानी और मुसलमान पानी मिला करता था उसी तरह से आज हिन्दुओं की छुट्टी और मुसलमानों की छुट्टी मिला करती है, इससे कम्युनलिज्म फैलता है।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

आप यह जो इंडस्ट्री रन कर रहे हैं यह प्रोफिट बेसिस पर रन कर रहे हैं। मैं फिर यह पूछना चाहता हूं कि इस पर फैक्टरी ऐक्ट क्यों नहीं लागू होता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट क्यों नहीं लागू होता और जो सरकारी कानून हैं वह इस पर क्यों नहीं लागू होते। मुनाफा कमा लिया आपने, वह ठीक है। इस पर आप उछलते क्यों हैं? बिड़ला, टाटा, पद्मपत इससे ज्यादा कमा रहे हैं और वे तो और भी ज्यादा आर्गनाइज्ड वे में एक्सप्लायट कर सकते हैं। आप नये हैं, नौ सिखिया हैं, उसपर कुनबापरस्ती, जनरल मैनेजर का खयाल। इसके लिये मेरा कहना यह है कि समाजवाद तो छोड़ दीजिये, एक लिबरल कैपिटैलिस्ट, समझदार पूंजीपति जैसा ढंग भी आपके द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है।

इलाहाबाद पब्लिक कैरिज की हालत क्या है? मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी रेलवे चला करती थीं और पब्लिक सेक्टर में यह उस समय भी थी। उस समय भी मुनाफा होता था लेकिन सुविधायें उस समय ज्यादा थीं। मुसाफिरों के लिये वेटिंग रूम हुआ करते थे। कानपुर इतना बड़ा शहर है। हजारों आदमी वहां आते हैं। नहर की पटरी पर बस स्टेशन है आपका। एक कमरा है वहां पर। बसेज वहां जो खड़ी होती हैं हर दूसरे तीसरे रोज वहां एक्सीडेंट हुआ करते हैं। वहां पर पैसेंजर को कोई भी सुविधा नहीं है। लखनऊ का भी हाल देख लीजिये। चार घंटा मुझे टिकट लेने के लिये कानपुर में इन्तजार करना पड़ा। मुसीबत यह है कि २०० आदमियों की लाइन लगी है। लाइन में खड़े हो जाइये तो चार घंटे बाद नम्बर आयेगा। कोई जान पहचान वाला हो तो ठीक है। उसको पैसा दे दीजिये तो पीछे वाला मुसाफिर चिल्लाता है, आप नेता हो गये इसलिये लाइन में खड़े नहीं होंगे। फिर उनको सामान रखने की भी सुविधा नहीं है। आप एयर कंडीशन्ड बसेज बना रहे हैं। सारे यू० पी० भर में वे दौरा करेंगी। तो दो चार घंटे कहीं रुकने का तो आप उनको टाइम देंगे ही। दो, चार घंटे लखनऊ देखने के लिये

आ गये तो सामान कहां रखेंगे ? तो न तो पब्लिक को ही कोई आराम है और न वर्कर्स को ही उतनी भी सहूलियतें हैं जितनी आर्डिनरी प्राइवेट सरमायेदारों के यहां हैं। जो कानून वर्कर्स के लिये प्राइवेट पूंजीपतियों के यहां हैं वह भी आपके यहां मौजूद नहीं हैं। जो यातायात की सुविधायें अंग्रेजों के जमाने में थीं वह आपके यहां आज नहीं हैं। अंग्रेज के जमाने में इंजन ड्राइवर के लिये बेटिंग हाउस होते थे, जहां उसको खाना मिलता था, चारपाई मिलती थी, रहने को जगह मिलती थी। उसके अलावा उसको पास भी मिलता था। आज बिजली वाले को बिजली मुफ्त में मिलती है, रेलवे वालों को पास मिलता है, बस वालों को भी दिल्ली, मद्रास, बम्बई, वगैरह में बस का पास मिलता है, लेकिन आपके यहां ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। मेरे पास (कुछ कागजों को हाथ में लेकर दिखाते हुये) आपके कर्मचारियों की जो ग्रीवान्सेज हैं उन सबको अगर मैं पढ़ूं तो बहुत समय लग जायगा इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा उनको पढ़ कर देखें। यह सभी एम० एल० एज० को बांटी गई हैं।

इसके अलावा मैं दो, तीन बातें और कहना चाहता हूं। इस सूबे में जहां जहां अब भी प्राइवेट बसेज चलती हैं उनको खत्म कर के जल्द से जल्द नेशनेलाइज कर लेना चाहिये। लेकिन सरकार उनको नेशनेलाइज इसलिये नहीं करती है क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर यह देखा जाय कि किन-किन लोगों को प्राइवेट बस चलाने के परमिट मिले हैं तो मालूम होगा कि ज्यादातर तो कांग्रेस वालों को मिले हैं या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को मिले हैं, और एक जगह रिटायर्ड कमिश्नर को मिला है। इसके अलावा थोड़े रूट्स पर ये प्राइवेट बसें चलती हैं, लिहाजा उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिये वेस्टेड इंटरेस्ट्स अपोज करते हैं कि नेशनेलाइज मत करो कुछ तो कुनबापरस्ती की वजह से और कुछ पार्टी की मदद के खयाल से। वरना आप नेशनेलाइज क्यों नहीं करते जब आप खुद कहते हैं कि सरकारी रोडवेज मुनाफे पर चल रही हैं। अगर आप सब रूट्स नेशनेलाइज नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं उतना करिये, बाकी को धीरे-धीरे करिये। ये लिमिटेड गाड़ियां होती हैं इसलिये इनमें भ्रष्टाचार चलता है। इन सब बातों की वजह से मेरा सुझाव यह है कि इनको जल्द से जल्द नेशनलाइज करना चाहिये। ए० आर० टी० ओ० की एक किताब होती है....

श्री उपाध्यक्ष—आप कितना समय और लेंगे ?

श्री संतसिंह यूसुफ—दस मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा बोलिये।

श्री संतसिंह यूसुफ—मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों की भलाई के लिये कह रहा हूं। ए० आर० टी० ओ० की एक किताब होती है जिसमें २०० पेज होते हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें ५६ से ज्यादा पेज नहीं मिलेंगे। बात यह होती है कि एनफोर्समेंट स्क्वाड वाले चालान कर देते हैं और बाद को पैसा मिल जाता है तो उसे निकाल देते हैं। एक फार्म मेरे पास है। इसको ए० ड्राइवर को दिया गया था। बाद को वापस किया गया। इस तरह से एनफोर्समेंट वालों का काम चलता है। इसके अलावा एक और लैटर है गाड़ी नं० B.T.D1033 को फतेहपुरी, सिकन्दरा वगैरह चलने की इजाजत दी गई है। इससे पता चलेगा कि इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। यह गाड़ी कितने दिन तक प्लाई करेगी इसका इसमें कुछ भी जिक्र नहीं है। इनका मामला ऐसे ही चलता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सड़कें बाकी रह गई हैं उनको भी नेशनेलाइज होना चाहिये।

आखिरी बात मैं ट्रक के सिलसिले में कहूंगा। अभी तक करीब जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह यह है कि हमारी सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रोडवेज के मामले में

[श्री संतसिंह यूसुफ]

तरक्की की है, लेकिन जहां तक ट्रकों का सम्बन्ध है उसमें तनज्जली की है। १९५० में इनके पास ५८३ ट्रकें थीं अब कुल १३७ ही रह गई हैं। इस तरह से मालूम होगा कि ट्रकों के मामले म इनकी हालत अच्छी नहीं है और पहले से बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है। अभी सदन में कोयले की कमी का रोना रोया जा रहा था कि कोयले की कमी के कारण बहुत से कारखाने बन्द हो गये। इसी तरह से अगर हमारे यहां ट्रफिक बन्द हो जायगी तो भी बड़ी दिक्कत हो जायगी। आपने इस इन्डस्ट्री को बढ़ाया नहीं है। इस इंडस्ट्री को बढ़ाइये और पदमपति और रामरतन गुप्ता आदि पूंजीपति को कर्जा न देकर सरकारी कामों में रुपया लगाइये, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी चलायेंगे और मजदूरों को निकालेंगे तो हमारा इन मामलों में आप से झगड़ा होगा। इसमें छिपाने की बात नहीं है। सरकारी ट्रक्स यू० पी० भर में चलाइये। सड़कें आपकी टूटी फूटी ह उनका कोई इन्तजाम नहीं है। ट्रकों के बारे में यह है कि सूबे की सड़कों की हालत इंतिहाई खराब होने की वजह से आये दिन ट्रकों के हादसे होते रहते हैं। मोटरें टूटती हैं। मिसाल के तौर पर आगरा, इटावा वाली सड़क शिकोहाबाद व फिरोजाबाद के दरमियान दो साल से टूटी हुई है, कोई दूसरा बाई पास भी वहां नहीं है। एटा से चार मील कानपुर की तरफ सड़क बिलकुल टूटी हुई है। उसका कोई बन्दोबस्त नहीं हो रहा है। पगडंडी वगैरह का कोई दूसरा रास्ता वहां नहीं है।

दूसरी बात, ट्रकों को रोककर बीच में लूट लिये जाने की है। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। अभी हाल ही में सरदार प्रीतम सिंह की ट्रक नम्बर ६१३ ई० पी० जी० को रोककर ५०० रुपया लूट लिया गया। ११/१२-५-६२ की दरमियानी रात को गिरवर ट्रांसपोर्ट कम्पनी की एक गाड़ी नम्बर २७६५ यू० पी० आर० पर भोगांव और बेवर के दरमियान गोलियां चलाई गईं। टायरों पर गोलियां चलाकर ट्रक रोक लत ह और पसा रुपया लूट लेते हैं। और आजकल तो रामराज है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। महीनों हो जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं होता।

इसी तरह चुंगियों की परेशानी है। झांसी चुंगी में २५० रुपया बतौर जमानत जमा करवाना पड़ता है और नहीं तो मुबलिग एक रुपया निकासी के लिये ५ रुपये चैयरमैन झांसी म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ता है। (व्यवधान) तीन चार रुपये और खर्च हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपस में बातचीत न करें।

श्री संतसिंह यूसुफ--आखिरी बात एक और कहना चाहता हूं। ट्रैफिक इन्सपक्टर आपके द्वारा मुकर्रर हैं इस डिपार्टमेंट की तरफ से तो फिर आर्डिनरी पुलिस क्यों इसमें दखल देती है? सबसे ज्यादा शिकायत अगर ट्रैफिक वालों को है तो आर्डिनरी पुलिस वालों से है। हाथ उठाकर गाड़ी खड़ी करके दो रुपया उससे ले लेंगे और उसको चलता कर देंगे कोई माननीय सदस्य या कोई मिनिस्टर जो देखना चाहते हों वह मेरे साथ चलें, यह न एलान करें कि मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, साधारण आदमी की तरह से चलें, मैं उनको दिखाये देता हूं किस तरह से पुलिस वाले ट्रकों को रोक कर उनसे दो रुपया लेते हैं और फिर ट्रक को चलता करते हैं। तो इस पुलिस का कोई काम नहीं है। जब उसको रेग्युलेट करने के लिये अपनी पुलिस है, उसका काम है चालान करना और वह करती है, तो इनको दखल देने की क्या जरूरत है? लेकिन आज ट्रक वालों से दो रुपये, चार रुपय, एक रुपया घूस लिया जाता है, शहर में भी, सड़क पर भी और चुंगी में भी। यह क्या है? आप ठीक ढंग से इसको चलाव नहीं तो बन्द कर दें।

इसमें आप उन मजदूरों की हालत सुधारिये जो कि इसक अन्दर काम करते हैं। उनकी सलाह लीजिये, उनका मशविरा लीजिये, उनके इनिशियेटिव को डेवेलप कीजिये। इनकी एक इस तरह की कौंसिल बनाइये। मसानी की रिपोर्ट थी ट्रैफिक के ऊपर, उसने स्पष्ट किया था। एक कोई बोर्ड या कारपोरेशन इनका आप बनाइये रेलवे और ट्रांसपोर्ट का।

वह भी आपने नहीं माना। मसानी आपसे इस मामले में एक कदम आगे हैं जो कि स्वतन्त्र पार्टी के हैं और समाजवाद के विरोधी हैं और आप समाजवादी होकर भी वह काम नहीं करते हैं। दुनिया के जो देश आज पीसफुली तरक्की की तरफ जा रहे हैं उनके यहां वर्कर्स की ट्रेड यूनियन्स बनी हुई हैं। वह वर्कर्स कौंसिल्स बनाते हैं। लेकिन आज आपके यहां तो हालत यह है कि सरकार यह समझती है कि ये हमारे मुलाजिम हैं और मुलाजिम जैसे प्राइवेट ओनर को अपना खून चूसने वाला समझता है, वैसे ही सरकार को समझता है। यह है रिश्ता दोनों के बीच। तो क्या हुआ पब्लिक सेक्टर और क्या हुआ समाजवाद ?

हो सकता है मैंने एक आध बात जरा कड़े ढंग से कह दी हो। मेरी आदत ही ऐसी है और बहुत दिनों से चली आती है कि जरा कड़ी बात कहता हूं। लेकिन कड़ी बात कोई दुखाने के लिये नहीं मैंने कही। कड़ी बात कभी-कभी कहनी पड़ती है। अगर सरदार भगतसिंह ने असेम्बली में जाकर बम फेंका, तो लोगों के कान खोलने के लिये। कभी-कभी कान खोलने के लिये कड़ी बातें भी कहनी पड़ती हैं। हमने भी देश के लिये बहुत मुश्किल उठाई है। इसी कांग्रेस के खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई, हमने अंग्रजों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। कांग्रेस के खिलाफ तो अभी आवाज उठाई है। जो हमने आजादी का नकशा बनाया था कि उसमें हम सब सुखी रहेंगे सब की हालत अच्छी होगी। उसमें कोई भूखा और नंगा नहीं रहेगा। मगर जो आज हो रहा है उसको देखकर दुख होता है। मैं आपसे ईमानदारी के साथ कहता हूं कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इससे तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था। उसको सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। वे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं तभी इस तरह की बात कहते हैं। वे असल में परेशानी से मजबूर होकर इस तरह की बात कहते हैं। जब इस तरह की देश में हालत है तो आप मैदान साफ करते हैं रिएक्शनरी फोर्सेज के लिये आप ग्राउन्ड तैयार करते हैं .....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं वे प्वाइन्ट से बाहर हैं।

श्री संतसिंह युसुफ---मैंने एक बात भी प्वाइन्ट से बाहर की नहीं कही। पब्लिक सेक्टर में कैसे चल रहा है वही मेरा प्वाइन्ट है और उस पर मैं कह रहा हूं। कुछ लोगों को जान बूझकर या अनजाने में समाजवाद के खिलाफ जो बातें मालूम होती हैं, तो उससे उनको आपत्ति मालूम हो रही है। इसलिये मैं अब उनको ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं।

[अनुदान संख्या ४०---परिवहन

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री मुकुन्दी लाल बैरिस्टर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य ---जनता की असुविधा की ओर ध्यान दिलाना।

[ ] कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

२	श्री ऊदल तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य —कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, योजना का प्रसार करना तथा अन्य सुझाव और शिकायतें ।
३	श्री जे० पी० मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
४	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्राइवेट आपरेटर्स की कठिनाइयों की चर्चा करना तथा कर में कमी करने का सुझाव देना ।
५	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री विजय सिंह, श्री नवरंग सिंह, तथा श्री चैतन्य राज सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
६	श्री कोतवालसिंह भदौरिया	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य —(१) आठ घंटे से ज्यादा कन्डक्टरों और ड्राइवरों से काम लेने व हेड आफिस तथा अन्य आफिसों के क्लर्कों की छुट्टियों में अन्तर होने के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना । (२) बस स्टेशनों पर पानी पिलाने वाले, जिन्हें १० रुपये वेतन मिलता है उनके वेतन की बढ़ोत्तरी की मांग करना, (३) इटावा रीजन में कन्डक्टरों की परीक्षा लेने में विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की धांधली व अनियमितताएं तथा पक्षपात बरतने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना ।

अनुदान संख्या ५२---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

(लेखा शीर्षक : ९४---जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजीगत लागत, तथा १०९---अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत तथा ११४---सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजीगत लागत)

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री नवरंगसिंह, श्री चिरंजीलाल तथा श्री विजय सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य---सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।]

†**श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री ने जो अनुदान संख्या ४० और ५२ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, १५ वर्ष से कुछ अधिक हुये कि रोडवेज को सरकार ने चलाकर सड़कों और मोटरों का राष्ट्रीयकारण किया । इसमें शुरू से लेकर आज तक दिन ब दिन पब्लिक को आराम मिलता चला जा रहा है । इस समय १८ हजार परिवारों का इसमें गुजारा हो रहा है । ३,१९१ बसेंज ६६९ रास्तों पर चल रही हैं । वैसे तो श्रीमन्, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई न हो । दुनिया की प्रत्येक चीज अच्छाई और बुराई से मिलकर बनी हुई है । जो भी विभाग सरकार के हैं उनमें यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार के जनता का अहित करने वाले कार्य नहीं हैं, लेकिन रोडवेज में यह देखा गया है कि इसमें अधिकांश बातें ऐसी हैं जो जनहित के लिये उपयोगी हैं और बुराई की मात्रा इसमें बहुत कम है ।

जब यह विभाग शुरू हुआ था उस समय इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी । प्रबन्ध में थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हुई थीं जिनमें कुछ शिकायतें पब्लिक की हुई थीं, लेकिन १५ वर्ष से आज तक हर वर्ष इसमें तरक्की होती चली जा रही है । प्रदेश भर में अधिकांश सड़कों पर ये बसें चल रही हैं ये समय से छूटती हैं और समय से पहुंचती हैं । आवश्यक स्थानों पर जहां पब्लिक को जरूरत होती है वहां पर बस स्टेशन बनाये जाते हैं । जनता की सुविधा के अनुसार बसें मिलती हैं । गुजरा जमाना भी मुझे याद है । अंग्रेजों के जमाने में जो प्राइवेट मोटर लारियां चलती थीं तो वे थाने पर दो-दो और तीन तीन घंटे तक दारोगा जी के तैयार होने का इंतजार किया करती थीं इसलिये कि दारोगा जी तैयार हो कर कचहरी जायंगे और सारे के सारे मुसाफिर परेशान होते थे । लारी के मालिक, ड्राइवर,क्लीनर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ कह सकते । लेकिन जब से सरकार ने इस व्यवस्था को

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

अपने हाथ में लिया है इस तरह की तकलीफें समाप्त हो गयी हैं और जनता को नियत स्थान पर समय से ये बसें पहुंचा देती हैं। साथ ही यह बड़ी बड़ी बसें हैं, काफी तादाद में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की इनमें सुविधा है। पब्लिक को किसी प्रकार की शिकायत इन बसों से नहीं है। कभी कभी जब बस पूरी सवारियों से भरी होती है तो रास्ते की सवारियों को लेने से कंडक्टर इन्कार कर देता है और ऐसा करने से वे सवारियां दुखी होती हैं, लेकिन उसूलन अगर देखा जाय तो यह व्यवस्था जनता के आराम के लिये ही है। सरकार ने इस प्रकार रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया है और राष्ट्रीयकरण में यह सरकार का पहला कदम है। किसी साम्यवादी या समाजवादी नेता के मुंह से राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध आवाज निकले और इसकी मिसाल टाटा और बिड़ला से दी जाय तो ताज्जुब होता है। समाजवाद और साम्यवाद की भूमिका जहां से शुरू हुई है, जो उसके मौलिक सिद्धांत हैं, उन पर वे निगाह ही नहीं डालते। वह नहीं सोचते कि हम इसको किस प्रकार कर रहे हैं। यह एक छोटा सा कदम है राष्ट्रीयकरण के लिये। जिस के लिये आप शिकायत करते हैं कि उत्पादन के साधन समाज के हाथ में होने चाहिये, सब चीजें पब्लिक की होनी चाहिये उस के लिये यह एक छोटा सा कदम है और इसलिये मैं अपने माननीय सदस्यों से अदब से गुजारिश करूंगा कि शिकायत करने से पहले उन्हें कुछ सोच लेना चाहिये।

आज देहातों में और शहरों में बसें चल रही हैं। इनसे शहर के लोगों को बड़ी सुविधा हो गयी है। हम १० या १५ नये पैसे में पूरे शहर का भ्रमण कर सकते हैं जब कि रिक्शे या तांगे में बहुत ज्यादा किराया पड़ता है। इन बसों से जनता को बड़ा लाभ हुआ है। इसके साथ ही जो इस विभाग के कर्मचारी हैं खास तौर से ड्राइवर्स, उनकी ट्रेनिंग के लिये प्रबंध किया गया है। कानपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है जहां मैकेनिक और ड्राइवर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और फिर अभ्यस्त हो कर निपुणतापूर्वक बसें चला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये कुछ समय दिया। जहां तक परिवहन विभाग का संबंध है, इसके बारे में कुछ कमियां कही जा सकती हैं कुछ अच्छी बातें हैं, उनका भी जिक्र किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने किराया तो बढ़ाया है मगर जनता को सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। मैं उसके बहुत छोटे-छोटे उदाहरण आपके सामने रखूंगा।

अभी हमारे एक प्रतिपक्षी भाई ने यह बात कही कि अब बसें समय से चलती और पहुंचती हैं। जिस बस में वे बैठे हों वह बस तो शायद समय से छूटी हो मगर अक्सर यह होता है और मेरा तो यही तजुर्बा है कि बसें न तो ठीक टाइम से छूटती हैं और न टाइम पर पहुंचती हैं। जब बुकिंग हो जाती है तो उसके बाद आधे घंटे तक ड्राइवर और क्लीनर का ही पता नहीं चलता। उसको ढूंढने में ही आधा घंटा निकल जाता है।

इसके अलावा, आजकल गर्मी का मौसम है, यात्रियों के ठहरने के लिये वेटिंग रूम आदि का प्रबंध नहीं है। सब से बड़ी बात तो यह है कि आजकल जब कि गर्मी बहुत पड़ रही है यात्रियों के पीने के लिये पानी तक की ठीक व्यवस्था नहीं है। पानी पिलाने के लिए कर्मचारी भी नहीं हैं।

तीसरी बात यह है कि यात्रियों के सामान को गाड़ी में चढ़ाने और उतारने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। कायदे के अनुसार तो यह लिखा रहता है कि कन्डक्टर यात्रियों के सामान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बस के ऊपर से उठा कर देगा और संबंधित व्यक्ति उसको नीचे से लेगा परन्तु ऐसा होता नहीं है क्योंकि कन्डक्टर्स तो बाबू होते हैं। वे इस कार्य में कोई मदद नहीं करते। रास्ते में, वह तो, जिसके पास अधिक सामान देखते हैं, उसको बस में बिठाते भी नहीं इस कारण कि उस सामान को उनको रखना होगा। तो यह जो व्यवस्था है वह जनता के हित में नहीं है, उससे जनता को और परेशानी होती है।

फिर रेलवे में जैसी व्यवस्था है कि गाड़ी अगर छूट जाय तो टिकट वापस हो जाता है वह व्यवस्था भी आपके यहां नहीं है। गाड़ी अगर किसी कारणवश छूट जाय तो टिकट के पैसे भी वापस नहीं होते।

सबसे बड़ी जो कमी इसमें है वह यह है कि जो दुर्घटना होती है उसमें जो हताहत लोग होते हैं उनको अस्पताल ले जाने आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मई के महीने में नैनीताल रोड पर जो एक ऐक्सीडेन्ट हुआ उसमें एक आदमी मर गया और कई घायल हुये थे। उनके लिये कोई ऐम्बुलेन्स की व्यवस्था नहीं थी। कई घंटों के बाद वे लोग बरेली ले जाये जा सके। तो मेरी मांग यह है कि हर जगह एक एम्बूलेंस कार का इन्तजाम इस विभाग द्वारा होना चाहिये।

इसके अलवा रोडवेज कर्मचारियों के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। जितनी बुरी हालत रोडवेज के कर्मचारियों की है उतनी बुरी हालत अन्य कहीं के कर्मचारियों की नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों में सबसे बड़ी समस्या आवास की है। उनके रहने के लिये क्वार्टर नहीं दिया जाता। यहां तक कि स्टेशन इन्चार्ज जिसको कहीं भी भेजा जा सकता है उसके रहने की भी व्यवस्था नहीं है। उससे ८ घंटे तो काम लिया ही जाता है उसके अतिरिक्त ७–८ घंटे और काम लिया जाता है, लेकिन कोई अतिरिक्त अलाउंस नहीं दिया जाता और आवास की समस्या हल नहीं हो पाती जिससे वह परेशान रहता है। स्टेशन इंचार्ज की ही बात नहीं है, बुकिंग क्लर्क वगैरह के भी आवास की समस्या हल होती दिखाई नहीं देती। क्योंकि अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि १० रनिंग रूम और १३ कैंटीन्स का प्रबन्ध कर रहे हैं, लेकिन आवास की समस्या ज्यों की त्यों है। इसके विपरीत जहां तक किया गया है कि जो कानपुर का सेंट्रल वर्कशाप है उसमें जब १९४७ में राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय वहां पर जो कालोनी थी उसमें ९५ क्वाटर्स थे, जिनमें अधिकांश का किराया १३ रुपया मासिक निश्चित किया गया था। ९ वर्ष जब हो चुके तो सन् १९६० में उनके पास सरकुलर भेजा गया कि यह किराया आपसे बहुत कम लिया जाता है इसलिये ९ वर्ष पहले से आपका किराया १६–१८–२० और २४ रुपया, इस तरह से लिया जायगा और जो पैसा एक्सेस में इस तरीके से आता है वह आपसे वसूल कर लिया जायगा। इस प्रकार से आवास की समस्या हल होगी नहीं और यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार रहा है कि एक आदमी जिससे १३ रुपये मासिक किराया ले रहे हैं, ९ वर्ष बाद उससे पिछले ९ वर्षों के अतिरिक्त किराये की मांग करें और वसली की बात करें, यह अनुचित है और अच्छा नहीं है।

इसी प्रकार से जो ड्राइवर्स हैं उनको ४५ से ८० का ग्रेड मिलता है जो बहुत कम है। उनको थोड़ा सा माइलेज पड़ जाता है, लेकिन वह बहुत कम है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? जो सुविधाएं आप रेलवे में देते हैं उसका मुकाबला किया जाय तो उनको कुछ नहीं दिया जाता जबकि आज ड्राइवरों की किल्लत है और सरकारी सर्विस में कम आते हैं, प्राइवेट सर्विस में चले जाते हैं। सेंट्रल वर्कशाप के कर्मचारी, टर्नर, वेल्डर और हाथ का काम करने वाले लोगों की बुरी दशा है। १० साल से ४१ वर्ष के कर्मचारी उसमें भरे हुए हैं जिनको अबतक स्थायी नहीं किया गया और डेली वेजेज के हिसाब से उनसे काम लिया जाता है, ७ दिन में एक दिन की छुट्टी बगैर पैसे के उनको दी जाती है और साल के आखिर में २० दिन काम करने पर एक दिन की अर्न्ड लीव मिलती है, अन्य कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन संबंधी अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस संबंध में कुछ कहने के पूर्व मैं आपके द्वारा माननीय पत्र-प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं इस बात की ओर कि आज से पूर्व मैं दो दिन इस सदन में बोला था लेकिन दोनों ही दिन एक हिन्दी के समाचार-पत्र और एक अंग्रेजी के समाचार-पत्र को छोड़ कर बाकी सब में मेरा नाम गलत प्रकाशित हुआ; तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संक्षिप्त नाम 'वाई पी खंडूड़ी' नोट कर लिया जाय या परा नाम योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी और मैं बदरीनाथ क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं।

श्रीमन, परिवहन सम्बन्धी व्यवस्था पर मुझे तीन-चार बातें कहनी हैं । मैंने सार्वजनिक जीवन में कार्य किया है और जो कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं उनके आधार पर अपने विचार प्रकट करूंगा । बहुत सारी बातों पर परिवहन व्यवस्था निर्भर करती है, जैसे कि पर्याप्त गाड़ियों का होना, अच्छी सड़कें और विभाग में जो काम करते हैं ड्राइवर वगैरह और दूसरे वर्कर्स की सुविधा का पूरा पूरा प्रबन्ध । यहां पर नीति सम्बन्धी चर्चा भी की गई । सरकार की जो परिवहन सम्बन्धी नीति है मैं उसका परा पूरा समर्थक हूं और माननीय मंत्री जी जो नीति मानते हैं उसका पूरा समर्थक हूं । यह बात सही है कि जितनी जल्दी हो सके जनता को अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये । यह सब हमारा कर्त्तव्य है । परिवहन के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण की नीति का मैं पूरा समर्थक हूं, लेकिन इस देश और प्रदेश की जो नीति है उसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों को अवसर दिया गया है काम करने का, जहांतक व्यक्तिगत क्षेत्र का सम्बन्ध है वह उसी समय तक उपयुक्त हो सकता है जबतक कि वह प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये घातक न हो । जब व्यक्तिगत क्षेत्र में इस तरह की बातें होने लगती हैं, जो नहीं होनी चाहिये, तब सरकार का काम हो जाता है कि वह व्यवस्था को सम्हाले और ठीक तरह से संचालन करे ।

उत्तराखंड में यातायात के सम्बन्ध में जो व्यवस्था और कठिनाइयां हैं वह आपके सामने हैं । इस सदन में कई बार यह प्रश्न आ चुका है । उस सड़क को मौत की सड़क और उस घाटी को मौत की घाटी के नाम से पुकारा गया । बदरीनाथ घाटी को मौत की घाटी के नाम से पुकारा गया । उचित व्यवस्था की कमी के कारण ऐसा हुआ । गढ़वाल मोटर कम्पनी वहां काम करती है । चमोली तहसील को पृथक् जिला बना लिया गया है उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण होने के बाद । वही गढ़वाल मोटर कम्पनी चमोली के जिले में काम करती है । बहुत लम्बे समय तक उस कम्पनी की सेवायें अच्छी रहीं जबकि अंग्रेजों की तरफ से वहां पर कोई मोटर यातायात की व्यवस्था नहीं थी केवल लैंसडाउन तक छावनी होने के कारण मोटरें जाती थीं उस जमाने में जब कि वहां के उन लोगों नेमोटर के दर्शन भी नहीं किये थे जो गढ़वाल से बाहर नहीं आये होंगे ऐसे समय पर उस मोटर कम्पनी ने वहां पर काम किया । यह तो भूतकाल की बात है । अब तो हमें वर्तमान की ओर ही देखना है और जनता की सुविधा की ओर देखना है । यह मेरा निवेदन है कि इस समय उस कम्पनी की व्यवस्था में कुछ खामी आ गई है सम्भवतः उनके पास पर्याप्त मात्रा में गाड़ियां नहीं हैं । वैसे वहां कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गढ़वाल मोटर कम्पनी का उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, मेरे पास बदरीनाथ और केदारनाथ से कुछ पत्र आये हैं, वहां पर हालत यह है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले के बहुत समीप पहला बस-स्टेशन पड़ता है, वहां और दूसरे स्टेशनों पर बदरीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्री सैकड़ों की संख्या में पड़े हुये हैं । मैंने पिछले वर्षों भी देखा और इस बार भी जब मैं पिछले दिनों गया था, लोकल पैसेन्जर्स जो होते हैं उनकी तकलीफें यात्रा काल में और बढ़ जाती हैं । लोकल पैसेन्जर्स का पूरा पूरा कोई उचित व आवश्यक प्रबन्ध वह कम्पनी कर ही नहीं पाती । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आर० टी०ओ०, देहरादून जो उत्तराखंड में है, आदेश कर दें कि वह इस यात्रा-

काल में सुविधायें दें। मेरे यहां चमोली जिले में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए कुन्ड तक और रुद्रप्रयाग से जोशीमठ तक तथा कर्ण प्रयाग से आदि बदरी तक मोटरें चलती हैं, लेकिन उन्हें कम्पनी मनमाने ढंग से चलाती है। उसके पास गाड़ियों की कमी है। कम्पनी के लोगों से हम बात करते हैं तो वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर दोष डालते हैं कि उनकी सड़कें अच्छी नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें चमोली जिले में बहुत ही खराब हैं। वहां की सड़कों की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र ठीक करनी चाहिये। पहाड़ की सड़क पर चलने योग्य गाड़ियां यदि सरकार के पास नहीं हैं तो उनके लिये आर्डर दिया जाय। छोटे माडल की गाड़ियां जल्द तैयार कराके वहां के यात्रियों की तथा लोकल जनता की सुविधा की ओर ध्यान दिया जाय।

अस्थायी परमिट इस विभाग से दिये जा रहे हैं। आर० टी० ओ० को अधिक से अधिक इन्हें देने का आदेश दें। मैं जानता हूं कि वहां के लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो १ या २ अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो और सारी व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले। अब इस ही में बदरीनाथ से केदारनाथ के यात्रियों व यहां की जनता को सुख सुविधा मिलेगी।

***श्री गंगाधर** (जिला चमोली)--उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के पक्ष में बैठने वाले हमारे जिले के एक कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री योगेश्वर प्रसाद जी ने उत्तराखंड की यातायात की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वहां इतनी बुरी तरह से गाड़ियां टूटी और इसी प्रदेश के नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी यात्री जो यात्रा की भावना से आये थे मृत्यु के घाट उतरे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष वहां के लिए एक कमेटी बैठाई गयी थी। आज कल के वर्तमान अध्यक्ष उस कमेटी के अध्यक्ष थे। श्री चन्द्रसिंह रावत जी जो अब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं और श्री गेंदासिंह जी, हमारे नेता, उस कमेटी में थे। इस महत्व को तो सरकार ने समझा कि वहां लोगों की मृत्युएं हुई हैं, मगर उस कमेटी की रिपोर्ट को आज तक आउट नहीं किया गया। जहां तक मालूम हुआ है, पिछले अप्रैल में वहां के ट्रांसपोर्ट अफसर ने जी० एम० ओ० यू० के लोगों को बुलाया और चाहा कि वहां यातायात की सुविधायें हो जावें। बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री व यमनोत्री की यात्रा करने के लिये इस सरकार के मना करने पर भी बहुत से लोग आते हैं, भले ही इस सरकार ने उसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा भी किया। ऋषिकेश में, श्रीनगर में यात्रियों की भीड़ पड़ी हुई है। रुद्रप्रयाग में, चमोली व कुडचट्टी में, जो केदारनाथ के लिये रास्ता जाता है, वहां भी यात्रियों की भीड़ है। उत्तर प्रदेश में और जगह ट्रेन है, हैलीकाप्टर से भी मंत्री लोग जाते हैं, लेकिन वहां मोटर के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इस पर भी हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बड़े खेद की बात है।

हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि वहां प्राइवेट मोटरें न चलें, लेकिन उनका प्रबन्ध आप ठीक करने की कृपा करें, उनको अच्छी गाड़ियां दिलाने की व्यवस्था करें। अगर आप उनका प्रबन्ध ठीक नहीं करा सकते तो उनकी गाड़ियों को अपने प्रबन्ध में चलवाइये; यह सदन आपके साथ होगा। वहां जब कोई गड़बड़ होती है तो इस सरकार की बदनामी के साथ हम लोगों की भी बदनामी होती है। हमें भी वहां बंगाल, मदरास, महाराष्ट्र, आंध्र, केरल इत्यादि से आये हुये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह क्या व्यवस्था है। आज मैंने सुना है कि बहुत सी सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है। ऐसा भी प्रबन्ध किया गया है कि एक ड्राइवर ८ घंटे से अधिक न चले। लेकिन उससे यातायात की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर]

समस्या हल नहीं होती है। श्रीनगर में आदमी ३ बजे आ जाता है और रात ७ बजे पड़ती है। ४ घंटे उसे श्रीनगर में रुकना पड़ता है जबकि वह ऋषिकेश आ सकता था, लेकिन वहां रहने की और पानी की सुविधा नहीं है। गढ़वाल जिले के लोगों को अंग्रेजी सरकार ने खाली एक सिपाही के रूप में रखा, लेकिन इस सरकार की व्यवस्था से भी वहां के लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इस वर्ष भी २ गाड़ियां वहां टूटी हैं। हम समझते हैं कि सरकार की भी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर वह चाहे तो व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। थोड़े लोगों की सहानुभूति के साथ बड़े इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार के लिये बड़े लज्जित की बात है कि केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के यातायात की ओर ध्यान नहीं देती। वहां के लोकल लोग जो गाड़ी वाले हैं वे जोशीमठ तक यात्रियों को बैठा लेते हैं, लेकिन बीच के यात्रियों की वे परवाह नहीं करते। उन्हें पैदल चलना पड़ता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन स्थानों में रेल, नाव, हवाई जहाज आदि और प्रकार की यातायात की सुविधायें हैं उनके मुकाबिले में जहां मोटर को छोड़ कर और कोई सुविधा नहीं है, वहां इसकी और अधिक व्यवस्था होनी चाहिये।

जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट को छपवा कर हमको वितरित किया जाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने सरकार, यात्रियों और मोटर आपरेटरों सब की ही सुविधा का ध्यान रखा होगा और सब के ऊपर ठंडे दिमाग से सोच विचार कर अपनी राय दी होगी। हम लोग यहां विधान सभा में सब दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते। उन सब बातों को देखते हुए हमें तत्काल ही वहां की यातायात की कठिनाई को दूर करना चाहिये। आशा है माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय यूसुफ जी ने पेश किया है, उसका विरोध करता हूं। मैंने बहुत ही गौर से माननीय यूसुफ जी के व्याख्यान को सुना। उन्होंने अपने व्याख्यान में समाजवाद के बारे में बड़ी विचित्र बात कही जो मेरी समझ में नहीं आयी। आपने कहा कि प्राफिट की बेसिस पर समाजवाद में काम नहीं हुआ करता है। यानी परिवहन विभाग में जो मुनाफा हो रहा है, उससे उन्होंने यह नतीजा निकाला कि यह सरकार समाजवाद से बाहर होती जा रही है। ऐसा व्याख्यान आज ही हमने इस सदन में सुना है। इंगलैण्ड, अमेरिका, रूस, किसी भी जगह के इतिहास को देख लिया जाय, कहीं भी इस प्रकार का नतीजा नहीं निकाला जाता कि अगर किसी सरकारी इन्डस्ट्री में लाभ होता है तो उससे सरकार समाजवाद से दूर होती है। कैपिटलिज्म में इन्डस्ट्री का लाभ व्यक्तिगत होता है, लेकिन स्टेट की इंडस्ट्री में वह समाज का होता है।

पंचवर्षीय योजनाओं के लिये हमें रुपये की बहुत आवश्यकता है, अतः रुपये को हमें सोच समझ कर खर्च करना है। हम यह नहीं कहते कि आवश्यक व्यय भी न किये जायं, लेकिन जहां रुपया बच सकता हो वहां बचाया जाय। इस अनुदान के द्वारा कर्मचारियों को सुविधायें दी गयी हैं वे अपर्याप्त हैं अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें और सुविधा देनी चाहिये।

दूसरी बात यूसुफ साहब ने कही कि अंग्रेजों के जमाने में रेलवे में बहुत सुविधा थी। यह बात नहीं है, दिन ब दिन रेलवे वालों की सुविधाएं बढ़ती ही जाती हैं। अपने राज्य के समय अंग्रेजों की बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कोई निर्माण का कार्य हमारे देश में नहीं होता था। वे तो अपनी आमदनी बढ़ा कर ऐशोआराम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते थे और आज हमें अपनी आय से अपना पेट भी पालना है और साथ ही साथ देश के निर्माण का कार्य भी करना है। इसलिये उनसे मुकाबला करना तो उचित बात नहीं है।

दो तीन बातें मैं और कहूंगा। एक तो यह कि लखनऊ-फैजाबाद के दरमियान आपके इस डिपार्टमेंट की कोई बस रन नहीं करती है और उससे यात्रियों को बहुत ही असुविधा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि फैजाबाद--लखनऊ रोड एक ऐसी इम्पार्टेन्ट रोड है जिस पर डिपार्टमेंट की तरफ से बस का चलाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे बस्ती जिले में बांसी-बकुर सड़क जो २२ मील लम्बी है और अब पुख्ता हो गयी है, डेढ़ दो वर्ष से प्रयत्न करते रहने पर भी अभी तक उस पर बस नहीं चल रही है। मैं चाहूंगा कि जो मेटल्ड रोड्स हैं उन पर बसें अवश्य चलायी जायं। इस सम्बन्ध में पूछने पर मालूम हुआ कि प्राफिट और लास बेसिस पर बसों का चलाना व न चलाना निर्भर करता है। यानी जिस रोड पर प्राफिट होता है उस रोड पर तो रोडवेज की बस जल्दी चलने लगती है और जहां नुकसान की सम्भावना होती है उन पर जरा देर में चलती है। इस सम्बन्ध में मैं प्रार्थना करूंगा कि जब बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और जनता के लाभ के लिये उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है तो उसमें बहुत नफे व नुकसान का खयाल नहीं होना चाहिये, बल्कि जनता के लाभ के लिये, जहां जहां सड़कें ठीक हैं वहां वहां बसों का चालू करना बहुत जरूरी है।

साथ ही साथ एक बात मैं कर्मचारियों की बाबत निवेदन करना चाहता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि जो पढ़े लिखे पैसेंजर होते हैं उनके साथ तो कर्मचारियों का बर्ताव अच्छा होता है, लेकिन जो ग्रामीण जनता होती है, जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके साथ उनका बर्ताव जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता। हम मानते हैं कि हर वर्ष कर्टसी वीक मनाया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन वे जनता सिर्फ पढ़ी लिखी जनता को ही समझते हैं और जो ग्रामीण जनता है उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री के द्वारा यह चाहूंगा कि ऐसा आदेश जारी किया जाय कि जहां तक कर्टसी का सवाल है, जो ग्रामीण जनता है और जो कम समझती है उन तक रोडवेज सम्बन्धी सुविधा दी जाय और उनकी जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता दें और उनके साथ नम्रता से बर्ताव करें।

इसके साथ ही लगेज वाला सवाल है। मैं भी समझता हूं कि जैसे प्राइवेट लारी वाले सवारियों का माल लादते थे और उतारते थे उसी तरह से इन बसों में भी इन्तजाम किया जाय। चाहे आय किराया कुछ बढ़ा लें, लेकिन यह जरूर करें कि हर बस के साथ एक क्लीनर या कुली जरूर हो जो गाड़ी पर से सामान उतारे और चढ़ावे। इससे जनता को बड़ी सुविधा होती है। कोई आदमी साइकिल लाता है या और कोई सामान लाता है, और उसे वह खुद चढ़ावे और खुद उतारे तो यह जरा मुश्किल व दिक्कत की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे किराये में कुछ इजाफा कर लिया जाय, लेकिन क्लीनर या कुली का प्रबन्ध बस के साथ जरूर होना चाहिये।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री ने आज जो यह अनुदान रखा है और जो भाषण दिया है उसको काफी गौर से मैंने सुना है। मान्यवर मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी प्राइवेट बस का मैनेजर अपने मालिक को ब्यौरा देता है कि इतना हमने आपका मुनाफा किया है और इतना आपका खर्च किया है, उसी तरह से यहां माननीय मंत्री जी ने भी ब्यौरा दिया।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशकुमार सिनहा]

मैं बराबर देख रहा हूं और मंत्री जी ने स्वयं बताया कि २२० लाख रुपये सालाना बसों से मुनाफा होता है, लेकिन उसको कमाने वाले कर्मचारियों के लिये इस विभाग ने क्या सुविधायें दी हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जिस महकमें में इतना मुनाफा हो और उसके कर्मचारियों को सुविधा न मिले तो जाहिर है कि समाजवाद की बात और समाजवाद का नारा बिलकुल एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे उधर के बोलने वाले महानुभाव ने कहा कि बसों के अन्दर पढ़े लिखे यात्रियों के साथ दूसरे ढंग का व्यवहार होता है और देहाती आदमियों के साथ दूसरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ उन महानुभाव से कहूंगा कि इस विभाग का भी यही रवैया है कि ऊंचे कर्मचारियों के साथ उसका एक प्रकार का व्यवहार है और नीचे के कर्मचारियों के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार है। और उनमें भी आप ऊंचे कर्मचारियों में देखें कि जो आज बड़े-बड़े मैनेजर हैं, जिनके लिये मोटर है, रहने के लिये बंगले हैं, जिनको अनेक सुविधा दी जाती है, अच्छा टी० ए०, डी० ए० लेते हैं। एक तरफ तो वह हैं और दूसरी तरफ वह ड्राइवर और कन्डक्टर हैं जिनके ठहरने के लिये मकान नहीं हैं और जो १६–१६ घंटे की ड्यूटी के बाद भी किसी दरख्त या टिन शेड के नीचे पड़े रहते हैं और जो थोड़ा-सा समय उनको मिलता है उसको व्यतीत करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कन्डक्टर्स के साथ भी सरकार ने सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रखा है। आप देखें कि शहरों के कन्डक्टर्स का वेतन शुरूआत से ही ४५ रुपया मासिक है जबकि देहात के कन्डक्टर्स की ४० रुपया मासिक वेतन से ही शुरूआत होती है। इसके साथ ही साथ मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि १९५३ तक के जो शहरी कन्डक्टर्स हैं उनको तो स्थायी कर दिया गया है, लेकिन सन् १९४९ के भी जो देहात के कन्डक्टर्स हैं उनको आज तक किसी ने स्थायी नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करें।

सब से ज्यादा तवज्जह की मंत्री जी को इस बात पर जरूरत है कि आज इस विभाग में २० हजार मजदूर काम कर रहे हैं उसमें से १४ हजार अस्थायी हैं। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इसी सदन में इस बात की घोषणा की थी कि हम प्रति वर्ष ४,००० मजदूरों को स्थायी करेंगे। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपने आश्वासन के अनुसार प्रति वर्ष १,००० मजदूर भी अभी तक स्थायी किये हैं। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मुझे कई बातें कहनी थीं अभी से लाल बत्ती हो गई है। दूसरे विभागों में, जैसे कुर्क अमीन हैं जिनको ९०–९५ रुपये वेतन मिलता है उनसे ५०० रुपये की जमानत जमा कराई जाती है, लेकिन इस विभाग के जो असिस्टेंट कैशियर हैं जिनका वेतन कुल ७५ रुपया है उनसे जमानत के ३,००० रुपये जमा कराये जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वही लोग रखे जाते हैं जिनको बड़े अफसर चाहते हैं या बड़े लोग ही आकर इतना पैसा जमा कर के उस नौकरी को हासिल कर सकते हैं।

अन्त में मैं सीतापुर के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे सीतापुर में लगभग १ लाख रुपये का मुनाफा हर महीने में रोडवेज को होता है, करीब ४,५ हजार रुपये के टिकट प्रति दिन वहां बिकते हैं, लेकिन वहां का कैन्टीन १६,००० रुपये का नीलाम हुआ है जिसकी हालत यह है कि वहां यात्रियों को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बड़ी ठगई वहां होती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसके सम्बन्ध में जरूर विचार करें।

सीतापुर के अन्दर ए०टी०आई० कम से कम १४, १५ साल से काम कर रहे हैं जिनका आज तक बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर होता भी है तो सिधौली से महमूदाबाद या महमूदाबाद से सिधौली, जिसका कारण यह है कि कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी विभाग के या अन्य उच्च अधिकारी उसमें दिलचस्पी रखते हैं और उन लोगों को १४, १४ सालों से वहां रखे हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री यूसुफ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, कितना समय आप हर सदस्य को दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---७ मिनट, यही तय हुआ था।

श्री उग्रसेन---मेरा सुझाव है कि सदन का समय ५ बज क बाद कम स कम १ घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---बाद में देखा जायगा।

श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)---जनाबवाला, मुल्क की तरक्की और उन्नति के लिये आने जाने और बोझ उठाने के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट विभाग का बड़ा दखल है। ट्रांसपोर्ट का मामला मुल्क की तरक्की के लिये बहुत ही जरूरी है, खासतौर से इधर १५ साल से जबसे ट्रांसपोर्ट का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है लोगों को बड़ी सुविधायें, आसानियां और राहत मिली है। पहले जब पब्लिक की गाड़ियां चलती थीं तो मुझे याद है कि देहात में जिस तरह से गाड़ी में भूसा भरते हैं उसी तरह से सवारियों को लारियों में भरा जाता था। उनको इससे मतलब नहीं था कि लोगों को राहत होती है या नहीं, सिर्फ पैसा कमाने से उनका मतलब था। लेकिन जब से सरकारी गाड़ियां चलने लगी हैं लोगों को काफ़ी आराम मिला है। फिर भी इधर काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। आज कल, खास तौर से शादी विवाह के समय टिकट लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं अधिकारियों की तवज्जह इधर मुतवज्जह करूंगा कि कोई ऐसा ढंग बरतें जिसकी वजह से टिकट पाने में लोगों को सुविधा हो।

जब से शादी विवाह के लिये गाड़ी देने की स्कीम चालू हुई है तब स एक दिक्कत यह भी बढ़ गई है कि शादी विवाह के लिये गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं और काफी परेशानी लोगों को होती है। जो तकलीफ होती है वह वर्कशाप वालों की वजह से होती है। कुछ उसमें ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं कि गाड़ी कितनी ही अच्छी शक्ल में क्यों न हो लेकिन अगर वह नहीं देना चाहते तो फिर बड़ी दिक्कत होती है आदमी को गाड़ी के मिलने में।

इसके साथ मुझे एक बात की तरफ खास तौर से तवज्जह दिलानी है, वह यह है कि हमारा जिला सुल्तानपुर जो है उसको दरियाये गोमती ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बदकिस्मती से यह वाकया है कि सुल्तानपुर तीन रीजन में बट जाता है, एक गोरखपुर में, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में। लेकिन सबसे करीब रीजन जो है वह लखनऊ का है। तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि सुल्तानपुर को जहां तक हो सके लखनऊ रीजन में लगाया जाय ताकि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलती रहे।

जहां तक स्टेशन का सम्बन्ध है, अर्सा हुआ उसकी मंजूरी हुये। रुपया भी मंजूर हो चुका है, लेकिन वर्षों हो चुके फिर भी वह कायम नहीं हुआ है। जितने स्टेशन बन चके हैं उनमें भी बड़ी दिक्कतें हैं, खास तौर से छोटे छोटे स्टेशनों पर। लोगों को ठहरने की बड़ी परेशानियां हैं। लम्बे सफर होते हैं। मर्द व औरत सभी आते जाते हैं। पेशाबखाने तथा पाखाने तक का कोई इन्तजाम नहीं है। लिहाजा इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। इस तरह से अगर इन चीजों की तरफ तवज्जह की जाय तो मेरा खयाल है कि यह बड़ी ही फायदेमन्द और हितकर साबित होगी।

श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया, उस पर माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये उनको मैंने ध्यान-पूर्वक सुनने की कोशिश की है। प्रगतिशील युग में यातायात की व्यवस्था करना सरकार का

[श्री रामकिशोर]

मुख्य कर्त्तव्य है । प्रान्तीय सरकार की ओर से इस मामले में जो कार्य किया गया उसे मैं दो भागों में बांटता हूं । एक प्रबन्ध और दूसरे सुविधा ।

सुविधा का जहां तक प्रश्न है सरकार ने कहा तो बहुत सी बसों के मामले में कि यह किया वह किया, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है इस संबंध में बहुत कुछ नहीं किया गया । सन् १९४८-४९ में जब बसें चालू की गयी थीं तो बड़े बड़े वायदे किये गये थे, लेकिन सन् १९६२ तक भी उन वायदों की पूर्ति के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । नाना प्रकार की भिन्नता है । कहीं का किराया कम है और कहीं का ज्यादा है । पूछने पर यह बतलाया गया कि सड़कों को कई ग्रेडों में बाटा गया है, ए, बी, सी । तो यह विचार करने की बात है कि प्रदेश की जनता से जब टैक्स वसूल किया जाता है तो उसमें किसी तरह का दुराव नहीं होता, सबसे वसूल किया जाता है चाहे गरीब हो या अमीर । तो मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छी सड़कों का किराया तो कम है और जो सड़कें खराब हों उनका किराया अधिक हो । मेरी राय में इस दूषित भावना को दूर करना चाहिये और जो अच्छी सड़कें हैं उनका किराया अधिक और जो सड़कें बुरी हालत में हैं उनका किराया कम होना चाहिये ।

आप आज किसी बस स्टेशन पर जायं वहां मुसाफिरों के बैठने को स्थान नहीं है, शौचालय, विश्रामालय अथवा पेशाबघर नहीं हैं । ये ऐसी चीजें हैं जिनके न होने से गर्मी के मौसम में यात्रियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, यह किसी से छिपी बात नहीं है ।

माननीय सदस्यों ने टिकट लेने की व्यवस्था का जिक्र किया । दो-दो, तीन-तीन घंटे लाइन लगाने पर भी टिकट नसीब नहीं होता । इस मामले में कुछ सुधार अवश्य होना चाहिये और टिकट लेने वाले यात्रियों को जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये ताकि जो दिक्कत है वह किसी तरह दूर हो सके ।

मैं आपके सामने कुछ ऐसी समस्याओं का और जिक्र करूंगा जैसे फतेहपुर जिले में बस स्टेशन है । वह इतना नीचा है कि जब बरसात होती है तो उस में डेढ़ डेढ़ दो दो फुट पानी भर जाता है जिसकी वजह से मुसाफिरों को कहीं बैठने का ठिकाना नहीं रहता । इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूगा कि वे उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करें ताकि वहां पानी न भर पाये । इसके अलावा वह जगह बड़ी सकरी है, लिहाजा उसको विस्तृत करें क्यों कि वह एक जिले का हेडक्वार्टर है ।

इसके अलावा सब जगहों पर तो डीजल की बसें चलती हैं, लेकिन फतेहपुर डिपो में अब भी पैट्रौल की टूटी फूटी बसें चल रही हैं और सड़कें भी वहां टूटी फूटी हैं जिसकी वजह से मुसाफिरों को बड़ी परेशानी होती है । इसलिये मंत्री जी फतेहपुर डिपो में भी डीजल की बसों की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

दूसरी बात यह है कि फतेहपुर जिले में एक नौबस्ता-किशनपुर मार्ग है जिसकी लम्बाई २० मील है और सड़क भी अच्छी है । इस मार्ग का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और सरकारी बसें चलने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

इसके अलावा जब बसों में सफर किया जाता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि जो बीच में नदियों पर घाट पड़ते हैं उनका टैक्स मुसाफिरों को देना पड़ता है । तो जब यात्री बस का किराया देते हैं तो फिर इस टैक्स की प्रणाली को हटा लेना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त जब हम अधिक किराया देते हैं और विभाग से सुविधायें उतनी नहीं दी जाती हैं तो किराये में कमी करनी चाहिये, क्योंकि जब साधारण नागरिक इन बसों से सफर करते हैं तो इतना ज्यादा किराया उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है ।

इसके अलावा जो ड्राइवर और बस कंडक्टर हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इनके ठहरने और विश्राम करने के लिये कोई स्थान नहीं है। ये लोग बसों की छतों पर लेटते हैं। इसलिये उन्हें क्वार्टर एलाउन्स और मेडिकल एलाउन्स की व्यवस्था होनी चाहिये।

यह भी देखा गया है कि दस दस साल से काम करने वाले कंडक्टर्स और ड्राइवर्स बिलकुल अस्थाई हैं। इसलिये उन्हें शीघ्र ही स्थायी करने की व्यवस्था होनी चाहिये। इसी प्रकार छोटे कर्मचारियों के साथ भी उच्च अधिकारियों का बरताव अच्छा नहीं होता है। छोटी छोटी शिकायतों पर या किसी प्रकार नाखुश हो जाने पर बिला तम्बीह किये हुये उनके साथ ऐसी कार्यवाही की जाती है कि उनका जीवन बड़े संकट से गुजरने लगता है। इसलिये मंत्री जी इधर ध्यान दें ताकि उनके साथ ऐसी काररवाई न होने पाये।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की तरफ से जो अनुदान रखा गया है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं।

आज के युग में जब हम अपने देश के निर्माण में लगे हुये हैं और आर्थिक निर्माण की तरफ हमारी पूरी तवज्जह चल रही है ऐसी हालत में उसके लिये ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की या यातायात की कितनी आवश्यकता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। आज जब हम अपने देश को विकास की ओर लेजाना चाहते हैं और यदि अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमारे सामने यातायात की प्रमुख समस्या है और उस पर हम लोगों को गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज जब हमें कोयला नहीं मिलता है और रेलवे वैगन्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं तो सिवाय रोडवेज के और यातायात विभाग के और कोई हमारी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिये आवश्यकता है कि जो हमारा परिवहन विभाग है हमें उस पर सोच विचार कर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है।

इसमें कोई शक नहीं है कि सन् १९४७ के बाद से इस विभाग में काफी तरक्की हुई है। इसके पहिले जब प्राइवेट बसें चलती थीं और इनमें कितनी धाँधली चलती थीं और जनता को कितना कष्ट होता था, यह सभी को मालूम है। मैं समझता हूं कि वे लोग लारियों में ४०-५० आदमियों को भूसे की तरह भर लेते थे। इसको देखते हुये आज कल की सुविधायें संतोषजनक हैं। लेकिन इसके होते हुये हम इस बात को मानकर नहीं बैठ सकते हैं कि हमें विकास की आवश्यकता नहीं है।

मैं समझता हूं कि जिस तरह बसों में हमारी जान माल की रक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का होता है उसी चीज को दृष्टि में रखते हुये हमारे ड्राइवरों की जिम्मेदारी विशेष रूप से होनी चाहिये और उनको इसके वास्ते ट्रेनिंग मिलनी चाहिये। उनको जो वेतन मिलता है, उसका आर्थिक दृष्टि से जहां उनकी जिम्मेदारी हैं वहां पर नैतिक दृष्टि से भी उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जब कि हमें रोज सुनने को मिलता है कि अमुक स्थान में बस उलट गई है, ऐक्सीडेंट हो गया है इसलिये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मदारी हो जाती है। इसको वहन करने के लिये जब ड्राइवरों की नियुक्ति हो तो बड़ी छान बीन के बाद होनी चाहिये।

इसके अलावा यह देखा गया है कि ड्राइवरों में शराब आदि नशीली चीजों के पीने की लत होती है और वे पी कर गाड़ी चलाते हैं जिससे वे काबू में नहीं रहते हैं। इसके लिये अनिवार्य रूप से नियम होना चाहिये कि जब वे गाड़ी चलायें या वे सर्विस में रखे जायं तो ऐसे आदमी हों जो शराब आदि नशीली चीजें इस्तेमाल न करते हों।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

इसके अलावा इस विभाग से सरकार को जो लाभ प्राप्त हुआ है उसको मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई बड़ी भारी तरक्की हुई है। आज तो आबादी बढ़ रही है और देश का विकास हो रहा है और गांव का हर आदमी शहर में जाना चाहता है और गांव वालों का शहर से काफी सम्पर्क कायम हो गया है और ऐसी दशा में रोडवेज की बहुत आवश्यकता है। जो मुनाफा इस विभाग से होता है उसको जनता पर अधिक से अधिक खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आज इस विभाग से जो सुविधायें और आराम दूसरे देशों में मिल रहा है वह हमारे यहां नहीं मिल रहा है। इसलिये इस विभाग के मुनाफे को यदि जनता के ऊपर खर्च किया जायगा तभी हम इस विभाग को और प्रदेश की तरक्की समझ सकते हैं।

कुछ बातों पर मैं सरकार को तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखंड के इलाके में सड़कों और रेलों की बहुत कमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन उन पर रोडवेज को बस नहीं जाती है। जहां ठहरने के अड्डे हैं जहां पर औरतें और बच्चे भी ठहरते हैं वहां पर उनके आराम के लिये बैठने को टिन शेड और पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त आज प्रदेश में माल ढ़ोने के लिए, सीमेंट, कोयला, गल्ला आदि ढोने के लिए हमको वैगन्स और रेलें नहीं मिलती हैं। अगर सरकार रोडवेज की तरफ से बड़ी संख्या में ट्रकों का इन्तजाम करदे तो यातायात में सामान और माल को ढोने में जो कठिनाई पैदा होती है और गल्ले में अचानक जो एक तेजी आ जाती है जिससे कि गरीब लोगों को नुकसान होता है, उससे बचत हो सकती है और जनता को बहुत बड़ी सुविधा इसमें हो सकती है। इस विभाग में हमको विशेष खर्च करने की जरूरत है और अधिक सुविधा देने की जरूरत है, उन सारे कर्मचारियों को जो कि इसमें काम करते हैं। तभी हम रोडवेज के काम को तरक्की की ओर पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये, इसकी जरूरत को देखते हुए हम सब लोग इस पूरे अनुदान को पूर्ण रूप से पास करें तभी हम पूरे तरीके से इसको सफल बना सकते हैं और प्रदेश में उन्नति कर सकते हैं।

***श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सवाल नहीं है कि सरकार ने परिवहन विभाग के द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की हैं। प्रश्न यह है कि हम कैसा प्रबन्ध करते हैं जिस प्रबन्ध का परिणाम कर्मचारियों पर और जनता दोनों पर इस प्रकार का हो कि दोनों अपने अपने स्थान पर सुविधाओं को अनुभव कर सकें। मैं आप के द्वारा इस पुस्तिका की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पृष्ठ ३ पर उसमें यह लिखा हुआ है कि इन वर्कशापों ने पुराने तथा खराब फुटकर पुर्जों को गाड़ियों में फिर से काम में लाये जाने के लिये ठीक किया जिससे १९६१-६२ में लगभग १,७०,००० रुपये की बचत हुई। दूसरे सन् १९६०-६१ में २ करोड़ १६ लाख ६९ हजार ८७७ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। जहां तक यात्रियों के यात्रा करने का प्रश्न है १३,५१,७५,४७३ यात्रियों ने ३१ मार्च, १९६१ तक यात्रा की।

अब प्रश्न यह है कि जो कार्य सम्पन्न हुआ उससे यात्रियों को तो सुविधा प्राप्त हुई परन्तु जो मुनाफा हुआ उस मुनाफे को अगर हम ध्यान से विचार करें तो उसका कारण कर्मचारि-वर्ग था। कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि १ लाख ७० हजार रुपये की बचत जहां पर पुराने पुर्जे ही काम में लाये गये वहां हुई। अगर उन कर्मचारियों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा न होता तो वह कह सकते थे कि यह पुर्जे खराब हैं, नये पुर्जे लाये जांये और इस तरह से खर्चा बढ़ सकता था। लेकिन छोटे-छोटे कर्मचारियों ने अपनी नैतिकता का उदाहरण रखकर के लाभ में कार्य को दिखाया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी तरफ दूसरे कर्मचारियों ने भी अपनी मेहनत और मशक्कत से २ करोड़ १४ लाख का लाभ दिखाया। लेकिन सरकार की जो नीति है उस नीति के कारण आज जिस ईमानदारी के साथ रोडवेज के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे भय है कि अगर उनको सुविधायें प्रदान न की गईं अफसरशाही बढ़ती गई, अधिकारलिप्सा अधिक जागृत होती गई और कर्तव्यपरायणता न रखी गई तो यही कर्मचारी लोग मजबूर होकर के, कार्य करने में, नैतिक स्तर तो गिरा नहीं सकते, लेकिन कार्य जिस तत्परता के साथ वह करते हैं, यह सम्भव हो सकता है कि उस लगन से काम वह न करें। इसलिये अगर केवल मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने यह रोजगार किया है तो यह बात बहुत गलत है।

निजी क्षेत्र में जितने कार्य इस समय चालू हैं उनके भी उदाहरण देखें। उनके कर्मचारियों की व्यवस्था देखें तो सारे जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की उनको कहीं भी कमी अनुभव नहीं होती, लेकिन हमारी उस सरकारीकरण की नीति से आज छोटे-छोटे कर्मचारियों को अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी महान् कष्ट का अनुभव हो रहा है। इसलिये मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस में चलते हैं। अब आप देखिये कि उनमें कितनी डिस्पैरिटी है। ड्राइवर को माइलेज डेढ़ पाई फी मील मिलता है और कंडक्टर को कुछ नहीं मिलता है। उसको ७ रुपये प्रिविलेज अलाउन्स इसलिये मिलता है कि वह यह सिद्ध करे कि उसका कंडक्ट गुड रहा। तब तो उसको ७ रुपया मिलेगा और कहीं यह सिद्ध हो गया कि खराब है तो उसको ७ रुपया नहीं मिलेगा। अब जिन ड्राइवरों और कंडक्टरों से यात्रियों के जीवन की समस्या का सम्बन्ध है क्योंकि ड्राइवर यात्रा में ले जाता है और कंडक्टर उनको कंडक्ट करता है, तो यदि उनकी सुविधा पर ध्यान नहीं दिया तो यह जो मुनाफा दिखाया जाता है इससे क्या लाभ होगा ? अधिक से अधिक सुविधा इन लोगों को देनी चाहिये।

इनके वेतन भी आज बहुत कम हैं। ६० रुपये मासिक इनको वेतन मिलता है। जब आपके यहां मुनाफा हो रहा है तो इनके वेतन बढ़ाने के लिये पे कमेटी की स्थापना की जाय। उनके वेतन का रिवीजन आरम्भ किया जाय। जब आपके यहां मुनाफा चल रहा है तो उस मुनाफे का वितरण इन कर्मचारियों के अन्दर होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि इन कर्मचारियों के लिये एक पे कमटी बनाई जाय जो कंडक्टर, क्लेरिकल स्टाफ और दूसरे लोगों के वेतन क्रम पर दक्षता के आधार पर और टैक्निकल नालेज के आधार पर विचार करे। जहां तक भत्ते का सवाल है ड्राइवर और कंडक्टर को एक ही माइलेज का भत्ता मिलना चाहिये।

एक दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर बसों के किराये में बड़ा अन्तर है। कहीं पर तो रेलवे लाइन के बराबर किराया है और कहीं पर दूसरी प्रकार का किराया है। मैं उदाहरण के लिये आपको बतलाऊं कि शाहजहांपुर और बरेली लाइन पर जो किराया है वह रेलवे रूट के अनुसार है। इधर लखनऊ से कानपुर का जो किराया है वह भी रेलवे लाइन के अनुसार है, लेकिन सीतापुर और बिस्वां का जो किराया है वह रेलवे लाइन के अनुसार नहीं है। इस तरह की डिस्पैरिटी को खत्म कर देना चाहिये।

तीसरी बात मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी जो मोटर बसें हैं वह डीजिल से चलती हैं। डीजिल से माइलेज ज्यादा आता है। उस पर खर्चा कम होता है। उससे मुनाफा अधिक होता है। इसलिये उसके किराये को कम करने का प्रबंध किया जाय क्योंकि उन पर खर्चा कम आता है। पेट्रोल से जो मोटर चलाई जाती हैं उनमें खर्चा ज्यादा होता है। उस समय यह कहा जा सकता है कि खर्चा ज्यादा है इसलिये किराया बढ़ाना चाहिये, लेकिन अब उसमें खर्चा कम हो रहा है तो क्यों न किराये में भी कमी की जाय ?

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

अब मैं आपके सामने जी० ओ० नम्बर ३०१४ डी/१३५-बी-१९५९, सितम्बर १६, सन् १९६० एनफोर्स नवम्बर १९६० को रेफर करना चाहता हूं जो न्यू कंडीशंस आफ सर्विस रूल विद रिगार्ड टु इम्पलायीज (New Conditions of service rule with regard to employees) के सम्बन्ध में हैं। सरकार ने उसको कर्मशियल अन्डरटेकिंग के रूप में मान लिया है। जब हम इसको कर्मशियल अन्डरटेकिंग के रूप में मानते हैं तब भी अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देते। वे कितनी मेहनत और मशक्कत से आपको पैसा पैदा करके देते हैं पर आप उनकी सुविधा के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरी यह मांग है कि रोडवेज कर्मचारियों के लिये बोनस की व्यवस्था करें।

एक बात यह है कि अभी मेरे सामने कहा गया कि हर बस स्टेशन के ऊपर हम सुविधा प्रदान करते हैं, उस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है और आपने अपनी किताब में भी घोषित किया है कि हम रिलीफ रूम बना रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सीतापुर में, सिधौली में और लखीमपुर में कोई रिलीफ रूम नहीं है।

इस तरह से खाली किताब में लिख देने से काम नहीं चलेगा। उसे आपको प्रेक्टिकल शेप देना चाहिये। इसके अलावा मेल बसेज नान स्टाप तीन-तीन घंटे तक चलती हैं। यात्री उनमें बैठते हैं। यदि बीच में किसी यात्री को पेशाब लग आये तो वह क्या करे? उसके लिये आपको उन बसेज में नाली की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इसमें संदेह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का यह पहला काम था जो हमारे समाजवादी लक्ष्य की तरफ था और इस काम को बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ में लिया। इस विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी तत्परता के साथ पिछले १५ सालों में अपना काम किया है, विभाग की सेवा की है। जितनी रूट्स पहले ली गयी थीं उसकी गई गुना सड़कें आज बढ़ गयी हैं, साथ ही जितनी बसें पहले थीं उनकी कई गुना बसें भी हो गयी हैं। यह सब ऐसे कार्य हैं कि जिनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। इस विभाग के कर्मचारी बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं और १९४७ से आज तक जहांतक मुनाफे का प्रश्न है वह बढ़ता ही जाता है। सभी कर्मचारियों ने, चाहे छोटे हों अथवा बड़े, अपनी कार्य क्षमता को दिखाया है। माननीय मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत करते समय जो कुछ कहा उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी एक बिजनेस करने वाले आदमी ने अपना एक बिजनेस सेट अप किया हो और वह अपने कर्मचारियों से ज्यादे से ज्यादे काम लेता हो और उनकी क्षमता के अनुसार उनको मजदूरी न देता हो। पिछले सालों से मैं इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करता चला आ रहा हूं। सरकार का इस काम में यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि यह मुनाफे का काम है, लेकिन इसमें उसे लेशमात्र ही मुनाफा लेना चाहिये और उसमें आया हुआ जितना भी पैसा है उसे सरकार को कर्मचारियों पर और जनता पर खर्च कर देना चाहिये। लेकिन बड़े दुख के साथ आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना पड़ता है कि आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे समझा जा सके कि हम इस प्रकार से काम करना चाहते हैं।

हमारे दल के अन्य विधायकों ने भी यही बात कही। जब हम किसी फैक्टरी के मजदूर की बात करते हैं तो उस मजदूर के हित की बात सोचते हैं, इसी प्रकार खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र के विधायक उनकी मजदूरी ८-१० आने के स्थान पर दो रुपया कराना चाहते हैं, लेकिन जो विभाग हमारे हाथ में है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां हम स्वयं भला कर सकते है वहां हम शून्य हो जाते हैं। यह ठीक है कि एक विचार है, किन्तु जब उसे कार्य रूप में परिणत करना होता है तो उस समय हम शून्य हो जाते हैं; वह सभी सुविधायें उन कर्मचारियों को जो इस विभाग में काम करते हैं नहीं दी जातीं। जहां तक ग्रेड का सवाल है जो निम्न स्तर पर कर्मचारी काम करते हैं वह बहुत कम हैं।

कन्डक्टर्स और ड्राइवरों के बारे में अन्य बहुत से माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है। मैं ए० टी० आई० के बारे में कुछ कहूंगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि "नाम बड़े और दर्शन थोड़े" उसी तरह आपने नाम तो ए० टी० आई० रखा है मगर आप देते हैं उनको केवल ७५ रुपया जब कि और विभागों के इन्सपेक्टर्स और सब-इन्सपेक्टर्स आदि को आप १२० का स्केल देते हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेशन इन्चार्ज को आप १०० रुपया वेतन देते हैं जब कि उसका कार्य कितना महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का होता है और उसके अधीन कितने ही कर्मचारी काम करते हैं। तो इन बातों को देखते हुये मैं यह नहीं समझता कि आखिर किस समाजवादी समाज की रचना हम करना चाहते हैं और हमारा दृष्टिकोण हमें किधर ले जा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से यह आवाज लगाई गयी थी कि पुलिस कमीशन नियुक्त होना चाहिये; वह नियुक्त हुआ उसकी सिफारिश को आपने माना और जो दारोगा गांवों में रहते थे उनका स्केल भी बढ़ा कर आपने २५० रुपये कर दिया, उसी तरह से इस विभाग के कर्मचारियों के लिये भी जो १६ घंटे दिन में कार्य करते हैं, आप को कुछ सोचना चाहिये और मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात है कि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती।

करप्शन का जहां तक संबंध है, मैं माननीय मंत्री जी की और विभाग के अधिकारियों की तारीफ करता हूं कि इस ओर उनका काफी ध्यान रहा और पहले जो चालानशीट कन्डक्टर्स के पास रहा करती थी अब वह बस के आगे एक लाकर में रहती है जिससे काफी करप्शन कम हुआ है।

दो तीन बातों की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जो लोग टिकट खरीद लेते हैं उनकी वापसी का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी बात यह कि जो भिन्न-भिन्न रीजन्स में एक्सट्रा बसें देते हैं उसका परसेंटेज हर जगह एक सा नहीं है। हमारे गोरखपुर रीजन में आप १५ परसेंट एक्सट्रा बसें देते हैं जब कि दूसरे रीजन में आप ३० परसेन्ट देते हैं। इसका नतीजा यह है कि हमारे यहां लोगों को बहुत परशानी होती ह। मेरी आंखों देखी बात है कि हमारे यहां अभी ८ बरातें पड़ी हुई थीं; उन्होंने परमिट के लिये एपलाई किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको एलाटमेन्ट नहीं मिला था, रोज की बसों को कटल नहीं किया जा सकता था इसलिये उनको बसें नहीं मिलीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि और जगह की तरह गोरखपुर रीजन में भी ३० परसेन्ट का एलाटमेन्ट मिलना चाहिये जिससे जो वहां कहर मचा हुआ है उससे लोगों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माफ करें उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के पहले दो लाइन कविता की पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इजाजत द देंगे--

"गुप्त जी के परिवहन मंत्री प्रेम की कुछ बात सुन लो।
हो गयीं बेवस बसें या मरे कितने तुम्हीं गिन लो।

[श्री प्रेम सिंह]

दिल हमारे टूट जाते जब बसें टकरा गयीं।
तुम सितमगर हो मुजफ्फर जिन्दगी घबरा गयी।"

अब मैं अपना भाषण आगे आरम्भ करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हाउस २० करोड़ की ग्रांट पर बहस कर रहा है उस समय यह सोचना पड़ेगा कि यह २० करोड़ जो देने जा रहे हैं इसको सही ढंग से इस्तेमाल भी किया जायगा या नहीं। अगर नहीं तो हमारी क्या लियाकत है? आज सरकार का कौन-सा अंग है जिसमें करप्शन नहीं है; यह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उन चन्द महकमों में से है जहां करेप्शन सब से ज्यादा है। अगर किसी को परमिट लेना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे अफसरों या कमेटियों के मेम्बरों की जेबों को भरना पड़ता है नहीं तो परमिट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिसकी पहुंच मिनिस्टरों या कांग्रेसी रहनुमाओं तक ही सीमित है। परिवहन मंत्री जी, आप बतला सकते हैं कि कितने परमिट मिनिस्टरों और उनके रिश्तेदारों को दिए गये है।

श्री उपाध्यक्ष---आप किसी और को ऐड्रेस मत कीजिये।

श्री प्रेमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूल जाता हूं। जब मनुष्य भूखा मरता है तो क्या नहीं करता? आज हमारी जनता, १ लाख जिसने मुझे यहां भेजा है वह मुझसे पूछती है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो क्या मैं उसको लड्डू पेड़ा दिखा दूं कि बच्चे तुम मान जाओ किस तरह से मैं समझाऊं? क्या आजादी इसी को कहते हैं? कंठ-लंगोट बांध कर मैं आता हूं इसलिये कि अगर ज्यादा बोलूं तो मेरा गला खींच लीजिये।

कितना समय और देंगे, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय ७ मिनट है, उसी में खत्म कीजिये।

श्री प्रेमसिंह---अब सौंप दिया सब जीवन का यह भार तुम्हारे हाथों में,
अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपने विषय पर आइये।

श्री प्रेमसिंह---अब मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रेम सिंह की कविता के बाद मुझे बोलने में कुछ हैन्डीकैप जरूर हो गया है, बहरहाल इसके बावजूद मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सन्तसिंह युसुफ ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करने के बाद, समाजवाद से अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने फर्माया कि पब्लिक सेक्टर में किसी काम को करने के माने यह नहीं हैं कि समाजवाद आगया। मान्यवर, सिद्धान्ततः तो यह बात सही है मगर परिवहन मन्त्री जी ने अपने भाषण में इस बात का दावा किया कि हमने ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर सोशलिज्म की स्थापना कर दी है यह तो उन्होंने कहा नहीं। हमारा तो यही कहना है कि समाजवाद हमारे सामने एक लक्ष्य है। हमने परिवहन के अन्दर भी, अगर वह देखें तो, पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। इस समय हमारी मिक्स्ड एकोनामी चल रही है। हम प्राइवेट आपरेटर्स को भी मौका दे रहे हैं अपना काम करने का। तो वह जो हमारा मिक्स्ड इन्टरप्राइज चल रहा है यह स्वयं इस बात का सबूत है कि अभी हम टोटल सोशलिज्म की तरफ आगे नहीं बढ़े। तो, मान्यवर, माननीय यूसुफ जी के भाषण में जो यह एक बात आई वह स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम देख

रहे हैं कि चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसकी तरफ से समाजवाद के नारे का एक फैशन हो गया है। बहरहाल, माननीय युसुफ जी के लिये मैं ऐसी बात नहीं कह सकता क्योंकि उनकी सोशलिज्म में आस्था है। यहां पर रूस और चीन का नाम इसलिये नहीं लिया गया कि लोग इससे चहकते हैं। मान्यवर, मैं इस नाम से चहकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर इतने सालों के बाद भी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकी है। इसलिये वह जो समाजवाद की बात कहते हैं, रूस में जहां फौजी हुकूमत हो वहां पर ४०-४५ साल के बाद भी समाजवाद न ला पाये हों तो फिर हमारे लिये, १२-१४ साल में आजादी के बाद जनतंत्र के अन्तर्गत कैसे दुहाई दी जा सकती है कि यह समाजवाद नहीं है? मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो लक्ष्य है वह निश्चित है, निर्धारित है और हम आहिस्ता-आहिस्ता सारे देश को लेकर समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारे लिये यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारा इसमें विश्वास है और आस्था है।

एक बात उन्होंने कही जिस पर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने फर्माया कि यह जो बहुत ज्यादा प्राफिट दिलाया गया, मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, उसको टाटा साहब भी दिखला सकते थे और इससे बेहतर चला सकते थे सो, मान्यवर, अगर स्वतंत्र पार्टी इस बात को कहती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन जब कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहा जाय, यह दुहाई दी जाय पब्लिक सेक्टर के काम को दिखलाकर कि यह काम टाटा भी कर सकते थे तो फिर शक होने लगता है कि आया उनकी आस्था पब्लिक सेक्टर में है भी या नहीं। हमने जब इस काम को स्टार्ट किया था तब हमारा कोई एक्सपीरियन्स भी नहीं था, हमारे आफिशल्स ट्रेन्ड नहीं थे इसलिये हो सकता है कि कुछ खामियां हों, इसको मैं मानता हूं, लेकिन हमारा यह निश्चय है कि प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला किया जायगा और एफीशिएन्सी को बढ़ाया जायगा।

माननीय यूसुफ साहब मजदूरों के एक बड़े नेता हैं, मैं उन लोगों में से हूं जो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस पार्टी से उनका संबंध है उसने सन् १९४२ में हिन्दुस्तान की आजादी के समय जो पार्ट प्ले किया उसको भी मैं नहीं भूल सकता। हां, एक बात कही जा सकती थी कि पब्लिक सेक्टर में मजदूरों की जो आईडियल कंडीशन्स होनी चाहिये उनमें कुछ कमी है, मैं इस बात को मान सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में जो मजदूर काम करते हैं उनसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बेहतर है। अगर संत जी ऐसी बात कहते हैं तो उससे मुझे बुनियादी इख्तिलाफ है और न मैं उसको मानने के लिये ही तैयार हूं। इस बात का दावा तो हम नहीं करते कि हमने उनको आइडियल कंडीशन्स पर पहुंचा दिया है।

जहां तक उनके रैस्ट रूम्स, कैन्टीन और क्वार्टर्स की बात है, उनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। यह बात सही है कि उसके बाद भी हम उस बात की चेष्टा करेंगे कि कंडीशन्स दिन ब दिन अच्छी हों। लेकिन जो कुछ हमने किया है उसके लिये भी हमारा कन्डेमनेशन हो तो पब्लिक एन्टरप्राइज को प्रोत्साहन देने का यह तरीका नहीं है।

टेम्पोरेरी स्टाफ के बारे में उन्होंने कहा कि १५ साल से स्टाफ टेम्पोरेरी पड़ा हुआ है। मैं उनकी सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां कुल १८,६०० आदमी काम करते हैं जिनमें से ७,३८८ पदों को स्थायी कर दिया गया है और ६२-६३ में १६७४ और स्थायी कर देंगे। इस तरह से ९०६२ हो जाते हैं जो ५० प्रतिशत के करीब है। शेष में से ६ हजार ऐसे हैं जिनकी सर्विस ३ साल से कम है। सिर्फ ३ हजार बाकी बचे।

[श्री नवलकिशोर]

इस प्रकार से ७५ प्रतिशत टेम्पोरेरी स्टाफ को परमानेन्ट किया जा चुका है या किया जा रहा है। इसमें मतभेद हो सकता है कि और लोगों को भी परमानेन्ट किया जा सकता था या नहीं, लेकिन हमने १५ सालों में कुछ किया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो परमानेन्ट नहीं भी किये उसके कुछ कारण भी हैं। इस समय उनमें मैं जाना नहीं चाहता। इस विभाग में प्रमोशन जल्दी-जल्दी होते हैं। तीन साल में कनफर्म करने में दिक्कत होती है, जब तक उसके तीनसाल होते हैं उस को प्रमोशन मिल जाता है। तो जब तक उस को बेसिक पोस्ट पर कनफर्म न किया जाय वह कनफर्म नहीं होता है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमें इन लोगों को ज्यादा समय तक टम्पोरेरी नहीं रखना चाहिये। मैं यकीन दिलाता हूं कि सरकार इस मामले में सजग है।

उन्होंने कहा कि १६ घंटे काम होता है। पता नहीं उनको यह फिगर्स कहां से मिल गये। मेरी सूचना तो यह है कि ड्यूटी ८ घंटे से ज्यादा की नहीं होती। जब कभी ८ घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है तब उसका दुगना एलाउन्स दिया जाता है। इसलिये १६ घंटे की बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि वीकली छुट्टी दी जाय। यह बात सही है कि हम ७ दिन में एक दिन की छुट्टी देते हैं और साथ ही अगर किसी वजह से कभी नहीं दे पाते तो दूसरी मर्तबा बजाय एक दिन के दो दिन की दे देते हैं। ईद की छुट्टी के बारे में भी उन्होंने कहा कि वह केवल मुसलमानों को ही दी जाती है, हिन्दुओं को नहीं दी जाती, यह बात सही है। ईद की छुट्टी के बारे में उनको शिकायत है कि सब को नहीं दी गयी। बात यह सही है, लेकिन यह हमारी यूटिलिटी सर्विस है और हमारे यहां स्टाफ की भी कमी है; इसलिये कि वह बन्द न हो जाय, पूरे स्टाफ को हम यह छुट्टियां नहीं दे सकते थे। जहां तक वर्कशाप की बात है, वहां तो कोई यूटिलिटी सर्विस की बात है नहीं, यह तो स्टेटिक एक जगह पर स्थित है। यह बात जरूर है कि अगर स्टाफ ज्यादा होता तो हम इस बात को जरूर सोचते।

मान्यवर, एक बात आखिर में उन्होंने यह कही कि सब मर्ज की दवा यह है कि आप वर्कर्स कौंसिल बना दीजिये जिसके दो फंक्शंस होंगे। एक तो वह यह देखेगी कि एफिशिएंसी कैसे बढ़े, एकोनामी कैसे हो और दूसरे यह कि वर्कर्स का इन्टरेस्ट किस तरह से सेफ गार्ड हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने जेकोस्लावेकिया की मिसाल भी दी। मैं बड़ी इज्जत के साथ इस बात को तसलीम करता हूं कि जेकोस्लावेकिया में पब्लिक सेक्टर के अन्दर जितना कार्य किया गया है और उसमें जितना प्रतिनिधित्व मजदूरों का है उतना बहुत कम कम्युनिस्ट कंट्रीज के अन्दर हुआ होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बतला दूं कि हम अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उसी बेसिस पर हमारे यहां भी वर्कर्स कौंसिल का सिद्धान्त सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर द्वारा शुरू होने जा रहा है, वहां उसकी शीघ्र स्थापना होगी और उसको आहिस्ता-आहिस्ता और जगहों पर भी एक्सटेंड करेंगे। मैं समझता हूं कि यह जरूर है कि उससे शायद आप की पूरी मंशा हासिल न हो, लेकिन उस वर्कर्स कौंसिल से मजदूरों और इम्पलाइज के हितों की सुरक्षा होने का बहुत कुछ इमकान हो जायगा।

एक बात उन्होंने यह फरमायी कि उनको तकलीफ इसलिए होती है कि उनके दिमाग में एक नक्शा था। मैं यूसुफ साहब से कहना चाहता हूं कि वह नक्शा हमारा और उनका एक ही था, दूसरा नहीं था, मगर काफिला कुछ इस तरह चला कि बहुत से मुसाफिरों का रास्ता छूट गया, उनमें से बहुत आगे आकर कुछ फिर मिल गये। तो जितनी हमदर्दी आपके दिल में मजदूरों की व इम्पलाइज की कम तनख्वाह के लिये है, किसी माने में उससे कम हमदर्दी हमारे किसी साथी को नहीं है चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हुए हों।

दुबे जी को देख कर मुझे एक बात याद आ गयी। यूसुफ साहब की यह शिकायत है कि हमारा कदम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलता है और दुबे जी की यह शिकायत है कि

हमारा कदम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। लिहाजा इससे साबित होता है कि हम इन दोनों के बीच चल रहे हैं और हमारा कदम मुस्तकिल अपनी जगह पर है और इस तरह से हम कुछ आगे ही बढ़ रहे हैं।

एक बात और थी। जिस समय डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कहा था कि गवर्नमेन्ट की तरफ से गांव सभा आदि को जो अनुदान दिया जाता है वह सब काम सर्विस के द्वारा होने चाहिये। मैं इसकी अनालिसिस में नहीं जाता, लेकिन यह बात उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी कि सर्विसेज के थ्रू ही इंस्टीट्यूशंस के काम होने चाहिये जब कि यूसुफ साहब इससे इख्तिलाफ रखते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स कौंसिल के संबंध में दोनों की राय में मुझे कंट्रेडिक्शन दिखलायी पड़ता है। एक तो सर्विसेज को एक्सटेंड करने की बात करता है और दूसरा सर्विसेज को एक्सटेंड न कर के उसके बजाय नान-आफिशियल्स आदि के जरिये काम कराने की बात करता है।

जहां तक सरकार का ताल्लुक है, चाहे वह चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी हो, प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी हो, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट का पब्लिक इंटरप्राइज हो, इसके अन्दर हम भी यह बात चाहते हैं कि वर्कर्स के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो, और उनमें अपना उत्तरदायित्व उठाने की क्षमता पैदा हो, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि इसमें जल्दबाजी करने से जिस परपज को वह पूरा करना चाहते हैं वह पूरा न हो सकेगा। वह तो पूरा तभी होगा जब हम जैसी कि हमारी मौजूदा पालिसी है उस के अनुसार उन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता कानफिडेंस में लेकर उन के हितों की रक्षा करें और उन में क्षमता पैदा करें कि वह अपनी जिम्मेदारी को उस के अनुसार पूरा कर सकें।

अन्त में मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा और वह यह कि इस मौके पर मैं इस विभाग को बधाई देता हूं इस बात को मानते हुये भी कि इस में अभी कमियां हैं और न कभी किसी ने इस बात का दावा ही किया है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट कोई आइडियल विभाग है, यह तो एक एवस-वेंडिंग विभाग है, मगर १५ साल में जो तरक्की इस ने की है वह इस के आज के कैपिटल से और मुनाफे से जाहिर है कि उस में निरन्तर वृद्धि हुई है। फिर भी और तरक्की की गुंजायश हो सकती है। इसके साथ ही जो भी सुझाव आये हैं जैसा कि मंत्री जी ने सुबह स्वयं ही कहा था, मैं भी चाहूंगा और यह स्वाभाविक भी है कि बड़ी गम्भीरता के साथ उन सभी सुझावों पर विचार होना चाहिये। हम सब यहां इसी लिये बैठे हैं कि पब्लिक का जो एक्सचेकर है उस को इस तरह से प्राइवेट या पब्लिक एन्टरप्राइज में जो भी हों खर्च किया जाय जिससे कि पब्लिक की एक-एक पाई का ठीक उपयोग हो। इसी ध्येय को लेकर हम और यह सरकार आज चल रही है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यूसुफ की तरफ से जो यह कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मौजूदा परिवहन विभाग का जो मुख्य अंग रोडवेज का है जनता की सेवा कर रहा है और वह जरूर बधाई का पात्र है। जितने और विभाग हैं उनमें जो भ्रष्टाचार है उस से कहीं कम भ्रष्टाचार इस में है। मगर जैसा कि हमारे कटौती पेश करने वाले सज्जन ने कहा है कि अभी परिवहन विभाग में और खास तौर पर मुझे खुशी इस बात की है कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता ने यह कहा है कि पब्लिक सेक्टर होते हुये भी जो सुविधा और अच्छाइयां प्राइवेट सेक्टर में हैं वह अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है, इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह]

जो मौलिक सिद्धान्त देश के सामने हैं और स्वतन्त्र पार्टी इसी पर खास जोर देती है कि जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हैं किसी में भी किसी की मानोपली किसी व्यवसाय पर नहीं होना चाहिये, जब किसी की मानोपली हो जायगी तो कम्पीटीशन नहीं रहेगा और उस हालत में कम्पीटीशन से जो अच्छाइयां और खूबियां पैदा होती हैं वे सुलभ न हो सकेंगी और यही कारण है कि जहां-जहां मानोपली है वहां पर वह खूबियां और अच्छाइयां पैदा नहीं हो रही हैं । इसी सदन में यदि आप केवल एक ही पक्ष के लोगों को बोलने दें दूसरों को मौका न दें, तो उन की तुलना किसी दूसरे से न हो सकेगी और यह न मालूम हो सकेगा कि दूसरों के विचारों में भी क्या अच्छाइयां और खूबियां हैं। इसी तरह से रोडवेज की बात है कि बिना कम्पटीटिव स्टडी के हम पता नहीं लगा सकते कि हम विभाग को किस तरह से चला रहे हैं । अगर उन का दावा है कि विभाग जनता की सेवा कर रहा है और उन्नति कर रहा है तो वह साथ में ही प्राइवेट सेक्टर को भी चलने देने में क्यों हिचकते हैं ? उन को डर किस बात का है ? जब वह प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने देते तो शक इस बात का होता है कि वह अपनी मानोपली बनाये रखना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम मनमाने ढंग से कार्य करें और लाभ उठावें और उस के रिटर्न में जो सुविधायें हमें देना चाहिये वह हम चाहे दें या न दें । हम कश्मीर में सुनते हैं, मुझे देखने का मौका नहीं मिला, बिहार जाने का मौका मिला है वहां सरकारी मोटरें और प्राइवेट मोटरें साइड बाई साइड चलती हैं और जनता जहां देखती है हमें आराम है वहां चलती है । वहां पब्लिक एमेनिटीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है । मगर हमारे प्रदेश में धीरे-धीरे मोनोपली बढ़ती जा रही है सरकार की । यह खतरनाक बात हो रही है । सरकार को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये कि जिन सड़कों को मोनोपलाइज कर लिया है उसे पब्लिक के आदमियों के लिये भी ओपिन करना चाहिये और उनको भी परमिट देना चाहिये ताकि वे भी अपनी गाड़ी चला सकें ।

मौजूदा जो ट्रांसपोर्ट की हालत है उसमें बहुत कुछ खामियां हैं जिनका सुधार किया जाना चाहिये । बहुत से लोगों ने कहा कि जनरल अमेनिटीज बस स्टेशन्स पर नहीं मिलती हैं, वहां मुसाफिरों को रुकने के लिये, लेट्रीन, बाथरूम आदि की बड़ी असुविधा होती है । जब आप मानोपली करते हैं, दूसरों को फायदा नहीं उठाने देते हैं तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि मामूली जनरल एमेनिटीज पब्लिक को हर तरह से प्रदान करें । और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे ।

मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये कि धीरे-धीरे इससे सरकार को लाभ होता जा रहा है । आर्थिक लाभ एक बहुत कम्पेरेटिव टर्म है । जब तक हम प्राइवेट बसेज को जो लाभ होता है उससे अपने लाभ का कम्परीजन नहीं करते तब तक यह कहना कठिन है कि हमारा लाभ संतोष जनक है या असंतोष जनक ।

आज बहुत से कैसेज चला करते हैं, आप जबरदस्ती रोड्स को लेना चाहते हैं । अभी मैनपुरी बेवर ऐटा की जो सर्विस है इस पर हाई कोर्ट में झगड़ा गया, वहां पर प्राइवेट बसेज चल रही थीं हाईकोर्ट ने परमिट किया है दोनों किस्म की बसेज चलें । तो मैं चाहूंगा कि इस बात पर विशेष ध्यान सरकार दे, और जैसा मूवर ने कहा है, वह मजदूरों की संस्थाओं के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो सर्विसेज की कंडीशन्स हैं वे जरूर शोचनीय हैं । अभी पुलिस उप मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि इतना परसेंटेज टेम्परोरी हैं, इतने तीन वर्षों के अन्दर के हैं और इतनी सर्विसेज के लोग पर्मानेंट कर दिये गये हैं। और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ५० फीसदी पर्मानेन्ट हो जायंगे। मगर मुझे आश्चर्य है क्यों कि ५० परसेंट ही मुस्तकिल किये जायेंगे जब आप एक कर्मचारी रखते हैं और उसने अपना प्रोबेशनपीरियड पूरा कर लिया तो सरकार को उसको पर्मानेन्ट करने में क्या दिक्कत है ? मुझे उम्मीद है मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे । जो रोडवेज के इम्पलाइज की आज कंडीशन हैं, जैसा उन्होंने कहा, जब प्राइवेट कंसर्न्स के ऐम्पलाइज को देखते

हैं तो बहुत ही अन्तर दोनों में है। इसलिये हमें अपने कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन्स को इम्प्रूव करना है।

ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कई बार कहा गया कि यह विभाग जनता की सेवा की दृष्टि से खोला गया ताकि जनता को लाभ पहुंचे। लेकिन जनता को आराम और सुविधा तब पहुंचेगी जब कर्मचारी, निम्नश्रेणी के मजदूर को सुविधा मिलेगी। मुझे उम्मीद है इधर और ज्यादा ध्यान दिया जायगा। जब विभाग में लाभ हो रहा है तो उनकी कंडीशन्स को इम्प्रूव करना जरूरी हो जाता है। यो जब तक आप की मोनोपोली है लाभ हानि का तुलनात्मक ब्यौरा निकालना कठिन है। आज रेलवे विभाग है, किराया बढ़ने जा रहा है बढा दें। लेकिन वह कह दें कि लाभ पर चल रहा है तो जब तक किसी अन्य प्राइवेट कंसर्न से कम्पेरीजन न करें तब तक सही लाभ का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। अगर तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो जाय कि नफा हो रहा है तो अवश्य प्रशंसा की बात हो जाती है।

अब मुझे आर० टी० ओ० के बारे में भी कहना है जहां से लाइसेंस के परमिट मिलते हैं और कंट्रोल होता है। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत से लोग कह चुके हैं। जो बुराई ट्रांसपोर्ट कंट्रोल और परमिट में होती है वह सारी की सारी इस विभाग में है। कोई और व्यवस्था उसमें करनी है ताकि इन चीजों को दूर किया जाय। कई बार मैं सदन में सुन चुका हूं कि जो सदन के सदस्य हैं उनको रोडवेज के फ्री पास मिलेंगे, लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया।

जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं उस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनकापुर एक छोटा स्थान है। मगर रोडवेज के नुक्तेनजर से वह काफी अहमियत रखता है क्योंकि वहां से तीन रूट रोडवेज के बराबर चलते हैं। चौथी सड़क बन रही है और गालिबन उस पर भी रोडवेज की सवारियां चलने लगेंगी। अर्सा दो साल से यह सवाल उठ रहा है कि वहां रोडवेज का बस स्टेशन बनाया जाय। कुछ कागजात चले। जमीन एक्वीजीशन का सवाल उठा। कुछ काश्तकारों की जमीन ली जाने वाली थी। मैंने भी अपनी जमीन जो स्टेशन के पास थी आफर की थी। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि अभी तक उस तरफ वास्तविक कदम नहीं उठाया गया और वहां रोडवेज बस स्टेशन न बनने से काफी लोगों को कष्ट है। पैसेंजर्स की वहां काफी आमदरफ्त होती है लेकिन बस स्टेशन या कोई शेड न होने से यात्रियों को बड़ी तकलीफ होती है। कोई पालिटिकल कंसीडरेशन हो तो मेरी जमीन पर न बनाया जाय। पब्लिक इंटरेस्ट में जो जमीन का मुआवजा मुकर्रर किया गया है बहुत कम है, वही मिले, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो दूसरी जमीन पर बनवा दें। मैं अपनी जमीन पर ही बनवाने के लिये बहुत ख्वाहिशमन्द नहीं हूं। लेकिन यह मैं इस्तदुआ करूंगा कि वह जगह ऐसी है जहां से चार रूट निकलते हैं। मनकापुर-गोंडा और मनकापुर-सादुल्लानगर बसें चलेंगी। इसलिये बस स्टेशन का निर्माण होना वहां जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ हमें उम्मीद है कि जो कटौती का मोशन हमारे साथी ने पेश किया है जिस पहलू से पेश किया है उस पर सरकार खयाल करेगी और जो मौलिक सिद्धांत मैंने रखे हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। कुछ रूट्स पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की बसें चलें और यह देखा जाय कि यह विभाग पब्लिक की क्या सेवा कर रहा है, तब असली रूप जनता के सामने आयेगा।

*श्री एस०जी० दत्त (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस ट्रान्सपोर्ट के अनुदान पर बोलने का मौका दिया है। जो कुछ इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

बारे में तकरीरें की गयी हैं उनसे यह पता चलता है कि किसी ने यह नहीं कहा कि ट्रान्सपोर्ट की सर्विसेज खराब हैं या ट्रान्सपोर्ट से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। यह जाहिर है कि अर्सा १५ साल के अन्दर ट्रान्सपोर्ट ने बड़ी तरक्की की है। इसका सबूत यह है कि वे देहात के लोग जो कभी बस के ऊपर सफर नहीं कर सकते थे आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन रास्तों के जरिये से जहां बसें नहीं चल सकती थीं, सफर कर रहे हैं। बाज लोग ऐसे हैं जो रोडवेज को छोड़कर बसों में सफर करना ज्यादा पसन्द करते हैं।

यह ठीक है कि कुछ हमारे भाइयों ने ज्यादा कर्मचारियों के बारे में कहा मैं चाहता हूं कि जहां तक भी हो सके सरकार हमारे इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे। वेतन कम है उसे ज्यादा होना चाहिये। सहूलियतें ज्यादा होनी चाहिये ताकि ज्यादा एफीसियेन्सी के साथ कर्मचारी काम करें।

हमारे कामरेड यूसुफ साहब ने समाजवाद की तरफ ध्यान दिलाया है। अभी नवल किशोर जी ने इस के सम्बन्ध में कुछ कहा था। फिर भी मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि उनके समाजवाद में और हमारे समाजवाद में फर्क है। आपके समाजवाद और आपके (प्रजा समाजवादी दल की ओर इशारा करके) समाजवाद में फर्क है। इस वास्ते हर एक का समाजवाद का नजरिया दूसरा है। लेकिन जहां ऐडमिनिस्ट्रेटिव चीज आती है वहां समाजवाद नहीं चलता। मैं भाई यूसुफ के खयालात को यह समझा कि उनका मतलब यह है कि जनरल मैनेजर की जितनी तनख्वाह हो वही तनख्वाह एक फिटर और एक कंडेक्टर को भी दी जाय। जितना बड़ा बंगला जनरल मैनेजर को मिलता है उतना ही बड़ा बंगला उन्हें भी दिया जाय तब उनका समाजवाद पूरा होगा। इन्होंने संतसिंह यूसुफ नाम रखा है, इसको तो मैं समाज वाद मानता हूं लेकिन वहां समाजवाद को नहीं मानता कि अगर एक आदमी एक सेर खाता है और दूसरा आदमी सिर्फ एक पाव खाता है तो दोनों को बराबर खिलाया जाय। यह जो इन का नजरिया है वह मैं पेश कर रहा हूं। इस वास्ते ऐडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में यह होता है कि जो जिस लायक होता है उसको उसी हिसाब से वेतन दिया जाता है।

रही वर्क्स कमेटी की बात तो मैं खुद इसका हामी हूं। लेकिन भाई यूसुफ को भी और हमको भी यह तजुरबा है कि कानपुर की फैक्टरीज में जो वर्क्स कमेटी कायम हुई थी वह फेल हो गयीं और इसकी वजह यह थी कि वहां का मजदूर उस जिम्मेदारी को जिस नजरिये से वह वर्क्स कमेटीज कायम की गयी थीं नहीं निभा सका। लिहाजा बजाय इसके कि काम अच्छी तरह से चले वह रुकावट का बायस हो गयीं और ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने लगीं। नतीजा यह हुआ कि एफीशियेन्सी कम होने लगी और पार्टीबन्दी ज्यादा होने लगी। बहरहाल, अगर वर्क्स कमेटीज बनायी जायं और उनको उन लाइन्स पर रखा जाय जिससे विभाग की तरक्की हो तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज है।

आपके जरिये मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स हैं उनको भी जहां-जहां सरकारी बसें चलती हैं थोड़ा मौका दिया जाय, जैसे लखनऊ और कानपुर। अगर यहां कुछ परसेंटेज में प्राइवेट लोगों को भी अपनी बसें चलाने को एलाउ कर दें तो इससे उनका भी धंधा रहेगा और अनएम्पलायमेंट भी कम होगा। आज पंजाब में यही तरीका है। ऐसा करके जिन लोगों की आमदनी खत्म हो गयी वह भी पूरी हो जायगी और दूसरे लोगों को भी काम मिल जायगा।

बाकी जहां मैंने कर्मचारियों के लिये यह कहा है कि उनको पूरी-पूरी सुविधायें दी जायं वहां मैं यह भी कहता हूं कि बाज कर्मचारी ऐसे भी हैं कि जो पब्लिक से बड़े रुढ़ तरीके के पेश आते हैं। तो जहां उनको पूरी सुविधायें देने की जरूरत है वहां इस तरफ भी खयाल करने की जरूरत है कि ये ऐसे कर्मचारी पब्लिक के साथ, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों न हो, अच्छा बर्ताव करें।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है और माननीय यूसुफ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है मुझे उसके समर्थन में कोई खास नई बात नहीं कहनी है क्योंकि सरकार ने कम से कम इस विभाग के बारे में जो वादा किया था और सरकार के समक्ष जो बातें कही गयी थीं, उनकी पूर्ति सरकार ने नहीं की। समय का श्रीमन्, ध्यान रखा जाय वैसे मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

श्रीमन्, मैं पहली बात आपको याद दिला दूं कि केन्द्रीय सरकार ने परिवहन के संबंध में दो कमेटियां बैठाई थीं। एक मसानी कमेटी थी जिसका खुलासा निकल गया है और दूसरी नियोगी कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक निकली नहीं है। मसानी कमेटी ने कहा था कि एक आल इंडिया ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बने और स्टेट्स अपने यहां ट्रांसपोर्ट बोर्ड बना लें जिसमें मजदूर और सरकार दोनों का प्रतिनिधि हो और इस प्रकार से परिवहन विभाग का काम सारे देश और प्रदेश में चले। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम तैयार हैं, आंध्र सरकार ने भी कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम बिलकुल तैयार नहीं हैं। यदि केन्द्रीय बोर्ड बन जाता तो इसके कर्मचारियों की स्थिति केन्द्रीय कर्मचारियों के समान हो जाती। नियोगी कमेटी का खुलासा अभी निकला नहीं है और वह वहां सदन के सामने पेश है और पता नहीं मंत्री जी उसमें लाभ उठाते है या नहीं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इतने दिनों से माननीय मंत्री जी इस विभाग को सभालें हुये हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि रोडवेज ऐक्ट बना हुआ है या नहीं। आप ऐसे पहाड़ पर बैठे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है और यह ऐसा ज्वालामुखी पहाड़ है जिसका कोई कायदा नहीं है, कानून नहीं है। अकबर के जमाने में था कि हुक्म ही कानून है। रोडवेज विभाग ने जनता की इतनी सेवा की है और इतना रुपया कमाया है, लेकिन इसका कोई ऐक्ट ही नहीं है।

तीसरी बात यह है कि इसका कोई मैनुअल भी नहीं है। जेल मैनुअल है, पुलिस मैनुअल है, म्युनिसिपल बोर्ड मैनुअल है, इलेक्ट्रिसिटी मैनुअल है, और रेवेन्यू मैनुअल है, लेकिन वाह रे परिवहन विभाग इसका कोई मैनुअल भी नहीं है। जब डाक्टर सीता राम जी इसके मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था और वर्तमान मंत्री जी ने भी कहा था कि हम बनायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं तैयार हुआ? और इसके तैयार होने में क्या प्रगति हुई है? बिना कायदे कानून के कोई काम चलने वाला नहीं है। २० हजार इस विभाग के कर्मचारी हैं और करोड़ों आदमी इससे लाभ उठाते हैं और सारे राज्य के वक्षस्थल पर परिवहन विभाग की रेखायें खिंची हुई हैं, लेकिन इसमें न कोई ऐक्ट है और न कोई मैनुअल ही है और मंत्री जी से लेकर क्लर्क तक सारा मामला विभागीय है। जरा जोर दिया तो ढाई रुपये क्लर्क की तरक्की हो गई। ए० टी० आई० १०० रुपये पर रुक जाता था, लेकिन अब १२० हो गये हैं। लेकिन उनका कोई ग्रेड नहीं है। मेरे पास जी० ओ० नम्बर ५५८५ तारीख ७–१२–६१ की नकल है जिसमें दिया है कि कैडर से पदोन्नति होते समय क्या किया जाय। ए० टी० आई० के प्रमोशन में ४० फीसदी बाहर से करेंगे, ४० फीसदी कन्डक्टरों में से तथा २० फीसदी बुकिंग क्लर्क तथा जूनियर क्लर्क में से करेंगे। आफिस असिस्टेंट के लिये १०० फीसदी बाहर से लेंगे। प्रमोशन का जो प्रतिशत दिया है वह बैठकर लिख लिया गया है और उसमें न्याय तथा तर्क की कोई बात नहीं है। ग्रेड्स की हालत यह है कि कैशियर का काम असिस्टेंट कैशियर करता है, स्टोर कीपर का काम असिस्टेंट स्टोर कीपर करता है। तो काम बिलकुल वही उससे लिया जाता है और ग्रेड नीचे का दिया जाता है। न वह कैशियर बन पाता है और न वह स्टोर कीपर बन पाता है। इसलिये अगर पे कमेटी से मंत्री जी घबराते हों तो चलिये एक कोई ग्रेड्स कमेटी ही बना दीजिये और मैं मांग करता हूं कि सभी वेतन-क्रमों

[श्री उग्रसेन]

को ठीक करने के लिये जनरल मैनेजर से लेकर नीचे तक के, मंत्री जी एक ग्रेड्स कमेटी बिठायें। उनके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि परिवहन विभाग में वह एक ग्रेड्स कमेटी बिठा दें।

बोनस की बात उठाई गयी। यह बात तो बार-बार कही गयी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बोनस दिया है अपने यहां के रोडवेज के कर्मचारियों को, राजस्थान ने दिया है और पंजाब की सरकार ने दिया। लेकिन वाह रे माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार, बोनस का कहीं नाम ही यहां नहीं है। मालूम नहीं चन्द्रमा और भानु दोनों गुप्त हैं क्या? गवर्नमेंट का जो आर्डर पहले निकला था उसमें यह लिखा हुआ था कि यह एक औद्योगिक संस्थान है, यह एक वाणिज्य संस्थान है। तो जब यह एक वाणिज्य संस्थान है और मुनाफे की बात को लेकर यह संस्थान काम करता है तो उस मुनाफे में मजदूरों को हिस्सा जरूर मिलना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने अभी एक बोनस कमीशन का निर्माण किया है। जब वह अपना खुलासा दे देगा तो माननीय मंत्री जी बड़े पचड़े में पड़ जायेंगे। उनका आदेश आयेगा कि बोनस दे दीजिये और माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा नहीं मानेंगे तो वह वैधानिक अवहेलना हो जायगी। एक बात और कहना चाहूंगा। इस बोनस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी तर्क देते हैं कि हम रिवार्ड देते हैं। यह इनाम की बात और खैरात की बात हम समाजवादी होने के कारण नहीं मानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई खैरात उनको दी जाय। २० हजार मजदूरों का जो हक है वह उनको दिया जाय।

सेंट्रल वर्कशाप की बड़ी बात की गई। एक ही तो वह बड़ा कारखाना है जिसने इतनी गाड़ियां बनाकर दीं। उसने अपना उत्पादन दुगुना बढ़ा दिया। लेकिन उसमें ८५ या ९० प्रतिशत् कर्मचारी हैं, १,३०० कर्मचारी ऐसे हैं जो लीबिया के मैदान के सिपाहियों की तरह सुबह पैदा होते हैं और शाम को कट जाते हैं। आज गाड़ियां बन गईं, कल निकाल दिये गये। मैंने स्वयं उनकी हालत देखी है। उनके रहने के लिए कोई आवास नहीं है। जो खपरैल के मकान बने हुए हैं उनका किराया बहुत ज्यादा है जो वह दे नहीं सकते। १,३०० आदमी सुबह को जमा हुए और शाम को निकाल दिये गये। यह उनकी हालत है। आप उनकी नौकरी स्थायी कीजिये। माननीय मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि १,५०० आदमियों को इसी साल स्थायी कर देंगे और साढ़े चार हजार और मजदूरों के लिए आपने कहा था कि उनको स्थायी करने की योजना सरकार के समक्ष है, इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। यह साढ़े चार हजार मजदूर क्या स्थायी हो गए? जिनको आपने स्थायी किया भी है? १ अप्रैल, सन् १९६१ या १ अप्रैल, सन् १९६२ से किया है, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वह जी० ओ० लागू हो गया तब से किया है।

अब प्रश्न यह हो गया और बड़ा भारी प्रश्न मन्त्रणालय के सामने है कि कि जिन लोगों ने पहले दरख्वास्त दी और वह स्थायी हो गये, जो ड्राइवर कम दिन चलकर पहले स्थायी हो गये उनको तो ज्यादा सुविधायें हो गईं और जब जी० ओ० लागू हो गया उसके बाद जो ड्राइवर स्थायी हुए उनको कम सुविधायें मिलीं। यह आपका आदेश है। कम काम करने वाले को ज्यादा सुविधा और ज्यादा दिन काम करने वाले को कम सुविधा। मेरी मांग है कि यह जो कर्मचारी स्थायी किये जायं उनके स्थायित्व की तारीख तब से होनी चाहिये जब कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रपट दी या जब से तदनुरूप मुख्य सचिव का आदेश लागू हुआ। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा था कि जो विभाग स्थायी हो गये हैं उन विभागों के कर्मचारी जो तीन वर्ष या उससे ज्यादा काम कर चुके हों वह सब के सब स्थायी बना दिये जायं। मैंने हिसाब लगाया तो ९ हजार मजदूरों को अब तक स्थायी हो जाना चाहिए था। मगर नहीं हुए। लाखों रुपये उनके सप्लीमेंटरी के पड़े हैं, उनको बढ़ोत्तरी के पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से

पूछना चाहता हूं कि आज भी २० हजार मजदूरों के लिये एक भी आवास-गृह नहीं है। अब जब मैं कहता हूं नहीं है तो उसका मतलब है कि बिलकुल नहीं है। फोरमैन के क्वार्टर बने हैं जहां पर फोरमैन रहना पसन्द नहीं करता है। टीन से छा करके उसको बना दिया गया है और उसका किराया ४५ रुपया रखा गया है। इसके लिये कह दिया जाता है कि हमने क्वार्टर की उनके लिये व्यवस्था कर दी। यह मैंने बड़घाट, गोरखपुर का जिक्र सदन के सामने किया।

अब जरा आप मुनाफे को देखिये। इस बात को जानकर प्रसन्नता होगी कि कितना इस विभाग को मुनाफा होता है और यह यात्रियों को क्या सुविधा देता है। इनसे जो शुद्ध लाभ दिया गया है वह है ९,२८,६२, ५९५ रुपये और इसमें जो पूंजी लगाई है वह है कुल ११,०५,२९,७३० रुपये। जो पूंजी रिजर्वेशन के लिये रखी गई है वह भी लाभ में से काटी जाती है वह ४,७३,४९,५८५ रुपये है। अब आप देखिये कि इतने बड़े मुनाफे के बाद भी कर्मचारियों के लिये यह सरकार क्या कर रही है। न उनके लिये वेतन ठीक है, चौकीदार को ५ रुपया देते हैं और वह भी ६ महीने के बाद मिलता है। उनके लिये कोई वेतन की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज मन्त्री जी किराये की कमी की घोषणा करें कि आज से २ नये पैसे प्रतिमील की उनके लिये कमी की जायेगी। जो ड्राइवर सरकार की गाड़ियों को चलाते हैं, मां बाप को बदरीनाथ की यात्रा कराते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को आप बस के पास भी नहीं देते हैं। रेलवे के ड्राइवर को रेलवे का पास मिलता है तो वह सुविधा इनको भी मिलनी चाहिये। ज्यादा घंटे उनसे काम भी नहीं लिया जाना चाहिये। हर स्टेशन पर पानी और पाखाने की सुविधा होनी चाहिये। उनके लिये रिलीफ रूम का भी प्रबन्ध कर दिया जाय।

अब आप यह देखें कि जो गाड़ियां डीजल से चलती हैं उन पर आप कितना चार्ज करते हैं। जितना हमारे यहां डेप्रिशियेशन पर चार्ज होता है उतना और प्रदेश में नहीं होता है। जो हमारे यहां डीजल की गाड़ियां चलती हैं उन पर जो डेप्रियेशन चार्ज करते हैं वह १६.६६ प्रतिशत है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर २५ प्रतिशत है। जो नई बाडी बनती हैं और पुरानी गाड़ियों को नई बना कर काम लिया जाता है उन पर ३३.३३ प्रतिशत चार्ज किया जाता है। उपकरण और संयंत्र पर १५ प्रतिशत। उपस्कर फिक्चर पर ७.५० प्रतिशत। पक्के भवन पर ३ प्रतिशत और बल्लियों और लोहे की चादरों पर बने हुए अस्थायी शेड पर १० प्रतिशत चार्ज होता है। मैं कहता हूं कि यह जो जमा कर के आप रखते हैं उसको शुद्ध लाभ ही कहा जायगा। जिस प्रतिशत से हमारे प्रदेश में ट्रान्सपोर्ट पर काटते हैं उतना और किसी प्रदेश में नहीं काटते हैं। उनके डेप्रिशियेशन के कटौती के रेट में और आप के रेट में बहुत अन्तर है।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम रोडवेज मैनुअल बनाने की कृपा करेंगे जिससे कर्मचारियों का लाभ हो, उनके लिये ग्रेड कमेटी बनायेंगे, यात्रियों के लिये २ नये पैसे की किराये में कमी करेंगे और रोडवेज के कर्मचारियों के लिये सुविधा का प्रबन्ध करेंगे, जिनके पास मकान रहने के लिये नहीं है, जिनको वर्दी पहनने के लिये नहीं मिलती है और जिनके लिये कोई सुविधा नहीं है उनकी सर्विसेज के लिये गारन्टी देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कामरेड यूसुफ साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जे० पी० मिश्र––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन की ग्रारन्ट, जो माननीय परिवहन मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जे० पी० मिश्र]

कब्ल इसके कि मैं अपना मशविरा इस माननीय सदन के समक्ष पेश करूं मैं अभी सोशलिस्ट पार्टी के सम्मानित नेता ने जो कुछ बातें कही हैं, उनका सिर्फ दो मिनट में जवाब देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की खुशकिस्मती है कि उसका परिवहन विभाग बिलकुल अलग है। एक विभाग फुलपलेज्ड मन्त्री के मातहत, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का सारा कार्यालय, स्टेट ट्रिब्यूनल, ट्रान्सपोर्ट अथारिटी और उसके रीजन्स इस प्रदेश में इस तरह से फैले हुये हैं यह ४३० सदस्य इस सदन के, इतना बड़ा प्रबन्ध शायद हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में परिवहन के लिये नहीं है और इसको सम्मानित सदन स्वीकार करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी दिलचस्पी इस परिवहन के संबंध में ले रही है।

दूसरी बात जो मुझे आप के सामने कहनी है वह यह कि इस प्रदेश में ६४० मार्ग, सवा ३६,००० रूट माइलेज की देखभाल, ५५ कारखानों की देखभाल, ११ करोड़ की पूंजी में सवा दो करोड़ का मुनाफा, साढ़े नौ करोड़ मील का साल में सफर और साढ़े १३ करोड़ यात्री साल भर में सफर करें, इस सब से विभाग की अहमियत मालूम होती है। आप देखें कि जिस परिवहन द्वारा साढ़े नौ करोड़ मील का सफर होता है, जिस परिवहन में साढ़े १३ करोड़ यात्री सफर करते हैं उसमें फिर भी शिकायत है, परेशानी है, दिक्कत है। मैं समझता हूं कि यदि इस विभाग की कुछ अच्छाइयां हों तो उनको कहना इस सदन के विरोधी दलों के लिये कुछ अपमानजनक न होगा। इससे कुछ विपरीत असर नहीं पड़ेगा। आप विभाग की नीति की आलोचना करें किन्तु विभाग की अच्छाइयों का वर्णन भी सदन के सामने आना चाहिये। इसी विचार को लेकर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे कुछ रचनात्मक सुझाव देने हैं जिनको मैं आप के द्वारा परिवहन मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं।

मुझे लखनऊ रीजनल अथारिटी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। प्रजातंत्र में हर निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिये। अभी पिछली ७ मार्च की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि लखनऊ-हरदोई लाइन के सम्बन्ध में न तो कोई टेम्पोरेरी परमिट ईश्यू किया जायगा और न कोई नया परमिट दिया जायगा और न कोई अन्य नयी बात की जायगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसके बाद भी टेम्पोरेरी परमिट्स आर० टी० ओ० से मशविरा किये बगैर चेयरमैन ने जारी किये। चेयरमैन महोदय ने बाराबंकी और फैजाबाद की तरफ भी परमिट जारी किये चार-चार महीने के। इन टेम्पोरेरी परमिट्स की कोई आवश्यकता नहीं थी और अगर वे देने ही थे तो १५ दिन के बाद रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी से उनको लीगलाइज कराया जाना चाहिये।

अब मुझे एक मिनट में अपने जिले के संबंध में कहना है। मेरे जिले में जिस तरह से बसें चल रही हैं उसे उत्तर प्रदेश सरकार बखूबी जानती है। बाजाब्ता एक दफ्तर है, उसका स्टाफ है, हर जगह चेकिंग के अड्डे हैं, क्लर्क्स हैं और इस तरह से ९०, ९२ बसें कंट्रोल होती हैं। वहां छोटी छोटी रूट्स को लेने का एलान किया गया जब कि बड़ी-बड़ी रूट्स बाकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप इतने बड़े विभाग का निरीक्षण और संचालन कर रहे हैं वहां आप हरदोई को स्वयं देख लें। अगर वहां किसी किस्म की कमी है और आप की कंडीशन्स पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिये आप उचित कदम उठायें।

आखिर में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हुए मैं अपने माननीय परिवहन मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। जिस तरह से सुचारु रूप से वह इस विभाग का संचालन कर रहे हैं वह एक आदर्श है इंडियन यूनियन में और उनसे आशा है कि वे इस विभाग का आगे संचालन करते हुए इससे पब्लिक सेक्टर की आमदनी को और बढ़ाने की कृपा करेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जे० पी० मिश्र जी की उस शिकायत को दूर करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि विभाग में जो अच्छाइयां हों उनका भी जिक्र करना चाहिये और उनकी शिकायत को दूर करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के जितने विभाग इस समय जनता की सेवा कर रहे हैं उनमें यह कहा जा सकता है कि सरकारी रोडवेज विभाग सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र है। यह कहते हुये मैं माननीय जे० पी० मिश्र जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इसका श्रेय उनके उन बन्धुओं को है जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया है, जो ड्राइवर्स, क्लीनर्स हैं, कन्डक्टर्स हैं, तथा अन्य कर्मचारी हैं, इसका श्रेय हमें उनको देना चाहिये और उनकी कठिनाइयों को भी महसूस करना चाहिये। साढ़े १३ करोड़ आदमियों से जिस विभाग का संबंध हो, जो टिकट देने और पैसा लेने का काम करते हैं, लोगों को गाड़ी में बिठाते हों, उनका ठीक तरह से संचालन करता हो, उन आदमियों की ओर भी हमको ध्यान देना चाहिये और उनकी मुसीबतों को हल करना चाहिये। हम जब १०-२० आदमियों से बात करते हैं तो हमें भी रोष आ जाता है, कुछ नियमों की ढिलाई के कारण उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता उनको देने से काम चल सकता है। मैं समझता हूं कि विभाग को चलाने के लिये थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ती है, मगर रोडवेज विभाग अब ऐसा विभाग हो गया है कि उसके कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और सरकार को भी उन पर भरोसा करना चाहिए।

इस विभाग को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर की जीत है। पब्लिक सेक्टर में चुर्क सीमेंट फैक्टरी की चर्चा की गयी, गवर्नमेन्ट प्रेसीजन फैक्टरी की चर्चा की गयी, मगर जिस विभाग से १५-२० परसेंट का नेट प्राफिट आप को हो, जिस व्यापार से इतनी आमदनी हो, उसकी तरफ भी आप की नजर होनी चाहिए। उनके कर्मचारियों की तरफ जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको कोई दौलत लुटा दीजिये, मगर माननीय उग्रसेन जी ने तथा माननीय मौलाना साहब ने जो कहा, और एक अच्छी वकालत उनकी तरफ से की, उस तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिये। मैं यह जरूर कहूंगा कि आप के जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, कन्डक्टर्स हैं, उनके रहने का, खाने का, शौच आदि जाने का, ठीक प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये ताकि अपनी ड्यूटी को वे ठीक प्रकार से निभा सकें।

वेतन का जहां तक संबंध है, मैं समझता हूं, मौलाना साहब ने बड़ी योग्यतापूर्वक उस सम्बन्ध में अपनी बात को रखा है। जब हम समाजवाद की चर्चा करते हैं तो उसमें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें ऊंचे से ऊंचे अधिकारी और नीचे से नीचे कर्मचारी के वेतन में कितनी विषमता है। माननीय मंत्री जी भी इस समय मौजूद हैं, मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भी इस समय यहां मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके दूसरे देशों के सरकारी कर्मचारीगण के वेतन आदि को देखें और वहां की विषमता को भी देखें। सेकंड पे कमीशन की, सेन्टर की, जो रिपोर्ट है मैं उसे हाजिर कर सकता हूं कि उसमें आस्ट्रेलिया की, यूनाइटेड किंगडम की, जापान की और भारत की कुछ तुलना की गयी है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में क्या अन्तर है। हमारा अन्तर सब से ऊंचा है। १६ गुने से ज्यादा किसी का अन्तर नहीं था और हमारा २८ गुना और ३० गुना है। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि जिस समय साढ़े १३ करोड़ आदमियों में नेकनामी होती है और मुझे हिम्मत होती है कि इस विभाग की तारीफ करूं तो यह भी जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें विभाग में काम करने वालों का अच्छी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

तरह से गुजारा हो सके और जो लक्ष्य हमारा समाजवाद का है उसके अनुसार नीचे के लोग महसूस कर सकें कि हम को मौका मिलेगा और उसका आरंभ गवर्नमेन्ट रोडवेज में होना चाहिए।

श्रीमन्, रोड ट्रान्सपोर्ट की महत्ता आज के युग में बहुत है। रेलवे हमारी जरूरतों को रफा नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि अगले १०-५ वर्षों में रेलवे इस योग्य नहीं हो सकेगी कि हमारी मदद बहुत ज्यादा कर सके। मुझे लगता है कि अगर सरकार बहुत ही ठिकाने से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों को चलाने की चेष्टा करें, कम्पेटीशन से, एक दूसरे को बरबाद करने की नीयत से नहीं, अगर चाहे तो सरकार सारे ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ में ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि यह संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो सरकार को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी उसी नीयत से देखना चाहिये जिसमें वह अपने काम-धंधे को ठीक से चला सकें और उसको विश्वास हो सके कि ५ वर्ष या १० वर्ष वह जिन्दा रहेंगे। आज ऐसी स्थिति में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है कि उसको पता नहीं कब नोटिस मिल जाय, एक वर्ष में, दो वर्ष में, तीन वर्ष में। फिर जब हम उनसे कहते हैं कि अच्छी गाड़ियां लाओ, अच्छे बस स्टेशन बनाओ, तो श्रीमन्, बिना भरोसे के यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिये मैं समझता हूं राज्य सरकार को अच्छी तरह से सोच विचार कर के यह फैसला करना चाहिये कि कहां तक हमको जाना है और बाकी लोगों को जहां तक जाना है वह भी उनको मालूम होना चाहिये और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यह भी मालूम होना चाहिये कि उसको ५-७ वर्ष यहां रहना है, हटना नहीं है। तब उसमें जरूर प्रगति होगी और मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव होगा।

यह जानकर मुझे खुशी है कि आज ट्रकों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। अगर बढ़ी न होती तो माल ढुलवाने में कठिनाई होती। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। दो एक बात और हैं अगर समय देंगे तो कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, आप कह लीजिये।

श्री गेंदासिंह—पहाड़ के हिस्सों में गाड़ियों के चलाने के संबंध में कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है कि यह कुछ कठिन काम है। सरकार भी उस तरफ ध्यान देने में कुछ आनाकानी करती है। प्राइवेट लोगों को भी अगर यह काम देना चाहती है तो परमिट लेने से इनकार करते हैं। पिछले दिन जब प्रश्नोत्तर हो रहे थे इस सदन में, तो कुछ सफाई उस पर ठीक से नहीं हो पायी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष कुछ ऐक्सीडेंट्स हुए, सौ से कुछ ऊपर आदमियों की जानें गयीं। इस वर्ष भी बदरीनाथ की यात्रा में ऐक्सीडेंट हुए, मुझको भी जाने का मौका मिला और मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष ने बड़ा परिश्रम किया। उन्होंने रात-रात १२-१२ बजे तक जाग कर सब क्वेश्चनेयर तैयार किया। हम लोगों ने तो इतनी मेहनत नहीं की और न हम जाग पाये। लेकिन उस विभाग के कुछ लोगों और कुछ और माननीय सदस्यों ने बड़े परिश्रम से उस रिपोर्ट को तैयार किया। उस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाय तो उस इलाके के विकास की गति बढ़ेगी और साथ ही साथ सारे देश के लोग जो तीर्थ यात्रा के लिये बदरीनाथ जाते हैं उनको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और सारे देश में इस प्रदेश की बदनामी का कारण भी कम हो जायगा।

मैं उस रिपोर्ट की बातों की चर्चा कर के इस सदन का समय नहीं लेना चाहता, उसको डिपार्टमेन्ट ने पढ़ा होगा और सरकार का ध्यान भी उस ओर जाना चाहिये। इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं संक्षेप में कि वह इलाका प्राइवेट लोगों के लिये कठिन है। मैंने यह बात जानने की बहुत कोशिश की कि क्या प्राइवेट लोग, जो मौजूदा आपरेटर्स हैं

वह इस कठिनाई में काम पूरा कर सकते हैं जो सारे देश में हो रही बदनामी से बचा सकें। मैं समझता हूं कि वह इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं और सरकार को इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहिये। वहां पर विशेष प्रकार की गाड़ियों को लाने की जरूरत है जो कि प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। वहां पर विशेष प्रकार के ड्राइवर्स और विशेषज्ञ रखने की जरूरत है। वर्कशाप खोलनी है जो गाड़ियों की देख-रेख कर सके। जब प्राइवेट लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं तो फिर सरकार को अपने हाथ में लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये, भले ही सरकार को कुछ लाख रुपये का नुक्सान उठाना पड़े। पब्लिक सेक्टर के लिए यह मानी हुई बात है कि जिस काम को प्राइवेट लोग नहीं कर सकते और यदि वह काम आवश्यक हो तो उस काम को सरकार को लेना चाहिये। जहां मैं यह कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को जिन्दा रहना चाहिये वहां यह भी कहता हूं कि उनको एफीशिएन्ट हो कर जिन्दा रहना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो वह जिन्दा नहीं रह सकते।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रूट लेने की बात है, मुझे मालूम है कि इतनी भीड़ है, परेशानी है, किसी रोडवेज़ स्टेशन पर झगड़े की खबर मिलती है, जिस रूट को एफीशिएन्टली रन कर सकें वहां पर सरकार दिक्कत न खड़ी करे, उसको लेकर सरकार को नेकनामी बढ़ानी चाहिये। अगर नेकनामी बढ़ेगी तो उसका क्रेडिट किसी न किसी तरह से सरकार को जायेगा। मैंने इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया अगर इस तरफ सरकार का ध्यान जायगा तो सीमेन्ट, कोयला वगैरह के आने में और यात्रा करने में जो दिक्कतें हैं वह दूर हो सकेंगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैंने आज सारे दिन यहां पर बहस सुनी। विरोधी पक्ष के भाइयों ने जो विशेष बात कही वह यह है कि सरकार ने इस विभाग के द्वारा एक व्यावसायिक नीति को अपनाया है। मुनाफे को जिस ढंग से कर्मचारियों की तनख्वाह में वितरित होना चाहिये वह सरकार नहीं कर रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता है, अगर पब्लिक सेक्टर के द्वारा यह मुनाफा होता है तो उसके लिये हमारे इस विभाग को एक स्वर से बधाई मिलनी चाहिये थी न कि उसकी जगह पर यह कहा जाय कि सरकार व्यावसायिक आधार पर काम कर रही है और उसकी आलोचना की जाय। पब्लिक सेक्टर में यदि लाभ होता है तो यह एक प्रसन्नता की बात है और इसके लिये यह विभाग भी बधाई का पात्र हो जाता है।

विरोधी दल की ओर से कहा गया कि यह समाजवाद नहीं है लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूं कि समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, उसी प्रकार से उत्पादित धन का वितरण भी समाज पर ही होना चाहिये। अब सरकार एक ऐसी एजेन्सी है जिसके द्वारा उत्पादित धन समाज पर वितरित किया जा सकता है।

मैं विरोधी दल के भाइयों से यह अनुरोध करूंगी कि वे टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के उन दो अध्यायों को पढ़ लें जिनमें विशेष रूप से कहा गया है कि अगर हमारे प्रदेश में हमें टैक्सेशन के भार को कम करना है तो हमें सरकारी हाथों में ऐसे उद्योगों को लेना है जिनसे आमदनी हो और उस आमदनी से अधिक से अधिक जनता लाभ उठा सके।

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जिन महापालिकाओं के अन्तर्गत बसें चलती हैं उनकी आमदनी को उन महापालिकाओं के क्षेत्र में खर्च करने की अनुमति दी जाय। आपने महापालिका अधिनियम में तो इस प्रकार का अधिकार उनको दिया है कि इस प्रकार का कर महापालिका लगा सकती है, लेकिन आज तीन साल हो गये अभी तक ऐसा कोई

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

विशेष नियम नहीं बनाया गया जिससे महापालिकाओं को इस प्रकार की सर्विस से लाभ हो सके। मैं सरकार से मांग करूंगी कि इन पांच महानगरियों में इस प्रकार के नियम बनाये जायं और बस सर्विसेज की पूरी की पूरी आमदनी महापालिकाओं को दी जाय जिससे नगर की और नगर की सड़कों की हालत अच्छी हो सके। मैं आशा करती हूं कि माननीय परिवहन मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है बसों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। यह सही है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं इस बात की ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जहां बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है वहां सड़कों के चौड़ा करने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। सकरी सड़कों पर भारी-भारी गाड़ियों के गुजरने के कारण आजकल बहुत ऐक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। इस बात पर अगर सुचारु रूप से विचार किया जाय तो उसकी काफी रोकथाम हो सकती है।

मेरा यह सुझाव और भी है। मैं जानती हूं कि ट्रान्सपोर्ट विभाग की एक कमेटी है उसको सलाह देने के लिये, लेकिन उसकी अधिक मीटिंग्स नहीं बुलाई जाती हैं। अधिक और ठीक काम करने के लिये उस कमेटी को पुनस्संगठित किया जाय और उसमें एक्सपर्ट राय देने वाले लोग रखे जायं।

यह बात भी कही गयी कि इस विभाग के जो कर्मचारीगण हैं उनकी तनख्वाहों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आमदनी ज्यादा है। मैं यह मानती हूं कि आमदनी अधिक है और निम्न स्तर के कर्मचारी जो हैं वे अधिक काम करते हैं और जिनके गाढ़े पसीने से ही इस विभाग का लाभ हो रहा है, उनकी हालत में सुधार होना चाहिये। लेकिन मैं अपने विरोधी दल के भाइयों से इस बात में सहमत नहीं हूं कि हमारी आमदनी ज्यादा है इसलिये उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जायं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने का एक ग्रेड होता है और सरकार की इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति होती है, उस नीति पर ही सरकार चला करती है। आज ज्यादा आमदनी होने की वजह से ही उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग करें, यह कोई उचित बात नहीं जान पड़ती है। यह ठीक है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, लेकिन इस तर्क को पेश करके कि चूंकि इस विभाग की आमदनी ज्यादा है इसलिये तनख्वाह बढ़ा दी जाय, यह कोई बहुत तर्कसंगत बात नहीं है। रेलवे से भी करोड़ों रुपये की आमदनी होती है, उसी तरह से अगर स्टेट को इस विभाग से भी आमदनी होती है तो उससे राज्य की अधिक सड़कों की मरम्मत आदि कर सकते हैं और जनता के लिये अधिक रास्ते खोल सकते हैं।

हमारे एक भाई कह रहे थे कि सरकार ने जिन रास्तों पर मोनोपोली कर रखी है उन रास्तों पर प्राइवेट बसेज चलाने की इजाजत मिलनी चाहिये। मैं समझती हूं कि यह बात तो दूसरी है कि रूल में कुछ रिलेक्शेसन कर दिया जाय कि अधिक रास्ते पर प्राइवेट बसेज चलें, लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि जहां रोडवेज की बसें चल रही हैं उसी रास्ते पर प्राइवेट बसेज भी चलें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की राशि का समर्थन करती हूं।

एक सदस्य--श्रीमन्, रिपब्लिकन पार्टी का भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आपको बाद में मौका मिलेगा।

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--श्रीमन्, परिवहन मत्री ने जो ग्रान्ट नं० ४० रखा है उसमें बसों के विषय में तो उन्होंने सब बतला ही दिया है, लेकिन मुझे खेद है कि बहुत सी बातें जो ग्रान्ट में हैं और जिनको सदन को बतलाना चाहिये था, वे सदन के सामने नहीं रखी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयीं। शायद उसका मतलब यह रहा हो कि जब ग्रांन्ट पास हो तो ग्रांन्ट पास होने पर वह भी पास हो जायगा। मसलन उसी ग्रांन्ट नं० ४० में साढ़े तीन लाख रुपये का एक हेलीकाप्टर सरकार खरीदने जा रही है, लेकिन हमारे परिवहन मंत्री ने हेलीकाप्टर का कोई जिक्र नहीं किया। फ्लाइंग क्लब को जो ग्रान्ट दी जाती है उसके बारे में हमारे परिवहन मंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। मैं तो यह चाहूंगा कि जब आज खर्चे की इतनी परेशानी है, जब हमारे बजट में १३ करोड़ कुछ लाख रुपये का डेफिसिट है तो आपके द्वारा सरकार से मेरा अनुरोध है कि साढ़े तीन लाख रुपये के इस अपव्यय को माननीय परिवहन मंत्री इस मद से अलग ही कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

रोडवेज के प्रति मेरा यह अनुरोध है कि इसका एक आटोनामस कारपोरेशन बनना चाहिये और अगर आटोनामस कारपोरेशन न बन सकता हो तो कम से कम रोडवेज आपरेशन और रोडवेज ऐडमिनिस्ट्रेशन इनको जितना जल्दी हो सके अलग कर देना चाहिये।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि रोडवेज में जितने भी कर्मचारी हैं वे करीब-करीब सभी अस्थाई हैं। इस समय तक शायद १२–१३ प्रतिशत कर्मचारी ही इस विभाग के स्थाई हो पाये हैं और वर्कशाप में भी हालत बहुत ही गयी गुजरी है। हमारी सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में जहां पर कि बसें बनती हैं और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि वहां पर उर्वशी और कल्पना नाम की सुन्दर बसें बनी हैं, लेकिन वहां पर भी कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर ही रखा जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है, उनकी छुट्टियां और रविवार कट जाता है। वहां पर १,३०० कर्मचारी रोजाना मजदूरी पर चल रहे हैं, कुछ रेगुलर हुये हैं, लेकिन उनका ग्रेड जो ८०–५–१२० था वह भी घटाकर ८०–४–१०० रुपया कर दिया गया है। इस तरह से बजाय तरक्की के और तनज्जुली की गयी है। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि इस डेली वेजेज वाले तरीके को वह जल्द बन्द करें और उनको स्थाई रूप से रखें और जिस तरह से कि और अन्डरटेकिंग्ज में साप्ताहिक छुट्टी होती है उसी तरह से उनको भी छुट्टी दी जाय और यह न हो कि उनके रविवार को भी काट लिया जाय, मजदूरी के हिसाब से छुट्टी के पैसे कट गये, ऐसा न होना चाहिये।

इन लोगों के आवास के लिये भी कोई इंतजाम नहीं है। न तो वर्कशाप के वर्कर्स के लिये कोई इंतजाम है और न ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स के लिये ही कोई इंतजाम है। रहा मुनाफे का सवाल, यह मैं तसलीम करता हूं कि यह सरकार का एक कमाऊ विभाग है और इसकी कमाई की हालत यह है कि काम बाद में और कमाई पहले, चाहे बैठने का इंतजाम न हो जैसा कि माननीय संत सिंह यूसुफ साहब ने कहा कि कानपुर स्टेशन की हालत यह है, उस पर मुझे हंसी आ रही थी और एक किस्सा याद आ रहा था कि एक साहब कोई सैलून खोलना चाहते थे, लेकिन जब उनको उसके लिये कोई दूकान नहीं मिली तो उन्होंने फुटपाथ पर ही एक ईंट सैलून खोल दिया और उसका नाम ही ईंट सैलून रख दिया। इसी तरह से कानपुर के बस स्टेशन को भी कोई यहां का आदमी देखें या कोई बाहर का आदमी देखे तो वह तो कहेगा ही, यहां का भी आदमी यही कहेगा ही कि यह बिलकुल नाकाफी और गन्दा है। इसलिये उचित है कि पहले उचित इंतजाम कर लिया जाय और उसके बाद कमाने की बात सोची जाय। अगर मंत्री महोदय यहां से एक बस से जाकर कानपुर बस स्टेशन पर उतरें और वहीं दूसरी बस का टिकट लें, मैं माने लेता हूं कि मंत्री जी जायेंगे जरूर हैं, लेकिन जब वह जायं और उनको देखकर फाटक खुल जाय और सलाम हो तो वह न जायं और लौट आवें, वह सरप्राइज विजिट के तरीके से जायं और देखें तब उनको सही हालत का अन्दाजा हो सकेगा। जैसा कि माननीय सन्त सिंह जी यूसूफ ने अभी सोशलिस्टिक पैटर्न और ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न बताया मैं इस में नहीं जाना चाहता, उस को फिजूल में ही दोहराना होगा लेकिन कोई भी पूंजीवादी प्रोजेक्ट होती है तो उस को सरकार और उसके लेबर कानून मंजूर करते हैं कि वह अपने मुनाफे में से लेबर और स्टाक को बोनस दे।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

इसलिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर भी विभाग के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र विचार होना चाहिये ।

स्टीयरिंग ड्यूटी भी कभी-कभी ज्यादा हो जाती है और खासतौर से पहाड़ी इलाकों में इस पर अगर विचार नहीं किया जायगा तो जिस तरह से बदरीनाथ की दुर्घटना हुई है वह और बढ़ेगी इससे एक तरह की थकान अधिक हो जाती है और उसके कारण यह दुर्घटनायें अधिक होती हैं ।

अन्त में मैं आशा करूंगा कि आटोनामस कारपोरेशन बनाने की घोषणा मंत्री महोदय बहुत जल्द करेंगे तथा मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि इस मुसीबत में वह साढ़े ३ करोड़ का हेलीकाप्टर न खरीदें और नेहरू जी जो स्वतन्त्र पार्टी को सबसे बड़ी गाली दे सके हैं वह यहां उन्होंने दिया है कि यह हेलीकाप्टर पार्टी है । तो मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी नाकिस चीज वह न लें तो उससे डेफिसिट के पूरा होने में कुछ मदद ही हो सकेगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय क्योंकि अभी बहुत से लोग बोलना चाहेंगे, और रिपब्लिकन पार्टी के लोग बोल भी नहीं पाये हैं । मुझे आशा है मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---क्योंकि अभी माननीय यूसुफ जी को जवाब देना है, मंत्री जी को भी बोलना है और समय अब २० मिनट का ही शेष रह गया है, जो कम है, इस दृष्टि से जो प्रस्ताव आया है वह मैं सदन के सामने रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं इसका केवल समर्थन ही नहीं करता, बल्कि चाहूंगा कि आज का ट्रांसपोर्ट विभाग ही अबालिश कर दिया जाय । मुझे साउथ इंडिया में यात्रा करने का मौका मिला है वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसी तरह से है जिस तरह से यहां है । मेरा अपना यह निजी विचार है कि आज के साइंटिस्ट्स की राय को देखते हुये आज के इस विभाग का अबालीशन जरूरी होना चाहिये । उसके कारण हैं, और वे यह हैं कि प्रदेश में बसेज में मिडिल क्लास और लोवर मिडिल क्लास की फेमिलीज सफर करती हैं । अपर क्लास फेमिलीज, राजे, महाराजे बसेज से यात्रा नहीं करते, मेरा संकेत मंत्रियों की तरफ भी है, यह सब कारों पर चलते हैं, टी० ए० बनता है, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, ऊंचे तबके के सदस्यगण हैं हमेशा कार पर चलते हैं । हवा में उड़ते हैं । उन्हें क्या पता कि बसेज में क्या दिक्कत है ?

मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रदेश में ही नहीं, देश के हर कोने में जितनी बसेज चलती हैं वे सब डीजल आयल से चलती हैं । डीजल आयल से क्या नुकसानात हैं यह मैं २ मिनट में बताना चाहता हूं । इंगलैंड के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, अमरीका के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि डीजल आयल की गैस में ऐसे पायजनस एलीमेंट्स हैं, एक ऐसी विषैली चीज है जिसका सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है । इस संबंध में मैं अपना एक निजी अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं तो कुछ ही दूरी के लिये रिक्शा से ४, ५ आना देकर जाना पसन्द करता हूं, लेकिन बस से १० नये पैसे में जाना पसन्द नहीं करता । आप हंसिये नहीं, पहले मेरी बात सुनिये । आई विल सपोर्ट माई स्टेटमेन्ट विथ फैक्टस एंड फीगर्स (I will support my statement with facts and figures) ।

माना बसेज चीप हैं, डेढ़ आना, दो आना है पर मील का रेट उनमें पड़ता है जब कि रिक्शा से १ मील का ४, ५ आना पड़ता है। मैं एक दूसरा अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने एक आदमी को बस में देखा जो कि वोमिट कर रहा था। इसलिये परिवहन विभाग के मंत्री महोदय इस बात का क्या ध्यान रखे कि देश में जितने भी वर्ग हैं उन सबका ही हित इस विभाग से हो। कांग्रेस सरकार जोर-शोर से कहती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य वर्गविहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करना है। पर इसने प्रदेश में अनेकानेक वर्ग बना डाले हैं। एक माननीय सदस्य ने फैक्ट्स ऐण्ड फीगर्स रखते हुये कहा कि साढ़े १३ करोड़ जनता ट्रैवल करती है। लेकिन अगर आप जांच करें तो पता चलेगा कि मिडिल क्लास, लोफर मिडिल क्लास, शेड्यूल्ट क्लास और बैकवर्ड क्लास के लोग ही अधिकतर ट्रैवल करते हैं। आप पता चलायें कि उनकी हेल्थ पर कितना असर पड़ता है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आदमी डीजल बस पर चलेगा वह अपने स्वास्थ्य का कभी संरक्षण नहीं कर सकता। जितने कंडक्टर तथा ड्राइवर मिलेंगे उनकी हेल्थ आपको खराब मिलेगी। मोटर स्प्रिट की गाड़ियां आपने बन्द कर दी हैं। प्राइवेट बसेज आपने एबालिश कर दिया है। आप दिन ब दिन प्राइवेट बसेज को नेशनलाइज करते चले जा रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता। नैशनलाइजेशन होना चाहिये। राष्ट्रीयकरण का होना परमावश्यक है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि डीजल आयल से न चला कर मोटर स्प्रिट से आप बसेज चलाइये और १० पैसे न लेकर २५ नये पैसे लीजिये तो मुनासिब होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)––मैंने जो कटमोशन रखा था वह एक विशेष दृष्टिकोण से रखा था। परिवहन के तीन उद्देश्य हैं। एक तो जनता को सुविधा देना, दूसरा पर्यटन विकास और तीसरे परिवहन पर नियंत्रण। इस विभाग की यह मंशा है कि टूरिज्म को उसके अन्दर कर दिया जाय। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं यह चाहता हूं कि टूरिस्ट (पर्यटन) अलग रहे और परिवहन के, रोडवेज विभाग के साथ न रहे। उसका कारण यह है कि टूरिजम का दृष्टिकोण दूसरा है और सरकार उसे प्रोत्साहन इसलिये दे रही है कि जनता भारतवर्ष के उन रमणीय स्थानों पर जाय जो देखने योग्य हैं जैसे उतराखंड में वेली आफ फ्लावर्स है, हरकी इण, डोडीताल, पवाली काटा है और पैंडोरी ग्लेशियर है। अब रोडवेज विभाग के अन्तर्गत अगर टूरिज्म आ जाता है तो वह यह विभाग तो कोशिश करेगा कि जहां उसको सुभीता होगी वह वहां यात्रियों को ले जायगा। अध्यक्ष महोदय, आपने सुन लिया है कि परिवहन विभाग अपनी मोटरों तथा बसों को वहा नहीं ले जाना चाहता जहां सड़क अच्छी नहीं है। इस सदन में बतलाया गया कि सारे भारतवर्ष के यात्री केदारनाथ जाना चाहते हैं, बदरीनाथ जाना चाहते है। लेकिन वहां प्राइवेट मोटर वाले जाते हैं, गढ़वाल मोटर यूनियन की मोटरें जाती हैं, लेकिन रोडवेज की बसें नहीं जाती हैं। और आज जो इतना दुःख यात्री लोगों को मिल रहा है इसका कारण यही है कि रोडवेज उस सड़क पर अपनी बसें नहीं ले जाना चाहता है जो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिये मैं यह उपमा देना चाहता हूं कि रोडवेज व्हाइट एलीफेंट है जिसके लिये साढ़े बीस करोड़ रुपया मांगा गया है और वह हाथी उस सड़क पर जाना चाहता है जो बिलकुल साफ सुथरी है, जहां उनके मैनेजरों और इंस्पेक्टरों को जाने की सुविधा है। मैं चाहता हूं कि यह ह्वाइट एलीफेंट बजाय व्हाइट एलीफेन्ट के शो विन्डो आफ दि गवर्नमेंट बन जाय और यह इस तरीके से हो सकता है कि रोडवेज की बसें बदरीनाथ जाय, केदार नाथ जायं, वैली आफ फ्लावर्स में जायं। जहां दुनियां के धुनक्कड़ लोग देखने के लिये जायं और जब वे लोग वहां जायंगे तो हमारी गवर्नमेंट की तारीफ होगी और जो बधाई आज हम परिवहन मंत्री को दे रहे हैं वह ले लोग भी देंगे कि इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना अच्छा इन्तजाम है। इतनी उमदा बसें है। ऐसे सुन्दर दृश्य भारत में हैं।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

इसके अलावा रोडवेज में---मैं तो रोडवेज ही को कहूंगा क्योंकि परिवहन इस सदन के बाहर कोई नहीं समझता, रोडवेज सभी समझते हैं---एक और बड़ी दिक्कत है। रेलवे में अगर आप एक ट्रेन से नहीं जा सके तो दूसरी ट्रेन से उसी टिकट पर जा सकते हैं। लेकिन रोडवेज में अगर आप उस बस में नहीं बैठे तो टिकट के पैसे भी गये। इसलिये टिकट ट्रांसफरेबिल होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि रोडवेज में सभी लोगों को सफर की सुभीता नहीं है। अगर ऋषिकेश में गाड़ी भर गयी तो आगे चमोली तक एक आदमी को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिये इसमें रिजर्व्ड सीट्स बीच के स्थानों के लिये होनी चाहिये। मैं खुद देख चुका हूं कि एक मुकाम पर दो, दो, तीन, तीन घंटे रुकना पड़ा है, बसें पूरी भरी आती हैं। अस्तु, बीच के स्थानों के के लिये जैसे रेल में होता है कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तमाम साथियों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया धन्यवाद करना है क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं विरोधी दलों के अलावा जो कांग्रेस के साथी बोले उन्होंने भी---एक आध को छोड़ दीजिये क्योंकि एक आध तो इधर भी वैसे मिल जायंगे---आम तरीके से जो बातें मैंने रखीं उनका समर्थन किया है। माननीय नवल किशोर जी ने भी हाफ हार्टेडली हमारा समर्थन किया है। उन्होंने दो एक सिद्धान्त के प्वाइंट उठाये हैं। उनका जबाव देने के लिये मेरे पास इस वक्त समय नहीं है क्योंकि मेरे लिए बहुत थोड़ा समय है। अगर मैं आइडियोलाजिकल बहस में पड़ गया तो सब बात रह जायगी। वह बहस तो मैं उनके साथ फिर कर सकता हूं।

मुझे दो, तीन बातें कहनी हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर एक ऐडवान्स कदम है, इससे सभी सहमत हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन वह पब्लिक सेक्टर कैसे चलाया जाय इसमें हमारा और उनका मतभेद है। अगर आप कामर्शियल लाइन्स पर चलाते हैं तो फिर कामर्शियल लाइन वाली सुविधा दीजिये और अगर समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसको डेमोक्रेटिकली मैनेज कीजिये। यह हमारी नुक्ताचीनी थी अब वे इधर-उधर की बात करते हैं। मैंने कहा कि छोड़ो इन बातों को। यह कहते हैं कि हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से कैसे जायंगे? मैं भी उसको मैनेज करने के लिये कहता हूं। मैं नहीं कहता कि आप अपने अफसरान को न रखिये। अफसरान में अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैं। जो आपके अफसरान ईमानदार हैं मैं उनके खिलाफ कतई नहीं हूं। हमारा कहना तो यह है कि जो कारखानों को चलाने वाले हैं उनको महफूज कीजिये। मजदूरों के दिल में यह फीलिंग पैदा करनी चाहिये जिससे वे यह समझें कि यह हमारा उद्योग है, हमारे देश का उद्योग है, यदि मजदूर के अन्दर यह भावना पैदा हो जायगी तो आपका देश सच्चे माने में तरक्की कर सकता है। यह भावना उनमें बढ़ाई जाय। यह सीधा-सादा सवाल है इसको आपको सोचना चाहिये। आप से ज्यादा बिजनेस मैन पूंजीपति है और टाटा जितना शोषण कर सकता है उतना आप कभी नहीं कर सकते। आपको हमारी बात में बड़ी भारी आपत्ति मालूम हुई। आपको इस सिद्धान्त में कुछ और मामला मालूम हुआ।

मेरी आप से अन्त में इतनी ही प्रार्थना है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सोचिये। मैं कटाक्ष के लिये नहीं कहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उनकी देश भक्ति और ईमानदारी पर मुझे तनिक भी शुबहा नहीं है, लेकिन जो उनके सोचने का तरीका है उसको मैं गलत मानता हूं और उनके काम करने का जो तरीका है उसको मैं गलत मानता हूं। इसलिये मैं यह बात कहता हूं क्योंकि यह सीधी सच्ची बात है। मान लीजिये आपके सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनके अन्दर यह भावना रहती है कि सरकार हमारी दुश्मन है तो

कैसे काम चल सकता है ? क्या आप उन शक्तियों के लिये जो देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती हैं, रास्ता साफ करते है या नहीं ? आप इस तरह से समाजवाद की तरफ कैसे जा सकते हैं ? जब तक आप समाजवाद की तरफ नहीं जा सकते हैं तब तक मजदूर यह नहीं समझेगा कि यह उसका काम है और मेरे देश का काम है, इसलिये मुझे इसको संभालना है और इसको करना है जिससे मेरा देश आगे बढ़े ।

इसके अलावा दो चार बातों की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्लानिंग में कैपिटल और लेबर दोनों मिल कर काम करते हैं । जब दोनों संतुष्ट होगें तभी आपका प्लानिंग ठीक हो सकता है । जब तक प्लानिंग में लेबर को संतोष नहीं होगा तब तक आपको प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है । यों तो खाली अफसरान की शक्ति से और पैसा देकर कल कारखाने बन जाते हैं । लेकिन जनसमूह के हित में नहीं होते हैं ।

मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । आपकी कैन्टीन है उसको बहुत सी जगह मजदूर चलाते हैं । आप ठेकेदार को क्यों देते हैं ? आप कैन्टीन का इंतजाम मजदूरों को दीजिये । पहले क्वाटर्स जो अंग्रेजों ने बनाये थे उनका किराया १३ रुपये माहवार था, लेकिन अब जो क्वाटर्स कांग्रेस सरकार के जमाने में बने हैं उनका किराया १५, १६, १८ रुपये है । मजदूर सोचता है कि अंग्रेजों के बनाये क्वार्टर्स का किराया तो केवल १३ रुपया था और हमारी सरकार द्वारा बनाये क्वार्टरों का किराया इतना ज्यादा है । यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है ।

फिर मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो सिटी लाइन बस सर्विस है वहां पर कर्मचारियों को कोई टी० ए० वगैरह नहीं मिलता है । इस तरह की ये मामूली मामूली चीजें हैं जो कि एक मामूली कारखाने में होनी चाहिए । फैक्ट्री ऐक्ट आपके यहां अप्लाई नहीं होता । क्यों नहीं होता जबकि आप कार्मशियल बेसिस पर इसको चलाना चाहते हैं ? सरकार होने का फायदा आप उठाते हैं और मजदूरों की जो सुविधायें हैं जो मेहनत और मशक्कत के साथ लड़ाई लड़ कर कुर्बानी करके उसने हासिल की हैं वह आप उसको देना नहीं चाहते हैं । आप का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं है । उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हमारा कहना यही है कि उसमें काम करने वाले मजदूरों की दशा सुधारिए ।

हमारे भाई नवल किशोर जी ने कहा कि एक तो उनका समाजवाद है और आपका समाजवाद दूसरा है । हम दोनों के बीच से रास्ता निकालते हैं । समाजवाद के लिए बीच के रास्ते नहीं होते । समाजवाद एक ही समाजवाद है––वह साइंटिफिक सोशलिज्म है । उसके लिए एक ही रास्ता है । कोई दो तीन रास्ते उसके नहीं होते । उसका एक ही रास्ता है जिससे इस देश के अन्दर प्रजातंत्र के तरीके से लाने की बात सारे देश की जनता ने माना है । इसलिए उसके दो तीन रास्ते नहीं हो सकते । टाटा और बिरला भी समाजवाद की बात करते हैं । मेरी प्रार्थना है कि वह समाजवाद आप न लाइए । वह समाजवाद नहीं है, वह पूंजीवाद है । और मानोपाली पूंजीवाद है, पूंजीवाद की जो एक भयानक रूपरेखा है, वह पूंजीवाद वह है । इसलिए मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप उसको समाजवाद न कहिए ।

श्री मुजफ्फर हसन––अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि दोनों तरफ के लोगों ने और खास-खास बोलने वालों ने परिवहन विभाग के कामों के बारे में जहां नुक्ताचीनी की वहां उसकी मुनासिब प्रशंसा भी की । गेंदासिंह जी ने जिस तरह से उस बात को रखा उससे कुछ हिम्मत अफजाई होती है काम करने की और सिर्फ उन्होंने ही नहीं अक्सर बोलने वालों ने इस काम की प्रशंसा भी की और नुक्ताचीनी भी की और यही एक तरीका है काम को आगे बढ़ाने का और उसके अच्छे नतायज पैदा करने का । जो कुछ कहा गया है ज्यादातर उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस मुहकमे की आमदनी काफी हो

[श्री मुजफ्फर हसन]

गई है इसलिए हमें मजदूरों पर और काम करने वालों पर काफी खर्च करना चाहिए उसूलन तो यह बात कुछ ऐसी है कि उसको मुनाफे पर नापने का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर इस पब्लिक सेक्टर में कुछ मुनाफा होता है तो जाहिर है कि वह जो हमारा इस वक्त मुल्क की तामीर करने का काम है उसमें हम अपने इस मुहकमे की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि जो लोग इस विभाग में काम करते हैं उनको सुविधा का खयाल रखना चाहिए और एक बहुत मशहूर फारसी का मकूला है कि 'मजदूर खुशदिल कुनदकारे बेश।' खुशदिल मजदूर काम को ज्यादा अच्छी तरह से करता है। आप अगर देखेंगे तो हमने पिछले दिनों में बराबर इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मजदूरों को और काम करने वालों को दी जायं। काफी बड़ी रकम जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में कहा है पिछले साल हमने मजदूरों की सुविधा के लिए खर्च की। लेकिन वह कोई आखिरी चीज नहीं है। हम रोजबरोज उसकी तरफ ध्यान रखते हैं और आइन्दा भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।

आप देखेंगे कि मजदूरों के जो कवानीन हैं उनके मातहत, मैं जरा मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि क्या-क्या काम हमारे यहां हो रहे हैं? एम्प्लायीज, प्राविडेंट फंड ऐक्ट की सुविधायें परिवहन विभाग के अधिकतर कर्मचारियों को हैं, जिसके मातहत वेतन का ६। प्रतिशत कर्मचारी जमा करता है और उतना ही सरकार को देना होता है। इस सिलसिले में १९५९-६० में और १९६०-६१ में २६ लाख ५७ हजार रुपया खर्च किया गया। सन् १९६१-६२ में १०,२३,६०० रुपया खर्च हुआ और सन् १९६२-६३ के लिये गवर्नमेंट की तरफ से इस मद में १२,५५,६०० रुपया खर्च के लिये रखा गया है।

दूसरा कानून है इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट। इसके मातहत रोडवेज वर्कशाप के कर्मचारी आते हैं जिन्हें बीमारी की हालत में, घायल हो जाने पर तथा मैटरनिटी के लिये मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। चोट के कारण मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को सहायता का भी प्रावीजन रहता है। इसमें १९६०-६१ के लिये १,२८,१५२ रुपया खर्च हुआ। इसमें पिछले साल की बकाया भी शामिल है। सन् १९६१-६२ में ५८,००० रुपया दिया गया और १९६२-६३ के लिये भी ५८,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। यह कानून जिन जगहों में लागू नहीं है वहां अन्य सरकारी कर्मचारियों की सुविधायें दी गई हैं।

इसके बाद फैक्ट्रीज ऐक्ट आता है जिसके मातहत सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर, रीजनल वर्कशाप्स व डिपो वर्कशाप्स कर्मचारी आते हैं। अभी तक ७ फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन इस ऐक्ट के मातहत हो पाया है। बाकी के लिये कोशिश की जा रही है। इस सम्बन्ध में पी० डब्ल्यू० डी० से "स्टैबिलिटी सर्टिफिकेट" लेना होता है।

इसके बाद इंडस्ट्रियल इम्पलायमेंट स्टैंडिंग आडर्स ऐक्ट आता है। यह केवल वर्कचार्ज इस्टेबलिशमेंट पर ही लागू होता है। बाकी सिविल सर्विस रेगुलेशन के मातहत है। वर्कचार्ज वालों की सर्विस कंडीशन्स के बारे में रूल्स बनाने के आदेश दिये गये हैं।

यू० पी० शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के बारे में यह सुविधा है कि चूंकि इसके प्राविजन व मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्क्स ऐक्ट जो अभी लागू हुआ है, के प्राविजन एक से हैं। इसलिये लेबर विभाग से ट्रान्सपोर्ट विभाग के लिये छूट मांगी गई है।

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत एक दिन के काम के लिये एक रुपया कम से कम नियत है। परिवहन विभाग में इससे कम किसी को नहीं मिलता है। इसलिये इसका सवाल नहीं उठता।

श्री उग्रसेन--पानी पांडेय को और चौकीदार को ५ रुपया देते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन––जो कम टाइम काम करते हैं उनको कम पैसा मिलता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो गया है ।

पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट जो है वह वर्कशाप के कर्मचारियों पर लागू होता है । इसके द्वारा मजदूरी जल्दी देने की व्यवस्था है । परिवहन विभाग में इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है ।

श्री काशीनाथ––मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मन्त्री दो, दो पन्ने निकाल कर पढ़ते जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष––आप कृपया बैठ जांय । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुजफ्फर हसन––अब इसके बाद मैं वर्कमेन्स कम्पन्सेशन ऐक्ट का जिक्र करना चाहता हूं । इसके मातहत घायल अवस्था में या दुर्घटना होने पर मुआवजे की व्यवस्था होती है । परिवहन विभाग में इसका पालन किया जाता है ।

इसके अलावा यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत हड़ताल, तालाबंदी आदि रोकने के लिये वर्क्स काउन्सिल बनाने का विचार है जिसमें कर्मचारी और मालिकों के प्रतिनिधि होंगे और इसके दूसरे प्राविजन्स के लिये भी आदेश दिये गये हैं । (व्यवधान) यह काम कानपुर से शुरू होगा । मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्क्स भी ३१ मार्च, १९६१ से लागू हो गया है और उसके मातहत निम्नलिखित सुविधायें दी गयी है । जहां सौ या सौ से अधिक कर्मचारी काम करते होंगे वहां कैन्टीन बनायी जायगी । इसकी कोशिश हो रही है और वे जगह-जगह बन रही हैं । इसके अलावा जहां कर्मचारियों को रात में ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां रेस्ट रूम होने चाहिये । यह भी धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं । ड्राइवर, कंडक्टर और चेकिंग स्टाफ के लिये वर्दी, बरसाती आदि होनी चाहिये । इसका भी प्राविजन है और आपने देखा कि ए० टी० आई०ज० के लिये खास तौर से कुछ रकम रखी गयी है । स्टेशनों पर इलाज की सुविधा प्रदान की गयी है और कानपुर वर्क शाप में तो एक अस्पताल ही चल रहा है । फर्स्ट-एड का बक्स हर गाड़ी में दिया गया है और इसका प्रबंध हर जगह किया जा रहा है ।

श्री उग्रसेन––गोरखपुर रीजन की गाड़ियां तो बिना फर्स्ट एड बक्स के ही चलती हैं ।

श्री अध्यक्ष––वह बैठ नहीं रहे हैं । आप बठें ।

श्री मुजफ्फर हसन––धीरे-धीरे यह चीज हो रही है । इसके अलावा किसी कर्मचारी से प्रतिदिन आधा घंटा और सप्ताह में ४० घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा । अगर ज्यादा काम लिया जाता है । तो उनको उसका डबल भत्ता दिया जाता है । इसके अलावा वीकली रेस्ट का इंतजाम है । ७ दिन के बाद एक दिन उनको रेस्ट मिलता है ।

श्री उग्रसेन––कोई जनरल मैनेजर इसको मानता ही नहीं है ।

श्री मुजफ्फर हसन––यह रेस्ट का कानून लागू हो गया है और अगर किसी वजह से किसी हफ्ते में किसी का रेस्ट न मिल सके तो उसे दुबारा उसे अवेल करने का मौका है । तो यह थोड़ा बहुत जो इस सिलसिले में काम हुआ है उसे मैंने बतलाया ।

इसके अलावा कहा गया कि लोग मुस्तकिल नहीं हुए हैं । इस संबंध में माननीय नवल किशोर जी ने बतलाया कि १८,००० में से ७,००० के करीब जगहें मुस्तकिल कर दी गयी हैं यह तादाद जल्दी ही ९,००० तक पहुंच जायगी । ५ या ६ हजार आदमी ऐसे हैं जिनकी सर्विस अभी ३ साल की पूरी नहीं हुई । उनका कोई सवाल अभी उठता नहीं है । जो थोड़े

[श्री मुजफ्फर हसन]

बहुत आदमी बचते हैं । उनके लिये कई तरह की कठिनाइयां हैं । एक तो नये सर्विस रूल्स की वजह से कुछ सर्विसेज ऐसी थीं कि जिनको अलग-अलग करना था, कौन किस तरफ जाय और कौन किस तरफ जाय, उस पर काम हो रहा था और वह अब अलग-अलग हो गयी हैं और अब जल्दी ही उनके बारे में कार्यवाही होगी । इसके अलावा कुछ जगहें ऐसी हैं कि जैसा नवलकिशोर जी ने बतलाया कि यह एक्सपैंडिंग मुहकमा है । एक आदमी एक जगह काम कर रहा है और उस जगह पर वह मुस्तकिल है, लेकिन उसे मौका मिलता है तरक्की करने का और वह एक या दो दर्जे आगे बढ़ जाता है । ऐसी सूरत में जो आदमी उसकी जगह काम करता है और दूसरा जो आराजी तौर पर उसकी जगह काम कर रहा है उन सबको मुस्तकिल करने में दुश्वारी होती है । बहरहाल, इसमें काम हो रहा है और जल्दी ही उनके लिये रास्ता बन जायगा और लोगों को मुस्तकिल किया जा सकेगा ।

यात्रा की कंडीशन्स के बारे में कुछ लोगों ने सवाल उठाया है । इस सिलसिले में....

श्री संतसिंह यूसुफ--परमानेंट करने के बारे में भी मैंने कहा था.....

श्री मुजफ्फर हसन--३ साल के बाद परमानेंट कर दिये जाते हैं ।

यात्रा रूट के सिलसिले में और उसकी रिपोर्ट के बारे में यहां चर्चा उठायी गई । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यह सवाल बड़ा टेढ़ा है । उन रास्तों में एक खास किस्म की गाड़ियां चलती हैं । वे मुल्क में दूसरी जगह दस्तियाब नहीं होतीं । दो साल या तीन साल का प्रोग्राम था सड़कों को चौड़ा करने का और उसकी वजह से कुछ कठिनाइयां आ गयी हैं । कुछ और दिक्कतें भी हैं । गाड़ियों का हाल यह है कि हमको ५०० गाड़ियों की जरूरत थी और मुश्किल से २५० गाड़ी हमको मिल पायी हैं । हमने ६०/७० आर्ज़ी परमिट भी दिये । २८ जगह मुस्तकिल करने पर विचार किया मगर १४ जगहों से सिर्फ दरख्वास्तें आयीं तो यह एक बहुत बड़ी प्राब्लम है और वह जेरेगौर है । वहां के बारे में आज बड़ी संजीदगी के साथ विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से वहां की दिक्कतों को दूर किया जाय ।

माननीय उग्रसेन जी ने मसानी कमेटी की सिफारिश का जिक्र किया और कहा कि केन्द्रीय बोर्ड बनाया जाय जिसमें मजदूरों के भी नुमाइन्दे हों । मेरा जहां तक इल्म है उस कमेटी की ऐसी कोई सिफारिश है नहीं । इस कमेटी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, सिर्फ यह सिफारिश की थी कि गवर्नमेन्ट रोडवेज का संचालन कारपोरेशन के मुताबिक हो । अब कारपोरेशन दूसरी चीज़ है और यह दूसरी चीज़ है (व्यवधान) ।

ट्रान्सपोर्ट मैनुअल बनाने का भी काम चल रहा है । यह काम भी जल्दी हो जायेगा । पंजाब और राजस्थान के कर्मचारियों के बोनस की बात कही गयी । मेरे ख्याल से ऐसा कोई फैसला वहां नहीं हुआ है, यह एक अलग सवाल है कि बोनस दिया जाय या नहीं ।

क्वार्टर्स के किराये बढ़ाने की बात कही गयी । इसमें माननीय यूसुफ साहब को कुछ गलत-फहमी हो गयी । आडिट आब्जेक्शन कुछ हुये थे और उस कारण से पानी और बिजली के खर्चे के दो या तीन रुपये ज्यादा चार्ज किये जाते हैं । किराये में इजाफा नहीं किया गया । आधा घंटा काम करने की बात कही गयी । आधे घंटे या उससे ज्यादा किसी से काम लिया जाता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाता है । मैंने रिवार्ड्स के सिलसिले में कुछ रकम बताई थी, जैसा कि उग्रसेन जी ने १० हजार कही थी, वह गलत है, सही रकम १ लाख ६ हजार ९ सौ रुपये है ।

तो जो सुझाव रखे गये हैं उन पर विचार किया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा ।

श्री कृष्णपालसिंह––श्रीमन्, हेलीकाप्टर का सवाल रह गया.....

श्री मुजफ्फर हसन––हेलीकाप्टर के बारे में कुछ कह दूं। मुझे मालूम नहीं कि हमारे दोस्त यह क्यों जरूरी समझते हैं कि बजट में जितनी भी चीजों का जिक्र है उनका जिक्र मेरी तजवीज में भी आवे। वह तो उसमें मौजूद है। एक हेलीकाप्टर खरीदने की तजवीज है। खास तौर से उसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि सैलाब के जमाने में लोगों को इमदाद देने में दुश्वारियां पैदा होती हैं, पानी से जगहें घिर जाती हैं और सामान उतारना दुशवार होता है, इसलिए उसका प्रावीजन किया गया।

श्री उग्रसेन––२ नये पैसे.....

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके बैठें, मैं खड़ा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––संपूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०––परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १४,४९,२५,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२––सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२––सड़क, परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,९३,८२,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३–राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

श्री मुजफ्फर हसन––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३––राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १६,९१,०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १६,९१,००० पयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ मई, १९६२।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर]

AUDIT REPORT PART—I

Page of the Report 25-26 Paragraph 18(ii) Non-enforcement of the terms and conditions for the repayment of loans.

Two loans aggregating Rs. 16.5 lakhs were advanced to a Co-operative Development Union for the construction of tube-wells. The loan of Rs. 10.5 lakhs advanced in March, 1953 carried interest at 4 1/8 per cent and was repayable in 15 annual equated instalments of principal and interest, the first instalment falling due in March, 1955. The second loan of Rs. 6 lakhs disbursed in March, 1955, carried interest at the rate of 4 1/4 per cent per annum during the first 3 years and 4 1/2 per cent, per annum thereafter on the outstanding balance and was repayable in 15 annual equated instalments of principal and interest the first instalment being due in March, 1956, The Union has so far paid only Rs. 1,38,442 towards principal and Rs. 84,871 on account of interest to the end of March 31, 1955, in regard to the first loan. The question of the recovery of the balance of the principal and of interest on the first loan and of the entire amount of the second loan (including intrerest)remained under correspondence with the DeputyCommissioner of the District and the Registrar, Co-operativ e Societies respectively. The Union represented to the Government in April, 1956 that they did not expect profits as the Scheme was still under execution and, therefore, the question of payment of instalments in respect of first loan did not arise till the finalisation of the Scheme. They also requested Government in May, 1956 to postpone the recovery of the second loan and interest thereon for 5 years. The matter was reported to Government in June, 1956 and September, 1957 respectively. In reply they have stated in September, 1956 and November, 1957 respectively that the Union is not in a position to repay the loans and the matter is under examination. The Government have asked the Director if Industries to persuade the loanee to repay the loan as early as possible and in instalments within two years, if re-payment in lump sum is not possibe,

बभनान यूनियन की सिंचाई योजना का वार्षिक लाभ तथा हानि का विवरण

वर्ष	व्यय	आय	हानि (−)	अथवा लाभ (+)	विवरण
१	२	३		४	५
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०		रु० आ० पा०	
१–१९५२–५३	१९,७१५–४–०	९,५०४–४–३	(−)	१०,२१०–१५–९	
२–१९५३–५४	६६,८८२–५–९	१५,८७२–७–९	(−)	५१,००९–१४–०	
३–१९५४–५५	१,४४,९४२–२–९	२,०७,७८७–११–६	(+)	६२,८४५–८–९	
४–१९५५–५६	६६,७२०–११–६	३०,८२४–१४–८	(−)	३५,८९५–१२–९	
५–१९५६–५७	३,२८,१०४–१–९	३३,५९२–६–१	(−)	२,९४,५११–११–८	
६–१९५७–५८	२,४८,५११·५० न० पै०	८६,६९१·९७ न० पै०	(−)	१,५८,८१९·०८ न० पै०	
७–१९५८–५९	२,०९,२७०·८९ ,,	२७,९४६·९१ ,,	(−)	१,८१,३२३·९८ ,,	
८–१९५९–६०	१,८०,५८१·७० ,,	२८,३३२·२४ ,,	(−)	१,५२,२४९·४६ ,,	
९–१९६०–६१	१,९१,२६८·३१ ,,	३०,८५५·७२ ,,	(−)	१,६०,४१२·५९ ,,	
योग ..	१४,५२,९९६·५७ न० पै०	४,७१,४०८.६१ न० पै०	(−)	९,८१,५८७.९६ न० पै०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

नैनी और इलाहाबाद नगर में सप्लाई कम्पनी के रेट्स एक ही हैं जो निम्नलिखित हैं—

			रेट (प्रति K. W. H.) ग्रास न० पै०	रिबेट
(१) (क) लाइट और फैन्स	डी० सी०	..	२३.६ न० पै० प्रति पूरा	
	ए० सी०	..	२० ,, ,, ,, रुपया	

मिनिमम चार्ज—लाइट, फैन्स तथा दूसरे घरेलू व्यवहारों के हेतु एग्रीगेट लोडिंग

०.२५ किलोवाट तक	..	..	१ रु० प्रतिमास		
०.२५ ,, से अधिक और ०.५ किलोवाट तक			२ रु० ,,		
०.५ किलोवाट से अधिक और १.५ किलोवाट तक			३ रु० ,,		
१.५ किलोवाट से अधिक		..	४ रु० ,,	नै०	पै०
(ख) दूसरे घरेलू प्रयोग जो कि २०० वाट्स से कम न हों हीटर्स, कुकर्स, रेफरीजीटरेर्स वैटरी चार्जर्स और लो प्रेसर के मोटर्स १ वी० एच० पी० या इससे कम थ्रू सबट्रेक्शन मीटर इन लाईटिंग ऐन्ड फोन सरकिट २३० वाल्ट्स	डी० सी० पहली १०० यूनिट्स प्रति माह		१२	,,	,,
	१०० यूनिट्स से ऊपर		६	,,	,,
	ए० सी० पहली १०० यूनिट प्रति मास		११		
	१०० यूनिट्स से ऊपर		६	,,	,,

मिनिमम चार्ज लाईटिंग और फैन्स का ही

(ग) थियेटर्स और सिनेमा, सिनेमाटोग्राफ प्रोजेक्टर्स और टाकिंग पिक्चर एपरेटस	डी० सी० पहली ४०० यूनिट्स प्रति माह		१६	,,	,,
	अन्य ४०० ८०० यूनिट्स से अधिक		१६	,,	,,
			६	,,	,,

		रेट (प्रति K. W. H.)	
		ग्रास	रिबेट
	मिनिमम चार्ज २० रु० प्रति माह लाईटिंग और फैन इन्सट्रालेशन उसी दर से चार्ज किये जायेंगे जैसा कि लाईटिंग और फैन हेडिंग के अन्तर्गत दिया हुआ है ।		
	सब कार्यों के हेतु थियेटर अथवा सिनैमा की इमारत के अन्दर ।	ए० सी० पहली १२० यूनिट्स प्रति माह प्रति किलोवाट आफ मेकजिमम डिमांड	२० ६ न० पै० प्रति पूरा रुपया
		अधिक अन्य यूनिट्स	११
	मिनिमम चार्ज २० रु० प्रति माह		
(२)	पावर मोटरों के लिये स्लाईडिंग स्केल	डी० सी० पहली ६० यूनिट्स	१२ ,, ,, ,,
		प्रति माह प्रति एच० पी० दूसरी ४० यूनिट्स	,, १०
		अधिक १०० ,, यूनिट्स से ।	६
	मिनिमम चार्ज १/२ वी० एच० पी० अथवा कम इन्सटालेशन के लिये रु० १.७५ न० प० प्रति माह		
	१/२ वी० एच० पी० से अधिक रु० ३.५० न० पै० प्रति माह प्रति वी० एच० पी० अथवा उसके किसी भाग पर ।	ए० सी० पहली ६० यूनिट्स प्रति माह प्रति वी० एच० पी०	११ ,, ,, ,,
		दूसरी ४० यूनिट्स	एच० पी० १०
		अधिक १०० यूनिट्स	,, ५
	मिनिमम चार्ज उपरोक्त डी० सी० के अनुसार		
(टी)	क्रमशः टू पार्ट टैरिफ	डी० सी० निश्चित चार्ज प्रति माह प्रति वी० एच० पी० रु० ६ न० पै० २५ प्लस	६ ,, ,, ,,
		ए० सी० निश्चित चार्ज प्रति माह प्रति वी० एच० पी० रु० ५.७५ न० पै० प्लस ।	५ ,, ,, ,,
(३)	बड़े इन्डस्ट्रियल इन्सटैलेशन ।	३५ के० वी० ए० से अधिक पावर वल्क सप्लाइज के लिये स्पैशल रेट्स	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

हिन्दी शब्द कोश समिति द्वारा तैयार किये गये कोश पर नोट

हिन्दी शब्दकोश समिति के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के सरकारी कामों में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय तैयार कर के स्वीकृत्यर्थ हिन्दी शब्दकोश समिति के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं और तदुपरान्त उसके द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग के लिये पुस्तिका के रूप में छपाकर वितरित किये जाते हैं । कुछ शब्द सूचियां स्वीकृति के पूर्व अनन्तिम रूप से भी छपाकर लोगों के सुझावों और टीका-टिप्पणी के लिए वितरित कर दी जाती हैं। इन शब्दों की सूचियों को छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में इसलिए प्रकाशित किया जाता है कि पूरे कोश के निर्माण के लिए अधिक समय अपेक्षित है और विभिन्न विभागों में शब्दों की आवश्यकता नित्यप्रति पड़ती रहती है जिसकी तत्काल पूर्ति होना आवश्यक है । इसलिये जिस क्रम से शब्दों की मांग आती है प्रायः उसी क्रम से छोटी छोटी सूचियां तैयार की जाती हैं।

२--इस प्रकार जो शब्द-सूचियां तैयार और प्रकाशित हुई हैं उनका विवरण इस प्रकार है :--

१--उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दावली--

संख्या १--सार्वजनिक निर्माण संबंधी तथा अन्य शब्द (समिति द्वारा स्वीकृत) । इसकी प्रतियां समाप्त हो गई हैं उसे संशोधित कर पुनः मुद्रण के लिए प्रेस भेज दिया गया है ।

संख्या २--पदनाम तथा विभागादिनाम (कोश समिति द्वारा स्वीकृत) । प्रति संलग्न ।

संख्या ३--प्रशासन संबंधी सामान्य शब्द (अनन्तिम) । प्रति संलग्न ।

संख्या ४--वित्त विभाग की शब्द-सूची तथा प्रशासन संबंधी सामान्य शब्द (अनन्तिम) । प्रति संलग्न ।

संख्या ५--वन विभाग की विशेष शब्दसूची (कोश समिति द्वारा स्वीकृत)। प्रति संलग्न ।

संख्या ६--शिक्षा विभाग की शब्द-सूची। (कोश समिति द्वारा स्वीकृत) । प्रति संलग्न ।

संख्या ७--प्रशासन संबंधी सामान्य शब्द (अनन्तिम) । (प्रेस में है) । शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी ।

२--स्याम की संस्कृत-मूलक शब्दावली । (प्रति संलग्न) ।

३--इसके अतिरिक्त प्रशासन शब्दावली संख्या ५ को छोड़ कर अन्य प्रकाशित संख्याओं तथा अप्रकाशित सूचियों के समिति द्वारा स्वीकृत शब्दों को एक कोश के रूप में छपाने के उद्देश्य से संकलित कर लिया गया है और इसे "उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्द कोश" के नाम से, जिसमें लगभग ११,००० शब्द एवं वाक्यांश हैं, प्रेस में छपाया जा रहा है। यह एक संहत (कन्सालीडेटेड) बृहत् कोश होगा जो शीघ्र ही प्रकाश में आ जायगा ।

४--लगभग ६,७०० और शब्दों की सूचियां भी तैयार हैं जो सम्पादित हो कर यथाशीघ्र छपने के लिए भेजी जायंगी । जिन पर्यायों की आवश्यकता पड़ती है और पड़ती रहेगी, उनकी संख्या अपरिमेय है और इसलिये प्रस्तुत कोश निर्माण कार्य बढ़ता ही रहेगा ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

क्रम-संख्या	नामजद व्यक्ति का नाम	पता
१	उदई पुत्र रतन	पैदामी पुरवा, पूरे मनोगा
२	छेदी पुत्र जगन्नाथ	,, ,,
३	मंगली पुत्र निबेर	,, ,,
४	भगौती पुत्र निबरे	,, ,,
५	भगलू पुत्र औतार	,, ,,
६	शिव	लोहसीसा ,,
७	रंगे	,, ,,
८	जगप्रसाद	,, ,,
९	छोटेलाल	,, ,,
१०	नोहर पुत्र जोतराम	पूरे मनोगा
११	छेदी पुत्र रामफल	,, ,,
१२	जगप्रसाद पुत्र छेदी	,, ,,
१३	द्वारिका पुत्र पाटनदीन	,, ,,
१४	जगतपाल पुत्र बिहारी	खिरामा, थाना कोतवाली गोंडा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

मार्च और अप्रैल, सन् १९६२ में थाना मेलसर जिला बाराबंकी में हुई चोरियों, डकैतियों तथा कत्लों का विवरण

अपराध	संख्या	विशेष विवरण
डकैती ..	—	—
कत्ल ..	२	—
चोरी ..	९	इनमें से केवल २ चोरियां अप्रैल मास में १ हफ्ते के अन्दर मोहल्ला नयागंज कस्बा रुदौली न कि सधौली जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, में हुई जिनमें से प्रत्येक में १० हजार से अधिक रुपये का सामान चोरी गया। दोनों में जांच जारी है। अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। शेष ७ चोरियों के मामलों में से ४ में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है और बाकी ३ में अभी जांच जारी है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८ पर)

वित्तीय वर्ष	चोरी		डकैती		कत्ल	
	थानों में लिखाई गई	अदालत भेजे गए	थानों में लिखाई गई	अदालत भेजे गए	थानों में लिखाई गई	अदालत भेजे गए
१९६०–६१ ..	३९०	१४२	—	—	८	७
१९६१–६२ ..	१०९५	१९९	३	२	८	५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४८–१५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१-४२ पर)

परिशिष्ट 'क'

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का विवरण

	करोड़ रु०
१—कृषि	२७.००
२—राष्ट्रीय प्रसार तथा सामुदायिक विकास योजनाएं ..	८.५१
३—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	३६.५७
४—विद्युत्	२३.३१
५—उद्योग	६.३७
६—परिवहन	६.८६
७—समाज सेवाएं	४४.७४
	१५३.३६

प्रथम पंचवर्षीय योजना के उत्पादन के कुछ मुख्य–मुख्य लक्ष्य

मद	यूनिट	लक्ष्य
(१) कृषि		
१—अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन ..	लाख टन	६.८३
२—फल तथा फल के वृक्षों का कीटाणुओं से बचाव	वृक्षों की संख्या	५,५५,०००
३—गोदाम में रखे हुए अनाज तथा आलू का कीटाणुओं से बचाव	मन	१६,५००
४—गन्ना विकास योजना		
(क) सहकारी ट्यूबवेल	संख्या	२८६
(ख) खाद वितरण	लाख मन	४.१४
५—कोलोनाइजेशन योजना		
(क) शुद्ध बीजों का उत्पादन ..	लाख मन	१.८३
(ख) दुग्ध उत्पादन	लाख पौंड	२६.०५
६—टेहरी गढ़वाल में गूलों का निर्माण ..	एकड़	४,०००
(२) पशुपालन		
वैक्सीनों का उत्पादन (Biological Products)	लाख मात्रा	४२३.२३
(३) वन		
(क) नहरों के समीप वृक्षारोपण ..	एकड़	६.७००
(ख) औद्योगिक महत्त्व के विभिन्न वृक्षों को लगाना	एकड़	१२,५००
(ग) शहतूत तथा एश के वृक्ष ..	एकड़	३,७५०

मद	यूनिट	लक्ष्य
(४) सहकारिता—		
(क) बहुमुखी समितियों का संगठन ..	संख्या	५,०००
(ख) खेती की सहकारी समितियां ..	संख्या	१००
(५) लघु तथा ग्रामीण उद्योग—		
१—हथ करघा सहकारी मार्केटिंग समितियां	संख्या	१२,०००
२—गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण	संख्या	७००
३—खादी विकास-प्रशिक्षण ..	संख्या	४१,०००
४—चिकन कढ़ाई-उत्पादन ..	लाख रु०	४.२५
५—चीनी मिट्टी के बर्तन	,,	३.१०
६—उद्योगों के विकास के लिये ऋण ..	,,	१०.५९
७—उद्योगों के विकास के लिये अनुदान ..	,,	२.३२
८—सेरीकल्चर रियरर्स (Rearers) ..	संख्या	३४०
(६) बड़े उद्योग—		
१—राजकीय सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन ..	लाख टन	४.६०
२—राजकीय प्रीसीजन इन्स्ट्रुमेन्ट फैक्ट्री पानी के मीटर	संख्या	९६,०००
(७) सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता— ..		
१—बड़ी तथा मध्यम योजनाएं ..	लाख एकड़	११.१०
२—राज्य की छोटी योजनाएं ..	,,	९.००

परिशिष्ट 'ख'

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के व्यय का लक्ष्य तथा अनुमानित व्यय

करोड़ रु०

	लक्ष्य	अनुमानित व्यय
१—कृषि	४९.४२	४१.०८
२—राष्ट्रीय प्रसार सेवा एवं सामुदायिक विकास ..	२७.८०	३०.४९
३—सिंचाई	२६.००	२४.३५
४—विद्युत्	६०.३०	५६.९१
५—उद्योग	१३.१२	१२.४९
६—परिवहन	१७.००	१५.८६
७—समाज सेवाएं	५६.५७	४५.१५
८—विविध	२.७९	१.९९
	२५३.००	२२८.३२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उत्पादन के कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्य

मद	इकाई	लक्ष्य
(१) कृषि		
१—खाद्यान्न	लाख टन	१४०.००
२—गन्ना (गुड़ के रूप में) ..	,,	३५.७
३—तिलहन	,,	११.८०
४—जूट	हजार गांठें	११०
(२) बड़े तथा माध्यम उद्योग ..		
१—पानी के मीटरों का निर्माण ..	संख्या	१,५१,०००
२—माइक्रोस्कोप	,,	१,०२६
(३) लघु तथा ग्रामीण उद्योग		
१—हथ करघा वस्त्रों का उत्पादन ..	करोड़ रु०	३४.७६
२—ऋण का वितरण	लाख रु०	१७८.४५
३—अनुदान वितरण	,,	३.९९
४—सिझाया हुआ चमड़ा (उत्पादन का मूल्य)	,,	१३.३३
५—गैस प्लान्ट गैस का उत्पादन ..	लाख घन फुट	२.००
६—सैन्डवाशिंग (Sand washing) परिमाण	टन	८,३००
७—उच्च तथा निम्न ताप नियंत्रक (नियंत्रकों का मूल्य)	लाख रु०	१.४१
८—चिकन कढ़ाई-उत्पादन	,,	७.४८
९—एग्रीकल्चर-राजकीय फार्म तथा नरसरी में वृक्षारोपण	एकड़	११.५०
१०—हाथ का बना कागज	लाख रु०	२.६०
(४) बन		
१—कुमायूं में फल के वृक्षों का लगाना ..	संख्या लाख	१.६४५
२—औद्योगिक महत्त्व के वृक्षों का लगाना ..	एकड़	५८,५००
(५) फल संरक्षण		
१—फल के वृक्ष	संख्या लाख	९.८८
२—फल उत्पादन	पौन्ड	६,८५,०००
३—रीजुवेनेशन आफ आचर्ड ..	एकड़	८८८
४—कीटाणुओं तथा बीमारियों की रोकथाम ..	संख्या	३६,१७६
(६) सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता		
१—बड़ी तथा माध्यम योजनाएं ..	लाख एकड़	९.०८
२—राज्य की छोटी योजनाएं ..	,,	१२.३७
(७) सहकारिता		
१—सेवा समितियों का संगठन ..	संख्या	१५,०००
२—प्रारम्भिक मार्केटिंग समितियां ..	,,	१५०
३—सहकारी फार्मिग समितियां ..	,,	१००

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

१-१-६२ से ३१-३-६२ तक जिला मैनपुरी में हुये अपराधों की थानेवार तालिका

नाम थाना	डकैती	कत्ल	राहजनी	नकबजनी
कोतवाली	३	१	३	—
कुरावली	२	१	६	१
फरिहा	१	—	—	—
किशनी	१	—	—	६
जसराना	१	—	—	—
एका	२	१	—	—
उराबर	१	—	—	२
घिरोर	१	१	—	८
भोगांव	—	१	—	३
शिकोहाबाद	—	४	—	२५
कुर्रा	—	१	—	—
करहल	—	—	१	—
बेबर	३	१	—	—
सिरसागंज	—	—	—	११
कुल योग ..	१५	११	११	५७

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

१ नवम्बर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक थाना ठठिया जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत हुई चोरी, राहजनी और डकैती की घटनाओं का विवरण

क्र०- सं०	नाम ग्राम	दर्ज की गई रिपोर्ट की सं०	धन हानि (अनुमानित)
			रु०
१	ठठिया कोहना	३	४५५
२	घर घेरा	१	११५
३	गाजीपुरवा	१	८०
४	गुरौली	१	१,१७३
५	हमीरपुर	४	४३१
६	सुरसी	१	१६१
७	महसैयां	२	२७३
८	बलनापुर	१	३६
९	खानपुर	२	३१०
१०	बरेवा	२	१,३७१
११	अमृतपुरकरीमनगर	२	५३०
१२	सांडा	१	५४०
१३	पट्टी	४	४१५
१४	फुलवारी	३	५०५
१५	अलमापुर	१	१७५
१६	सियापुर	१	..
१७	सिमरिया	१	२८०
१८	हासापुर	१	५
१९	जनखत	३	१०७
२०	रघुनाथपुर	१	५००
२१	पिपरौली	१	७५९
२२	पल्टेपुर	१	..
२३	हरईपु	४	८७३
२४	बस्ती	१	८००
२५	बेहटा	१	१,३७१
२६	ठठियागंज	२	११९
२७	तिजलापुर	१	२३०
२८	खामा	१	१२५
२९	मदनापुर	१	..
३०	कुढ़ना	२	३७०
३१	श्यामपुर	१	६०
३२	बिलन्दापुर	१	२५०
	योग		१२,४१९

राहजनी

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	दर्ज की गई रिपोर्ट की सं०	धन हानि (अनुमानित)
			रु०न० पै०
१—मढ़ा	.. .. ..	१	७००

डकैती

१—हमीरपुर	.. .. ..	१	२०९
२—बहादुरपुर	.. .. ..	१	३५८.२५
			५६७.२५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८५ एल० ए०—१९६२—८४५ ।